राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3 **सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का उनचासवां दिवस** संख्या: 22

गुरुवार,
20 मार्च 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम-राम-राम-राम। जय श्री राम। विराजिये।

प्रश्न संख्या 445

श्री अभिमन्यु। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, अभिमन्यु। अभिमन्यु।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री प्रशान्त शर्मा। ...(व्यवधान)... अभी आ गये तो क्या? ...(व्यवधान)... तीन बार पुकारा आपको। ...(व्यवधान)... श्री प्रशान्त शर्मा, यू कंटीन्यू। ...(व्यवधान)... बोलो। क्वेश्चन नम्बर बोलो।

आमेर की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

446. श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार आमेर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): जी हां। विधान सभा क्षेत्र आमेर में क्षतिग्रस्त एवं नॉन पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण के प्रगतिरत कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

विधान सभा क्षेत्र की शेष क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत विभागीय मद द्वारा समय-समय पर आवश्यकता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर की जाती है।

इसके अतिरिक्त बजट घोषणा में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10.00 करोड़ रुपये की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण के कार्य करवाये जाने की घोषणा की गयी है जिसमें से राशि रु. 5.00 करोड़ तक मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण करवाये जा सकेंगे। इस घोषणा अनुसार विधान सभा क्षेत्र आमेर में भी सड़कों के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): मेरे को जवाब मिल गया।

श्री अध्यक्ष: ठीक। पूरक प्रश्न पूछो।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): मेरा पूरक प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष: आ गये होंगे, मुझे दिख रहा है। अब टाइम हो गया, जिस समय पुकारा, उस समय होना चाहिए। मैंने 11 बजे से पहले तो नहीं पुकारा। ...(व्यवधान)... अब लास्ट में जब हो जायेंगे तो आपका लास्ट में ले लेंगे। ...(व्यवधान)... यह क्रम है, यदि उस समय एब्सेंट हैं तो लास्ट में जैसा होगा, ले लेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिक लागत के कारण नांगल चौंप रोड से डोला की ढाणी व जैतपुरा से पारीकों की ढाणी वाया नारदपुरा सड़क के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं कई वर्षों से, इस कारण से यहां के आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या सरकार इन सड़कों को अतिरिक्त बजट देकर स्वीकृत करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इस सम्बन्ध में आपने अभी बताया कि कई सालों से सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है तो इस बार हर विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ का प्रोविजन रखा है कि 10 करोड़ की चाहे नॉन पेचेबल, 5 करोड़ और 5 करोड़ मिसिंग लिंक का हम लोग सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और नई सड़कें भी इस बार बजट में घोषणा की है तो वो भी ली जायेंगी। माननीय सदस्य की अगर कोई भी ऐसी सड़क हो तो वो मुझे दे दें तो उसका परीक्षण करवा लेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो बिलकुल निश्चित रूप से उनकी रिपेयरिंग भी होगी और अगर कोई नई सड़क है तो नई सड़क का परीक्षण भी करवाकर उसका काम भी हम लोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न कोई पूछेंगे?

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार मिसिंग लिंक व नॉन पेचेबल सड़कों के निर्माण हेतु सड़कों के चयन का क्या आधार रखती है? यह किनकी अनुशंसा पर स्वीकृत की जाती हैं?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक कमेटी का गठन किया है। जैसी माननीय सदस्य को जानकारी है कि कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है जिसमें हमारे वहां के एक्स ईएन, एस ई वगैरह उनको हमने किया है और वो उसके आधार पर वहां पर जो भी आवश्यकता होती है उसके बाद वो वहां से जो भी सड़कों की सूची आती है उस आधार पर हम लोग उसकी घोषणा करते हैं।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): पूर्व के बजटों में इस प्रकार से हम लोगों को उस आधार पर बजट आवंटन नहीं किया गया। आगे इस बारे में आप अपना सदन को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जब पिछली सरकार में भी इसी प्रकार की कमेटी बनी थी, उस समय किसी जन-प्रतिनिधि को इस कमेटी में इन्क्लूड नहीं किया गया था। हमारी सरकार तो सभी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो जन प्रतिनिधि हों, जनता हो, आम जनता हो, सभी से पूछकर ही इन चीजों को आगे ले जाती है, लेकिन अगर जैसा मैंने पहले भी कहा, पहले उत्तर में भी मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि ऐसी कोई सड़क है जो माननीय सदस्य को लगता है कि आवश्यकता है उस सड़क की, चाहे रिपेयरिंग हो चाहे नई सड़क हो, तो निश्चित रूप से मुझे बतायें, हम लोग उस पर कार्य करेंगे, परीक्षण करवाने के बार पूरा उसको देखेंगे।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। ...(व्यवधान)... पूछिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपने एप्रोप्रिएशन बिल पर कहा था कि विधायक अपने प्रस्ताव देंगे, उसके आधार पर हम स्वीकृत करेंगे। तो आप चाहे कमेटी करे पर वो कमेटी विधायकों से प्रस्ताव ले, यह तो एन्श्योर करें आप। जब मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगी, मैं तीसरी बार एक ही बात रिपीट कर रही हूं कि अगर यदि ऐसी कोई सड़क है तो आप कमेटी को भी भेज दीजिये और मुझे भी आप व्यक्तिगत रूप से मिले तो बिलकुल उस पर उसका पूरा इंस्पेक्शन करवाने के बाद अगर सच्ची में लगता है कि ऐसी सड़क है तो उसको बिलकुल टेक-अप करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें एक क्लेरिटी की आवश्यकता है। कमेटी किसी के भी कहने से सड़क दे सकती है। जन-प्रतिनिधि भी, एम एल ए भी, आम पब्लिक भी, एक नम्बर बात। बात यह हो रही है, अपने क्वेश्चन के जवाब में आप आश्वासन दे रही हैं वो आप डाइरेक्ट दे सकते हैं, वो एक माननीय सदस्य की बात हो गयी लेकिन जो एक मुख्य मंत्रीजी ने बात कही है कि जो हमने आपका एम एल ए कोटा 23 करोड़ कर दिया, 10 करोड़ पिछला, 10 करोड़ ये, 3 करोड़ रुपये बिल्डिंग का, तो उनका जो कहना था कि वो विधायक की अभिशंसा पर है और कमेटी जो करती है वो बिना विधायक की अभिशंसा पर भी कर सकती है। तो मेरा आग्रह यही है कि मुख्य मंत्रीजी ने जो सदन के अन्दर बात कही है माननीय मंत्रीजी, उसकी पालना आप करायेंगे क्या? ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): मैं जब आपको बहुत आश्वासन क्लियरली दे ही रही हूं कि जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी बजट रिप्लाई में कहा कि अगर विधायक की अनुशंसा पर हम काम करेंगे और यह उनकी भी ऐसा नहीं है कि यह कमेटी है यह सभी की अनुशंसा लेगी, जाकर वास्तविक स्थिति भी देखेगी, उसकी जांच भी करेगी, उसके बाद जो भी प्रपोजल आयेंगे वो प्राथमिकता से हम देखेंगे कि कौनसी पहले लेनी है और कौनसी बाद में लेकिन डेफिनेटली वो सारी सड़कें रिपेयर करनी ही है न। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, विराजिये।

अगला प्रश्न। मनीष यादव। ...(व्यवधान)... हो गया। दो प्रश्न हो गये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्लियरिटी नहीं आ रही। ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): जैसा आपने किया था, आपका ही किया हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्री मनीष यादव। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके सदन के नेता आश्वासन दे चुके हैं, उसको भी आप नहीं मान रहे हैं?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): उसी को तो मैं दोहरा रही हूं। सदन के नेता ने यह आश्वासन दिया है कि हमारे माननीय सदस्य हैं उनकी राय ली जायेगी, वो देंगे जो प्रस्ताव और इस बार बजट में भी ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी कि पिछले बजट में और इस बार जितना कुछ मिला है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी के हमारे एम एल एज हैं, ये बिना भेदभाव के इस बार बजट में और पिछली बार बजट में भी हमने दिया है। आपकी पार्टी के जो एम एल एज हैं उन्होंने भी इस बात को माना है, सदन में एक्सेप्ट किया है कि बिलकुल इस बार ऐसा बजट दोनों बार आया है, जो इससे पहले कभी नहीं आया। जो पिछली सरकार में हुआ है वो हम होने नहीं देंगे क्योंकि उस समय पता है, यही कमेटी, ऐसी ही कमेटी किसी भी हमारे एम एल एज को नहीं पूछा गया था उस समय।

श्री अध्यक्षः श्री मनीष यादव। माननीय मंत्रीजी।

निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन तथा सर्वाइकल कैंसर की जांच

447. श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश के चिकित्सालयों में लड़कियों एवं महिलाओं के लिए निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन तथा सर्वाइकल कैंसर एवं स्तन कैंसर की निःशुल्क जांच की जा रही है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में कितनी लड़कियों व महिलाओं के वैक्सीन व जांच की गयी? जिलावार व अस्पतालवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु देशी घी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हां। राज्य में एनपी-एनसीडी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वस्थ नारी चेतना अभियान चलाकर महिलाओं में ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत माह अप्रेल, 2024 से जनवरी, 2025 तक की गयी स्क्रीनिंग का जिलेवार एवं संस्थावार विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में सर्वाइकल एवं स्तन कैंसर की जांच

सुविधा मुफ्त में की जा रही है। विगत 1 वर्ष में सर्वाइकल एवं स्तन कैंसर की हुई जाँच का अस्पतालवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

भारत सरकार के दिशा-निर्देश उपरान्त राज्य में बालिकाओं को मुफ्त एचपीवी वैक्सीन लगायी जायेगी। भारत सरकार द्वारा एचपीवी वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के संकल्प पत्र 2023 में राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को पांच लीटर देशी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गयी। जिसकी क्रियान्विति प्रक्रियाधीन है।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रश्न का जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देशी घी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, परंतु सरकार ने दो बजट पेश करने के बावजूद आज तक एक भी महिला को 5 लीटर देशी घी उपलब्ध नहीं करवाया है, जबकि गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह बेहद आवश्यक है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि गर्भवती महिलाओं को 5 लीटर देशी घी किस तारीख तक उपलब्ध करवा दिया जायेगा? जब आप कह रहे हैं कि 80 प्रतिशत से ज्यादा घोषणाएं आपने पूरी कर दी है, डबल इंजन की सरकार है और गरीब महिलाओं को देशी घी का जो संकल्प पत्र में आपने वादा किया वो आप नहीं दे पा रहे हैं, इस पर उनका स्पष्ट जवाब चाहिए कि किस तारीख तक आप दे देंगे?

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो। माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 जो जिले हैं, टोंक, धौलपुर, बारां, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनूं और जैसलमेर, इनमें बी पी एल के परिवार और फर्स्ट डिलीवरी में 4 से 6 महीने पर 3 लीटर उनको घी दिया जाता है और डिलीवरी के पश्चात् 2 लीटर, इसके अलावा जो दूसरे जिले हैं, जहां पर बी पी एल, आस्था कार्ड, सहरिया परिवार, कथौड़ी जनजाति, इनको डिलीवरी के पश्चात् सरस का कूपन देकर 5 लीटर घी दिया जाता है।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके संकल्प पत्र के आधार पर पूछा है। इनका जवाब है कि देशी घी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में घोषणा की गयी जिसकी क्रियान्विति प्रकियाधीन है। 1 भी जगह पर 5 किलो घी देने का जो इनके संकल्प पत्र का वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं यह स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि वो किस तारीख तक 5 किलो घी मिल जायेगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बजट में क्या प्रावधान है? वो वित्त विभाग को आपने भेज भी दिया कि नहीं भेज दिया? इसका स्पष्ट जवाब सदन के सामने दें माननीय मंत्रीजी।

Ans/rtm 11.10 1b 20.03.2025

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पांच लीटर घी तो दिया ही जा रहा है। मैंने दूसरे ज़िलों का भी बोला, इनका भी बोला।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): कहां दिया जा रहा है?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी सरकार के साढ़े तीन साल और बचे हुए हैं, उसके अन्दर हम कोशिश करेंगे पांच लीटर घी हम ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को दे।

श्री अध्यक्ष: यह पूछ रहे हैं कब तक देंगे?

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। पांच किलो घी का संकल्प पत्र में वादा था, उसका स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं है। संकल्प पत्र का वादा इनको पूरा करना है, इसको लेकर किस तारीख तक होगा, वह जवाब सदन को बताये, राजस्थान को बताये।

श्री अध्यक्ष: दो हो गये। कोई कहना है? अगला प्रश्न।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): जवाब ही नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हमें कुछ नहीं चाहिए, मंत्री जी ने खुद जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, आपका हो गया। बल्कि तीन हो गये दो की जगह।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपका सैकण्ड में जवाब है कि हम संकल्प पत्र 23 में राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को पांच लीटर देशी घी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में घोषणा की गई है, जिसकी क्रियान्विती प्रक्रियाधीन है। हम तो यही पूछ रहे हैं कि प्रक्रिया कब पूरी होगी? मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो सबको घी दे रहे हैं। आपका जो जवाब है वह पूछ रहा हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, संकल्प पत्र में कोई तिथि नहीं लिखी हुई थी कि इस तारीख तक करेंगे। अभी हमारे पास ऑलरेडी साढ़े तीन साल है। हम पूरे प्रयास करेंगे। इसको फेज्ड मेनर में किया जाएगा। एक साथ नहीं किया जाएगा, फेज्ड मेनर में किया जाएगा।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजो। इन्होंने पूछ लिया।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी। संकल्प पत्र में था उसको फेज्ड मेनर में हम ले लेंगे, अभी साढ़े तीन साल से ज्यादा हमारे पास टाइम है। जल्दी करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): छह महीने में, साल में, दो साल में?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने बोला ना फेज्ड मेनर में हम कर

देंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पहले तो आप मना ही कर रहे थे कि हमारी घोषणा ही नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मना नहीं किया। मैंने पांच लीटर के बारे में बात की। मना कभी नहीं किया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री सक्षम है।

प्रश्न संख्या 448

अगला प्रश्न। श्री जगत सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री पब्बाराम विश्नोई। प्रश्न नम्बर बोलो।

समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद

449. श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में कितने मैट्रिक टन बाजरे का उत्पादन हुआ तथा सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितना बाजरा खरीदने का लक्ष्य रखा गया तथा कितने बाजरे की खरीद हुई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2023-24 में लक्ष्य के अनुपातिक खरीद नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वर्ष 2024 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी फसल खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) प्रदेश में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में राजस्व मंडल अजमेर से प्राप्त अंतिम अनुमानों के अनुसार बाजरा फसल का वर्षवार उत्पादन निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	**वर्ष**	**उत्पादन (टन में)**
1.	2021-22	43,13,777
2.	2022-23	59,18,718
3.	2023-24	43,82,760

खरीफ विपणन सीजन 2021-22 से 2023-24 के दौरान प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया व तदनुसार खरीद भी नहीं की गई है।

(2) बिंदु संख्या 01 में सम्मिलित है।

(3) प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीफ फसल की खरीद सहकारिता विभाग एवं खाद्यान्न फसलों की खरीद हेतु खाद्य विभाग नोडल विभाग है।

राजफैड से प्राप्त सूचनानुसार समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीफ फसल की खरीद लक्ष्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। वर्ष 2024 में खरीफ फसल खरीदने का लक्ष्य निम्नानुसार है:-

खरीफ 2024-25

क्र.स.	जिन्स	भारत सरकार निर्धारित लक्ष्य (मै0टन)
1.	मूंग	2,38,988.00
2.	उड़द	1,49,240.00
3.	मूंगफली	5,31,828.00
4.	सोयाबीन	2,94,320.00

खाद्य विभाग द्वारा वर्ष 2024 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

राजफैड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीफ फसल की खरीद हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देश दिनांक 18.10.2024 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया है। विस्तृत उत्तर चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया, पूरक पूछिये।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय बाजरा खरीद वाला मुद्दा है उसमें आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि भारत के अन्य किन-किन राज्यों में बाजरे की खरीद एम एस पी पर की जाती है? क्या प्रधान मंत्री जी के मोटे अनाज को सीएन घोषित करने व जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के बाद, क्या बाजरे के मूल्य में वृद्धि हुई है? किस प्रकार की वृद्धि दर्ज हुई है? आप यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बाजरे की किन-किन राज्यों में खरीद की जा रही है तो भारत में गुजरात में खरीद की जा रही है जिसमें 2024-25 में 936 किसानों से 3 हजार 818 मैट्रिक टन खरीद की गई। हरियाणा में 01 लाख 59 लाख 67 किसानों से 04 लाख 48 हजार 387 मैट्रिक टन खरीद की गई बाजरे की। उत्तर प्रदेश में 16 हजार 817 किसानों से 01 लाख 01 हजार 311 मैट्रिक टन खरीद की गई। माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि क्या माननीय प्रधान मंत्री जी के श्री अन्न योजना पर जोर देने के बाद, फोकस करने के बाद, बाजरे का मूल्य, बाजार में किसानों को क्या भाव मिलने लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 2014 में बाजरा का समर्थन मूल्य 1250 प्रति क्विण्टल था और 2024 में माननीय प्रधान मंत्री जी की सरकार में बाजरे का समर्थन मूल्य 1250 से 2625 प्रति क्विण्टल हो गया है। ना सिर्फ यह प्रति क्विण्टल समर्थन मूल्य है

बल्कि बाजार में आज हम देख रहे हैं गेहूँ और बाजरे का समर्थन मूल्य से ज्यादा किसान को मिलने लगा है वह इसी वजह से कि प्रधान मंत्री जी ने किसानों की डबल इनकम पर फोकस किया और श्री अन्न को प्रोत्साहित किया उससे बाजरे का बाजार भाव बढ़ा।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में मूँगफली उत्पादन जबरदस्त होता है। पूर्वी राजस्थान में एक ही जिला है जिसमे सबसे ज्यादा होता है। यशस्वी मुख्य मंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा 25 क्विण्टल के स्थान पर इस बार 40 क्विण्टल खरीदने का आदेश निकाला इसके लिए धन्यवाद देते हुये..

श्री अध्यक्षः प्रश्न।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): मैं अपना प्रश्न करता हूं कि आपने तीसरी बार खरीद के लिये डेट बढ़ाकर, सारे पंजीकृत किसानों का मूँगफली खरीदवाने का काम किया, अप्रत्याशित है, आपको बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय, प्रश्न पूछो।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): मेरा प्रश्न है कि इसमें विशेषकर देरी इसलिए हो रही है कि वेयर हाउसेज की कमी है। देरी इसलिए हो रही है कि बारदाना नहीं आ रहा।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछो।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): क्या सरकार भविष्य में कृषि जिंस खरीदने जैसे गेहूं...

श्री अध्यक्षः प्रश्न तो पूछो।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): स्टोरेज करने के लिये वेयर हाउसेज अधिक बढ़ाने के लिए, बारदाना समय पर उपलब्धता करवाने का आश्वासन देते हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न बिलकुल किसानों के हित में है। इन्होंने कहा कि मूँगफली में बारदाने की दिक्कत आई। पहली बार ऐसा हुआ कि बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य में 2500 रूपये का फर्क था और 01 लाख रुपये प्रति किसान को लाभ मिला, इस वजह से बारदाने की डिमांड ज्यादा हुई। जितना हमारा लक्ष्य था उससे ज्यादा मूँगफली सरकार के पास आई। मैं आश्वस्त करुंगा कि बारदाने की कमी नहीं आयेगी। माननीय भजनलाल जी ने जिस तरह से 25 से 40 क्विण्टल किया, तीन बार तारीख बढ़ाई, किसानों के हित लिए सरकार हमेशा तैयार है तथा और भी हित में जो निर्णय होंगे सरकार लेती रहेगी।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और है..

श्री अध्यक्षः आपके दो हो गये। आप दूसरे मुद्दे पर समय लगा रहे हो।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पिछले पांच सालों में मूँगफली की खरीद एक लाख क्विण्टल हुई है। आपने इसी साल में पांच लाख क्विण्टल खरीदकर ...(व्यवधान)... धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछ रहे हो? क्या कर रहे हो? यह प्रश्न कहां पूछ रहे हो?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, यह कई जगह उठाया जा रहा है। यह बड़ा गम्भीर विषय है। मुझे ध्यान आ रहा था, वैसे तो एक ही सैकण्ड की बात है। शोले फिल्म में धर्मेन्द अमिताभ की इतनी बुराई करते हैं, तब भी वह उसमें कमी नहीं बताते।

श्री अध्यक्षः आप सीधा प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने समर्थन मूल्य पर बाजरे का एक दाना नहीं खरीदा। मूँगफली खरीद में बीकानेर में भरी गड़बड़ी हुई है। हकीकत यह है कि गेहूँ खरीद की तो तैयारी चल रही है और बाजरा बाजार में आया हुआ है उसको नहीं खरीद रहे। तो यह एम एस पी का नाटक क्यों कर रखा है? या तो आप खरीदो, इस पर मुझे जवाब दे दीजिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में बाजरा श्री अन्न का वादा किया है। हमारे संकल्प पत्र के 14 महीने में 58 परसेंट वादे पूरे हुए हैं, तो जल्दी ही शत-प्रतिशत वादे पूरे होंगे, उसमें यह भी होगा। ...(व्यवधान)... आज किसान खुशहाल है।

श्री अध्यक्षः विराजो। अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना में गौशालाओं को अनुदान

450. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौशाला खोलने के लिए अनुदान देने की योजना है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गौशालायें खोली गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है तथा माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक किन-किन गौशालाओं को, कितना अनुदान दिया गया? प्रत्येक गौशालावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा प्रदेश में गौसंवर्द्धन व गौ-हितार्थ हेतु कौन-कौनसी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): गौशालाओं की स्थापना/स्वयंसेवी संस्था/ट्रस्टों द्वारा की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना की किसी भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजनान्तर्गत गौशाला की स्थापना नहीं हुई है।

(2) वर्तमान में मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र की 18 पात्र गौशालाओं को माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक राशि रुपये 12.59 करोड़ का अनुदान दिया गया है। गौशालावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में गौसंवर्धन एवं संरक्षण हेतु वर्तमान में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है :-

1. राजस्थान गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में

उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश को भरण-पोषण हेतु सहायता राशि।

2. पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना जनसहभागिता योजना।

3. ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना ।

4. गौशाला विकास जनसहभागिता योजना।

5. गौकाष्ठ मशीन योजना।

उक्त योजनाओं में पात्र पंजीकृत गोशालाओं को गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौशालाओं में संधारित गौवंश को चारे-पानी एवं पशु आहार हेतु अनुदान तथा आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): मेरे पास उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ चुका है तो पूरक प्रश्न पूछो।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय मंत्री जी, मेरे मनोहर थाना में 18 गौशालाएँ हैं और 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक इनका अनुदान दे दिया गया, इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन 18 गौशालाओं में आवलऐडा, सोरती, अर्जुनपुरा और ओमरिया गौशालाओं की अनुदान राशि नहीं दी गई है, तो यह कब तक दे देंगे? इसके क्या कारण रहे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पात्र 18 गौशालाएँ मनोहर थाना विधान सभा में थी, उन 18 गौशालाओं को 12.59 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में जारी हो गई है। मनोहर थाना क्षेत्र में जो बाकी गौशालाएँ हैं, छह गौशालाएं ऐसी हैं जिनको अनुदान नहीं मिला है। जिनमें से दो गोशाला, आजनी गौशाला समिति सारडा और केशवप्रिय गौ सेवा समिति बाल्टा अक्रियाशील है, इनमें गाय नहीं है। संस्था भले ही संचालित है, लेकिन गाय नहीं है। गौवंश नहीं है। चार गौशाला ऐसी है, राम जानकी गौ सेवा समिति टोडरा, श्री गोपाल गो सेवा समिति जालमपुरा, गोविन्द गो सेवा समिति गणेशपुरा, श्री गोपाल गो सेवा समिति गरबाली ये चार गौशालाएं हैं, इनका भौतिक सत्यापन एक साल में दो बार होना चाहिए था, लेकिन दो बार भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। गौशालाओं को अनुदान के लिए हमारे विभाग की प्रक्रिया है, पोर्टल पर आवेदन करना होता है छह महीने में, आवेदन करने के बाद हमारे विभाग के अधिकारी जाकर उनका भौतिक सत्यापन करते हैं। अगर भौतिक सत्यापन में 100 गौवंश से ज्यादा वहां पाये जाते हैं तो उनको अनुदान की प्रक्रिया में जोड़ा जाता है।

MLS/RTM/20.03.2025/11:20/1c

दो बार भौतिक सत्यापन के बाद में तीसरे भौतिक सत्यापन में उनको अनुदान दिया जाता है। यह गौशाला उसमें पात्रता नहीं रखती। उन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं किया, इसलिए

उनको अनुदान नहीं मिला।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में गौमाता की दयनीय स्थिति है, बरसों से जो गौशालाएं संचालित हैं, क्या सरकार उनको भूमि आवण्टित करने का विचार रखती है। यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे राजस्थान में 4,140 के आसपास गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें 3,043 पात्र गौशालाओं को हमने इस बार अनुदान दिया है।

श्री अध्यक्ष: ये तो मनोहर थाना का ही पूछ रहे हैं।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): मनोहर थाना में 18 गौशालाओं को अनुदान दिया है। 17 जो अपात्र हैं, उनको नहीं दिया। अब कई गौशालाएं ऐसी हैं, इनके मनोहर थाना क्षेत्र में भी होंगी और राजस्थान के दूसरे जिलों में भी हैं, जिनके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है। कई गौशालाएं चरागाह भूमि और कई सिवायचक भूमि पर स्थित हैं। जो सिवायचक जमीन पर स्थित हैं, उनको भूमि आवण्टित करने की प्रक्रिया है।

जिला कलक्टर उनको भूमि आवण्टित करता है, लेकिन जो गौशालाएं चरागाह में स्थित हैं, उनमें गुलाब कोठारी द्वारा जो रिट लगायी गयी है, कोर्ट का फैसला है कि हम उनको चरागाह भूमि में से गौशालाओं या किसी व्यक्ति विशेष को अलॉट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी गौशालाएं इनके हैं तो उनमें तो नहीं हो सकता, लेकिन यदि वो कोई गौशालाओं को ट्रांसफर करके सिवायचक पर स्थानान्तरित करेंगे और फाइल लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनमें भूमि आवण्टन की प्रक्रिया हम करवाएंगे।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रेवन्त राम डांगा। प्रश्न संख्या बोलो।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या।

खींवसर में आरक्षित वन क्षेत्र

451. श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कितने हैक्टेयर भूमि पर वर्गीकृत, रक्षित एवं आरक्षित श्रेणी का वन क्षेत्र मौजूद है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध वन भूमि पर वन क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में पौधारोपण पर कितनी राशि व्यय की जाकर कहां-कहां, कितने-कितने पौधे लगाये गये और उनमें से वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः जवाब आ गया क्या? नहीं तो फिर जवाब ले लें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र खींवसर में वर्गीकृत, रक्षित एवं आरक्षित वन क्षेत्र स्थित नहीं है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खींवसर में अवर्गीकृत वन भूमि पर वन क्षेत्र विकसित करने हेतु आवण्टित बजट के अनुसार वृक्षारोपण कार्य किये जाते हैं।

(3) विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः चलिये। श्री गोरधन।

सीकर कृषि उपज मण्डी में दुकानों का आवण्टन

452. श्री गोरधन (धोद): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मण्डी, सीकर में दुकान आवण्टन की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी, सीकर में माह मार्च, 2019 से मार्च, 2024 के मध्य कितनी दुकानें, किस आधार पर, किन-किन को आवण्टित की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के संवर्धन व प्रोत्साहन हेतु दुकान आवण्टित करने में कोई वरीयता दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार सीकर कृषि उपज मण्डी परिसर में नवीन दुकानें आवण्टित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कितनी व नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) कृषि उपज मण्डी समिति सीकर में भूखण्डों का आवण्टन अचल सम्पत्ति आवण्टन नीति, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति सीकर में मार्च 2019 से मार्च 2024 तक 65 भूखण्डों तथा 1 निर्मित दुकान मय गोदाम का आवण्टन किया गया है। आवण्टन का आधार एवं आवण्टी के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समितियों में भूखण्ड आवण्टन के लिए अचल सम्पत्ति आवण्टन नीति, 2005 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग एवं कृषक वर्ग हेतु आरक्षित भूखण्डों में 28 प्रतिशत भूखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित कर आवण्टन का प्रावधान है।

(4) वर्तमान में व्यापारियों द्वारा भूखण्ड आवण्टन की मांग नहीं होने के कारण मुख्य मण्डी प्रांगण सीकर में आवण्टन प्रक्रिया विचाराधीन नही है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि

जिस प्रकार से 2019 से लेकर 2024 तक जो दुकानें या भूखण्ड या गोदामों के लिए जो जगह आवण्टित की गयी थी, उसमें आपके पास में कितने फॉर्म्स आये थे, कितने फॉर्म्स स्वीकृत और कितने अस्वीकृत किये गये और दुकानों का आवण्टन किस प्रकार से आपके द्वारा किया गया? यह मेरा आग्रह रहेगा।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 220 आवण्टन चिह्नित दुकानों हेतु प्राप्त हुए थे, जिनमें से 4 आवण्टन निर्मित दुकान हेतु गोदाम के लिए 31.03.2003 को आवण्टन समिति द्वारा, जिसमें 65 भूखण्ड एवं एक निर्मित दुकान मय गोदाम का आवण्टन किया गया, जिसमें द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरण में में निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्धारित आरक्षित दर अनुसार लॉटरी पद्धति से किया गया, जिसमें 22 दुकानें फल-सब्जी मण्डी में, 1 दुकान कम गोदाम और 43 दुकानें अनाज मण्डी में नियमानुसार की गयी हैं।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आपने कहा है कि इसमें एस सी और एस टी के लिए 2005 के प्रावधान के अनुसार 28 परसेंट आरक्षण दिया गया है तो उसमें एस सी और एस टी के लिए कितने फॉर्म्स आपके पास में आये, कितनों को स्वीकृत किया, कितनों को अस्वीकृत किया और क्या आवण्टन होने के बाद में भी उनको निरस्त किया गया? कई अखबारों में, कई जगह ऐसी मीडिया के माध्यम से बात भी सामने आयी कि इसमें धांधली की गयी। क्या उस समय इसमें धांधली की गयी? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, फल-सब्जी मण्डी में जो 22 दुकानें आवण्टित की गईं, उसमें अनुसूचित जाति महिला कृषक वर्ग में 2 भूखण्ड दिये गये और अनुसूचित जनजाति महिला कृषक वर्ग में 1 भूखण्ड का आवण्टन किया गया। साथ में ही, जो अनाज ब्लॉक है, उसमें अनुसूचित जाति महिला कृषक वर्ग से 2 और अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग से 1 का आवण्टन किया गया। नियमानुसार सारा आवण्टन किया गया, फिर भी माननीय सदस्य को कहीं लगता है तो आप जरूर कहिये, हम जांच करा देंगे और 1 भूखण्ड है, जो निरस्त किया गया अनुसूचित जनजाति महिला श्रीमती सुनीता का, जिसका कारण यह था कि वे फतेहपुर मण्डी के क्षेत्र में आती हैं और जब उन्होंने आवण्टन किया था, तब वे सीकर मण्डी के अन्तर्गत आती थीं। शादी के बाद उनका क्षेत्र वह हो गया, इसलिए उनका आवण्टन निरस्त किया गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल।

गोगुन्दा में सड़कों की मरम्मत

453. श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वर्ष 2024 में बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी? स्वीकृत राशि में से कितनी राशि, किस-

किस मद में व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत वर्षों में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कई सड़कें व पुलिया आदिनांक तक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वर्ष 2024 में बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए एस.डी.आर.एफ. योजनान्तर्गत 198 सड़क कार्यों राशि रु. 346.50 लाख की अस्थायी मरम्मत हेतु एवं स्थायी मरम्मत के लिए 11 कार्यों राशि रु. 853.97 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्वीकृत राशि में से मदवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 22 पुलियाओं के जीर्णोद्धार के लिए राशि रु. 343.39 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें से 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष 20 कार्य प्रगतिरत् हैं। इनके अतिरिक्त 65 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जो नॉन पेचेबल स्थिति में हैं। इस श्रेणी की सड़कों की मरम्मत के लिए बजट वर्ष 2025-26 में घोषणा संख्या 17 दिनांक 27.02.2025 में मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए राशि रु. 15 करोड़ प्रति विधान सभा क्षेत्र की घोषणा की गयी। इस राशि में से रु. 5 करोड़ लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य करवाये जाएंगे। इस घोषणा के अनुसार प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाकर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर नॉन पैचेबल सड़कों के मरम्मत कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। विवरण परिशिष्ट-2(अ) एवं 2(ब) पर प्रस्तुत है।

इनके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत विभागीय मद द्वारा समय-समय पर आवश्यकता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर की जाती है।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2016-17 में अतिवृष्टि में भी हमारे यहां पर बहुत सारी पुलियाएं अभी भी क्षतिग्रस्त हैं। वे कब तक ठीक करा दी जाएंगी?

उसके अलावा हमारे यहां पर गोगुन्दा से ओगणा जो सड़क थी, वह 2016-17 के बजट में स्वीकृत हुई थी। उसकी 16 किलोमीटर तक की तो रोड बना दी, 3 किलोमीटर वह आज भी अधूरी पड़ी है। उस सड़क को आप कब तक बनाएंगे?

उसके अलावा, 2022-23 की बजट घोषणा में गत सरकार में खाखड़ी से सायरा तक की रोड के लिए स्वीकृति जारी हुई थी, लेकिन उसका काम भी 3-4 साल होने को आये हैं, अभी तक वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ, उसे कब तक कराएंगे?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक साथ ही 3 प्रश्न पूछे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी क्षमता अधिक है न, इसलिए पूछे हैं।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): पहले प्रश्न का तो यह जवाब है, विधान सभा क्षेत्र

गोगुन्दा में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में बरसात से क्षतिग्रस्त 22 पुलियाओं की स्वीकृति जारी की गयी थी। इनमें से 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष 20 कार्य प्रगतिरत् हैं।

mkd/rtm/20.03.2025/11:30/1d

इसके बाद भी अगर कोई क्षतिग्रस्त पुलिया स्वीकृत होने से शेष रह गई तो मैं परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्यवाही करवा दूंगी। यह तो मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे रही हूं।

दूसरा, जो प्रश्न पूछा है, गोगुन्दा से ओगणा सड़क, जिसकी 19 किलोमीटर की स्वीकृति जारी की गई थी। विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बजट घोषणा वर्ष 2017-18 में गोगुन्दा से ओगणा सड़क 19 किलोमीटर की स्वीकृति जारी की गई थी, का कैरिज-वे 3.75 मीटर से 5.50 मीटर चौड़ाईकरण हेतु राशि रुपये 18.34 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिनांक 13.06.2017 द्वारा जारी हुई थी।

गोगुन्दा से ओगणा सड़क की स्थिति यह है कि यह सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है, यह सड़क वन क्षेत्र के अन्दर है। जिसमें से 16 किलोमीटर तक वन विभाग से चौड़ाईकरण कार्य की अनुमति प्राप्त हो गई थी तो 16 किलोमीटर की अनुमति प्राप्त हो गई थी, शेष 2.60 किलोमीटर की वन विभाग की स्वीकृति हेतु 3.75 मीटर से 5.50 मीटर प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित किया गया था। जिस पर उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा मौजूदा 3.75 मीटर चौड़ी सड़क पर ही डामरीकरण करने की स्वीकृति जारी की गई थी। जिस कारण से उक्त किलोमीटर में चौड़ाईकरण का कार्य नहीं किया जा सका एवं इसी अनुरूप 2.60 किलोमीटर लम्बाई 3.65 मीटर चौड़ाई में ही डामरीकरण कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्षः ये ही पर्याप्त हैं।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): खाखड़ी से सायरा सड़क निर्माण की जो बात इन्होंने की। खाखड़ी से सायरा सड़क निर्माण की स्वीकृति बजट घोषणा संख्या 74/2022-23 में राशि रुपये 23 करोड़ 10 लाख जारी हुई थी। कार्यादेश अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खंड (द्वितीय), उदयपुर के द्वारा दिनांक 27.10.2022 को राशि रुपये 16 करोड़ 78 लाख का जारी किया गया, जिसमें कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की नियत तिथि..।

श्री अध्यक्षः अब तीन हो गये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): क्रमशः 12.11.2022 एवं 11.11.2023 थी। सड़क पर स्थित मुख्य कस्बों यथा जसवन्तगढ़, पदराड़ा, तरपाल सायरा एवं रावों का सायरा में ही सी.सी. कार्य चौड़ाईकरण के लिए अतिक्रमण हटाने हेतु उपखंड स्तरीय कमेटी गठित की गई एवं कस्बों में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में समय लगने से कार्य की प्रगति बाधित हुई।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री आदूराम। हो गया आपका।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो हुआ नहीं।

श्री अध्यक्षः नहीं हुआ? मैंने सोचा पूरा हो गया।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): क्योंकि एक साथ तीन प्रश्न पूछे..।

श्री अध्यक्ष: बहुत लम्बा हो गया, आप पूरा कर लें भले। नहीं, आप पूरा कर सकती हैं। सप्लीमेंटरी, नहीं दो, तीन हो गये। आपको इतना लम्बा उत्तर भी मिल गया।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): वैसे तीन एक साथ ही पूछ लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय सदस्य की कोई भी ऐसी बात है तो उसको टेक-अप कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: बाकी व्यक्तिगत मिल लेना, कोई डिटेल।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): जी।

श्री अध्यक्ष: श्री आदू राम मेघवाल।

चौहटन (बाड़मेर) में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

454.श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) प्रशिक्षण केंद्र कहां-कहां संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला बाड़मेर में उपखण्ड मुख्यालय पर चौहटन में नवीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी हां। वर्तमान में प्रदेश में एएनएम कोर्स हेतु कुल 34 राजकीय संस्थान संचालित है। जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला बाड़मेर में चौहटन उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र खोलने हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर आगामी वित्तीय वर्षों में विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चौहटन उपखंड मुख्यालय पर वर्तमान में खाली पड़े 50 बैड के फील्ड हॉस्पिटल भवन को ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र में तब्दील कर उपयोग में लेने का विचार रखती है जो निर्माणाधीन जिला अस्पताल भवन के बिलकुल नजदीक है? यदि हां तो कब तक? इस हेतु क्या भावी कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक आ गया ना, प्रश्न का उत्तर आ जाए। फिर अगला पूछ लेना। माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे राजस्थान के अन्दर अभी 34 ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर स्थापित हैं। आठ पुराने जिलों में आ गए हैं। अभी आठ और आने वाले हैं, वे अजमेर, बालोतरा, कोटपूतली,

फलौदी और सलूम्बर के अन्दर आठ में से पांच की वित्तीय स्वीकृति ऑलरेडी मिल चुकी है और उनके लिए हम जमीन अभी ढूंढ रहे हैं। जमीन जैसे ही उपलब्ध होती है, शीघ्र उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। एक ट्रेनिंग सेंटर के लिए पांच करोड़ रुपये लगते हैं।

जो तीन बचे हुए हैं, डीग, डीडवाना और खैरथल, हम उनको इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्दर 16वें फाइनेंशियल कमीशन में पी.आई.पी. के थ्रू टेक-अप कर लेंगे। इश्यू यह है, जो माननीय सदस्य पूछना चाह रहे हैं, बालोतरा के अन्दर ऑलरेडी सैंक्शंड हैं। अभी उसका काम भी शुरू होने वाला है, लेकिर बाड़मेर जिला जो हैं, बाड़मेर जिले के अन्दर पहले बालोतरा था और बालोतरा के अन्दर हमारी कई मेडिकल संस्थाएं हैं, बाड़मेर जब सिंगल जिला था उस टाइम में।

श्री अध्यक्षः ये चौहटन का पूछ रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अभी क्या है कि बालोतरा के अन्दर सैंक्शंड हैं। इनका ट्रेनिंग सेंटर अभी चल तो रहा है, पर वह कोई पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है तो इनको 5 करोड़ की बिल्डिंग मिल जाएगी और बालोतरा के अन्दर वह आपका चालू हो जाएगा।

श्री अध्यक्षः दूसरा।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बालोतरा जिला नया बन गया है तो बंटवारा के अन्दर स्वतः ही बाड़मेर का ए.एन.एम. सेंटर था, वह बालोतरा के अन्दर है, पहले है, वह तो बंटवारा में उसमें आ गया। अब जो है..

श्री अध्यक्षः आप तो पूछो। क्या पूछना है, ये बताओ।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): बाड़मेर जिले के अन्दर ए.एन.एम. सेंटर कब खोला जाएगा? यह निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्षः विराजो।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार करता हूं कि बाड़मेर बहुत बड़ा जिला है। अब बालोतरा में यह पहले चला गया था, जब बाड़मेर जिला इंटेक्ट था।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं सुबह से देख रहा हूं, तीन-चार जगह घूम रहे हो। प्रश्नकाल में, मैंने कह रखा है कि अपनी सीट पर विराजो।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये आज मॉर्निंग वॉक पर नहीं गये। बाड़मेर बड़ा जिला है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रायोरिटी के ऊपर हम इसके ऊपर मंथन करके और हम कोशिश करेंगे कि हम अगली जो स्वीकृति लें, वह बाड़मेर में लें।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न, शत्रुघन गौतम।

केकड़ी में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

455. श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नियम विरुद्ध लोगों का चयन कर पात्र लोगों को चयन से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार अपात्र लोगों का नाम सूची से हटाने तथा पात्र लोगों के नाम सूची में जोडने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने परिवार हैं, जो खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र होते हुए भी उक्त योजना से वंचित हैं? सरकार द्वारा उक्त वंचित परिवारों को कब तक उक्त योजना से जोड़ दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): माननीय अध्यक्ष जी, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि (1) खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित मापदण्ड 'राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की अनुसूची-1 में उल्लेखित 32 समावेशन श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी की पात्रता होने एवं निष्कासन मानदण्डों के अन्तर्गत नहीं आने पर अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाती है।

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित मापदण्ड 'राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की अनुसूची-1 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों के सत्यापन के क्रम में चयनित परिवारों/लाभार्थियों के राशन कार्डों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी करवाई जा रही है। तथा माह नवम्बर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार 'गिव-अप अभियान' चलाया जा रहा है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित सक्षम व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने हेतु दिनांक 26.01.2025 को पोर्टल प्रारंभ किया जा चुका है।

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु वर्तमान में 5,831 आवेदन लम्बित हैं, लम्बित आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण जारी है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,61,960 के अनुसार उपलब्ध रिक्त स्थान के विरुद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु कार्यवाही जारी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा योजना में पूर्ववर्ती सरकार ने अपात्र लोगों के बहुसंख्या में, बहुत बड़ी संख्या में नाम जोड़े गये और जो पात्र लोग थे, उनके नाम नहीं जोड़े गये तो कुछ सरकारी कर्मचारी बनने के बाद भी, उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना में चल रहे

हैं। उनका वैरिफिकेशन राजस्थान में, पूरे राज्य में करने का विचार रखते हैं? इस जवाब में, जो मैंने कहा था, उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया कि अपात्र लोगों के लिए क्या कार्यवाही की सरकार मंशा रखती है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे अपात्र लोग, जो सरकारी कर्मचारी बन गये, उन्होंने फिर भी स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र देकर नाम कटवाने का काम नहीं किया, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्यवाही करने की इच्छा रखती है क्या?

Bhs/Rtm/20.03.25/11.40/1e

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी का सरकार बनते ही सबसे पहले काम आम जनता को फायदा मिले, जो भी वंचित है उनको जोड़ा जाये और जो सक्षम लोग हैं वो सूची से बाहर हों उसी को देखते हुए गिव अप अभियान चलाया गया और उसमें मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज की तारीख में 14 लाख 27 हजार लोगों ने...। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, प्रश्न काल को तो रहने दिया करो। दिन भर अपने पास समय है, यहां से वहां, वहां से यहां। हां, बोलिये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, 14 लाख 27 हजार 820 व्यक्तियों ने जो सक्षम हैं उन्होंने स्वेच्छा से गिव अप अभियान के तहत छोड़ा है और उसमें और भी लोग लगातार निरन्तर आ रहे हैं और केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न है कि अपात्र लोग जोड़े गये, बिलकुल यह बात सही है किकाफी इसमें अपात्र लोग हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथ ही साथ विभाग द्वारा लगातार नोटिस भी जारी किये जा चुके हैं। हर जिले में नोटिस जारी किये जा चुके हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी सक्षम व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहा है वह अपना स्वेच्छा से नाम हटाये। सरकार लगातार नोटिस देगी और लगातार कार्यवाही की जायेगी, जो गरीब वंचित है उसको जोड़ा जायेगा और सक्षम है उसको बाहर किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: केकड़ी का बताओ इनको। माननीय सदस्य।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि गिव-अप अभियान चला कर और जो पात्र लोग थे जो इस योजना से वंचित रह गये थे उनको जोड़ने का काम सरकार कर रही है और मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में 6 हजार से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग हैं तो माननीय मंत्री महोदय, इनको कब तक जोड़ दिया जायेगा, कब तक इन अन्तिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों को लाभ मिलेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, जब से हमने पोर्टल खोला है 26 जनवरी से, मुझे बताते हुए हर्ष है कि 13 लाख 51 हजार 253 नये

लाभार्थी जोड़ दिये गये हैं।

श्री अध्यक्षः केकड़ी का पूछ रहे हैं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): केकड़ी का ही बता रहा हूं इसमें आपके केकड़ी क्षेत्र से भी 2,314 लोगों को जोड़ दिया गया है और लगातार लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। एक भी व्यक्ति को हम राजस्थान में वंचित नहीं रहने देंगे। सबको इस खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री भैरा राम चौधरी (सियोल)।

ओसियां में संचालित पशु उपकेन्द्र

456. श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में पशु उपकेन्द्र संचालित नहीं है? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में नवीन पशु उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु उपकेन्द्र भवन विहीन हैं? क्या सरकार उक्त केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में 17 ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सा संस्था विहीन हैं, जिनका नामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। नवीन पशु चिकित्सा संस्थायें आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली/स्वीकृत की जाती हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में 45 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र राजकीय भवन विहीन हैं, जो कि पंचायत द्वारा प्रदत्त/वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत उपलब्ध करवाये गये भवनों में संचालित हैं।

जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार करवाये जाते हैं।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जो 17 ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सा संस्था विहीन हैं और 45 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों में भवन नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 2018 से 2023 के बीच में खाली घोषणा ही घोषणा हुई थी या भवनों का निर्माण भी हुआ था? उनके टाइम में कुल कितने पशु चिकित्सालयों की घोषणा हुई और कितनों का निर्माण हो गया और अब जो आने वाले समय में आप कब तक इन भवनों का निर्माण कर देंगे और जो संस्था विहीन ग्राम पंचायतें हैं उनमें कब तक खोलने का विचार रखते हैं?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... बाकी का नम्बर ही नहीं आयेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अब दो प्रश्न तो देने पड़ते हैं। आपको भी सबको दे रहा हूं। हर एक को लगता है कि मेरा प्रश्न आना चाहिये लेकिन क्रम में आयेगा।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ओसियां विधान सभा क्षेत्र में 82 ग्राम पंचायतें हैं, 65 ग्राम पंचायतों में चिकित्सा संस्थाएं उपलब्ध हैं। 17 ग्राम पंचायतें संस्था विहीन हैं। 1 नगरपालिका तीवरी में बी.वी.एच.ओ. कार्यालय है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी वर्ष 2024-25 में आपके क्षेत्र में गोपासरिया, भाना का वास, भांकरों की ढाणी, कीजरी, भैरूसागर पांच चिकित्सा संस्थाएं नयी हमने खोली हैं। एक पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत भी किया है। साथ ही, माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में 66 चिकित्सा संस्थाएं अभी संचालित हैं। 66 में से 21 राजकीय भवनों में संचालित हैं और 45 ग्राम पंचायत के भवन, आंगनबाड़ी या स्कूल आदि अन्य भवनों में संचालित हैं। पिछले पांच वर्ष में भवन निर्माण पर पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया इसलिये पांच वर्षों में ओसियां विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ एक पशु चिकित्सा उप केन्द्र बालरवा के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी हुई थी और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2024-25 के बजट में 200 करोड़ रुपये के भवनों के निर्माण की...।

श्री अध्यक्षः ओसियां का बताओ।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): हां, ओसियां का भी बता रहा हूं। भवन निर्माण की जो राशि स्वीकृत की थी उसमें से 975 उप केन्द्र, 350 चिकित्सालय के भवनों की स्वीकृति हमने जारी की है, उसमें ओसियां में भी 7 उप केन्द्र के भवनों की स्वीकृति हमने जारी की है और 3 चिकित्सालयों के भवनों की स्वीकृति हमने जारी की है और आगे भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि आपके जो भवन रहित संस्थाएं हैं उनके पट्टे बनवायें और पट्टे बनवा कर विभाग को उपलब्ध करवायें। हम चरणबद्ध तरीके से आवश्यकतानुसार उनमें भी भवन बनायेंगे।

साथ ही साथ में आपकी जो 17 संस्थाएं हैं जिनमें चिकित्सा संस्था बिलकुल नहीं है उनमें भी अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 200 संस्थाओं में चिकित्सा उप केन्द्र नये खोलने की घोषणा की है। आप दो संस्थाओं के नाम मुझे दे देना उनमें दो नयी संस्थाएं आपके भी खोल देंगे। बाकी भी चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): बहुत-बहुत धन्यवाद। नेवरा में आपने क्रमोन्नत किया उसके लिए स्पेशल धन्यवाद। पांच जो नयी घोषणाएं की उसके लिए भी धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कमरे में जाकर और धन्यवाद दे देना। अगला प्रश्न। श्री कांति प्रसाद।

प्रतापगढ़ तहसील (थानागाजी) में एनसीआर क्षेत्र की ग्रेप पाबंदियां

457. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की तहसील-प्रतापगढ एन.सी.आर. की निर्धारित सीमा से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है तथा यहां की एक्यूआई 70 से 75 रहने के बावजूद भी यहां पर एन.सी.आर. क्षेत्र की ग्रेप पाबंदियां लागू कर दी जाती है, जिसकी वजह से विकास कार्य व उद्योग प्रभावित रहते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तहसील को एन.सी.आर. की ग्रेप पांबदियों से मुक्त कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री संजय शर्मा): जी नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 एवं इसके संशोधन दिनांक 23/08/2004 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की तहसील प्रतापगढ़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की निर्धारित सीमा में आता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों हेतु गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज) का गठन केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 13/04/2021 के अंतर्गत किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में ग्रेप पांबदियां लागू करना राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों पर केन्द्र सरकार द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणी के आधार पर ग्रेडेड रेस्पोन्स एक्शन प्लान की विभिन्न स्टेजों के प्रतिबंध लागू किये जाते हैं।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया। मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा...।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया? पूरक प्रश्न पूछें।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): हां, उत्तर आ गया। ...कि आप भी अलवर जिले के रहने वाले हैं, यह बात सही है कि राष्ट्रीय राजधानी की वजह से यह ग्रेप वाली समस्या आयी है पर अब खैरथल और तिजारा भी अलग से जिला बन गया तो वह ग्रेप वाली पाबन्दी खत्म होनी चाहिये। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार की तरफ से भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजें कि जिला अलग होने के बाद में डेढ़ सौ-दो सौ किलोमीटर की जो दूरी है यह कम हो जायेगी और यह ग्रेप की समस्या जो थानागाजी में आ रही है वह खत्म हो जाये, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त की है वो निश्चित रूप से जायज है और पिछली सरकार में जब हम वहां विराजते थे तो मैं भी लगातार इस मांग को उठाता था कि ग्रेप की जो पाबंदियां हैं क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण होता है, पंजाब में प्रदूषण होता है ग्रेप के कारण अलवर

जिले के अन्दर हमारे विकास के काम भी रुक जाते हैं और यह भी सही है कि एन.सी.आर. के नियम के तहत 200 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें वह नियम एक कागज के आदेश पर लागू हो जाता है भले ही जिस प्रकार से आपने थानागाजी का उल्लेख किया उसमें ए.क्यू.आई. सही होते हुए भी एक आदेश के कारण वह आदेश पूरे एन.सी.आर. क्षेत्र में लागू हो जाता है।

मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाये गये नियमों की पालना करने हेतु, प्रदूषण नियंत्रण हेतु सदैव कटिबद्ध है। अलवर जिले के क्षेत्रों की एयर क्वालिटी की बेहतरीन स्थिति एवं दिल्ली से दूरी के दृष्टिगत अलवर जिले के क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एन.सी.आर. में लागू होने वाले वायु गुणवत्ता सम्बन्धित पाबन्दियों ग्रेप से मुक्त रखने हेतु भारत सरकार को पत्र के माध्यम से आग्रह किया जायेगा और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे अलवर के सांसद जो केन्द्र में मंत्री भी हैं आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी, वो भी हमको इस मामले मदद करेंगे। निश्चित रूप से पत्र लिख कर भारत सरकार को आग्रह किया जायेगा कि ग्रेप की जो पाबंदियां हैं विशेष रूप से अलवर जिले को उससे मुक्त किया जाये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री श्रीचन्द्र कृपलानी। आप नहीं। आपका प्रश्न नहीं है इनका था।

चित्तौड़गढ़ में श्रमिकों की मृत्यु के दावों का निस्तारण

458. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा श्रमिकों की मृत्यु के दावों के कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया? कितने दावे स्वीकृत किये गये व कितने किन कारणों से निरस्त किए गए? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दावों में से कितने आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए? उक्त में से कितने स्वीकृत व निरस्त किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों के श्रमिकों के छात्रवृत्ति के प्रकरण काफी समय से लंबित हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया? कितने आवेदन स्वीकृत किये गये व कितने किन कारणों से निरस्त किए गए व कितने लंबित हैं? उदयपुर संभाग के विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): (1) जिला चित्तौड़गढ़ में विगत पांच वर्षों में मण्डल द्वारा हिताधिकारियों की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना के 1,579 आवेदनों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 885 आवेदन स्वीकृत 694 आवेदन योजना के लिए वांछित पात्रता के अभाव में निरस्त किये

गये। विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में 1,579 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए जिनमें से 885 आवेदन स्वीकृत, 694 आवेदन निरस्त है। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर समाहित है।

(3) उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 31 दिसम्बर 2024 तक छात्रवृत्ति के 7,253 आवेदन लंबित हैं। विगत 3 वर्षों में सरकार द्वारा श्रमिक छात्रवृत्ति के 1,52,547 आवेदनों का निस्तारण किया गया है। जिनमें से 84,837 आवेदन स्वीकृत, 60,457 आवेदन अस्वीकृत एवं 7,253 आवेदन लंबित है। लंबित आवेदनों का वरीयतानुसार पात्रता के आधार पर निस्तारण कर दिया जाएगा। उदयपुर संभाग के विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

Kas/rtm/20.03.2025/11.50/1f

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि चित्तौडगढ़ जिले में विगत 5 वर्षों में दुर्घटना में मृत्यु अथवा घायल होने की दशा में 1589 आवेदन आये, इसमें से 885 स्वीकृत हुए और 694 को आपने अस्वीकृत कर दिया। मंत्री महोदय, क्या आप यह बतायेंगे कि जो 694 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं, उन्हें किस आधार पर अस्वीकृत किया गया है? क्या अस्वीकृत आवेदनों में निकाली गई त्रुटियों को सुधारने का अवसर आवेदकों को प्रदान किया जाता है? यदि हां, तो वह कैसे किया जाता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने 10 बार कहा है कि प्रश्नकाल में अपनी सीट पर ही बैठा करो। पहले वहां, फिर यहां, यह सारा घूमना-फिरना, मैं इधर भी टोकता हूं। पौन घंटे में ऐसी कौनसी अर्जेंसी आ गई?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना आवेदन निरस्त होने के मुख्य कारण हैं कि 90 दिन का निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य प्रमाणित न होना। दूसरा, प्रस्तुत नियोजन प्रमाण-पत्र के सत्यापन के दौरान गलत पाया जाना। तीसरा, वांछित दस्तावेजों का योजनानुसार उपलब्ध नहीं करवाया जाना।

माननीय सदस्य का अगला प्रश्न था कि आवेदन निरस्त होने पर क्या प्रक्रिया है, उसमें श्रम कल्याण अधिकारी, सहायक उप आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकती है, अगर उसे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कमी है, तो वह अपील कर सकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या यह सही

है कि मृत्यु एवं घायल सहायता योजना एवं शिक्षा कौशल विकास योजना में दी जाने वाली सहायता एवं छात्रवृत्ति के स्वीकृत आवेदनों में कई आवेदकों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? क्या सरकार ऐसे अस्वीकृत आवेदनों को चिह्नित कर उन्हें भुगतान करने और अस्वीकृत आवेदनों पर पुनरावलोकन कर शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, वह बात सही है, इसमें काफी लोगों की सहायता राशि वंचित रही है। जैसे मृत्यु सहायता योजना में 50 परसेंट सहायता डी बी टी के माध्यम से की जाती है और 50 प्रतिशत उसके नॉमिनी के एफ डी की जाती है। विगत तीन वर्षों में एफ डी की राशि सरकार द्वारा जमा नहीं की गई। माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में जब यह बात आई, तो उन्होंने निर्देश दिया और अगले एक सप्ताह में जो 5 हजार से अधिक हिताधिकारी हैं, उनके सबके खाते में एफ डी की राशि जारी कर दी जायेगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या यह सही है कि जिला उप श्रम कार्यालय, चित्तौडगढ़ में लंबे समय से अधिकारी नहीं हैं? ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः दो पूरक हो गये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सुन तो लो, उसी में है। ....(व्यवधान).... यह आपके काम का भी है, पूरे राजस्थान का पूछ रहा हूं। अधिकारी नहीं होने से श्रमिकों ....(व्यवधान).... यह सब कांग्रेस के राज में जो भुगतान नहीं हुए ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जो खाली पोस्टें पड़ी हैं, क्या उनको भर कर उनका भुगतान आप करेंगे, यह पूछ रहा हूं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य, आप जो विषय संज्ञान में लाये हैं, उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री जी, चित्तौड़ के सम्बन्ध में यह प्रश्न है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसकी स्थिति यही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इसमें जो आवेदन लंबित हैं, जिनके स्वीकृत हो गये और पैसे नहीं डले हैं, तो वो पैसे आप कब तक डाल देंगे, कब तक भुगतान हो जायेगा? छात्रवृत्ति के भी और अन्य भी।

श्री अध्यक्षः विराजो। वो उत्तर दे रहे हैं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जैसा मैंने मृत्यु सहायता योजना का बताया, उन 5000 हिताधिकारी के खातों में तो इस सप्ताह में डाल दिया जायेगा और जो आपने छात्रवृत्ति का कहा, उसमें 7253 आवेदन लंबित हैं, उनमें भी शीघ्र ही राशि डाल दी जायेगी और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 15 दिसम्बर, 2024

को एक साथ 2,15,000 श्रम विभाग की विभिन्न योजना में लाभान्वित लोगों को राशि जारी की है।

प्रश्न संख्या 459

श्री अध्यक्षः श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री रफीक खान।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आईपीडी का निर्माण

460. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि दवाइयां व अन्य उपकरण बिना निविदा के क्रय की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विगत वर्ष में कितनी राशि की दवाइयां व उपकरण निविदा से तथा कितनी राशि की बिना निविदा के क्रय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आईपीडी टॉवर के निर्माण को पूरा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विगत 1 वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025) में निविदा एवं बिना निविदा के क्रय कि गई दवाइयां एवं उपकरणों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध कई चिकित्सालयों में मरीजों हेतु कुछ दवाइयां बिना निविदा के सहकारी उपभोक्ता केन्द्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र एवं 10 हजार रुपये से कम की दवाइयां लोकल खरीद बिना निविदा के टुकडों में की गयी है। साथ ही सीमित आवश्यकता के कारण कुछ उपकरण/सामग्री भी अति आवश्यकता को देखते हुये बिना निविदा के क्रय किये गये है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयां एवं अन्य उपकरण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त RTPP Act and Rules 2013 के नियमों की पालना करते हुए निविदा जारी कर उपकरणों, औषधियों, सर्जिकल एवं सूचर्स के उपापयन की कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा निविदा से क्रय की गई वित्तीय वर्ष 2024-25 की सूचना परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहें है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): उत्तर आ गया है। मैं दो बात इसमें पूछना चाहता हूं कि कुल कितने रुपये की दवाइयां बिना टेंडर के खरीदी गईं और कुल कितने रुपये के उपकरण बिना टेंडर के खरीदे गये? आपने अटेचमेंट में यह चार्ट दिया है, उसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने तो टेंडर से 155 करोड़ रुपये की दवाई खरीदी और बिना निविदा के खरीदी 9500 की और एसएन मेडिकल कॉलेज ने, इसमें आपने जगह भी नहीं बताई कि कहां है, 28 करोड़ की तो खरीदी निविदा से और 5 करोड़ की खरीद लीं बिना निविदा के, तो 10 हजार के

अन्दर खरीदनी है तो 5 करोड़ से ऊपर की कैसे खरीद हो सकती है? इसमें कहां-कहां हैं, मेडिकल कॉलेजेज का नाम भी नहीं लिखा और यह 5 करोड़ बिना निविदा के कैसे खरीद लीं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है। माननीय सदस्य ने जो बात कही, इसमें दवाइयां और उपकरणों को हम डिवाइड करेंगे, एक तो जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं और एक हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। माननीय सदस्य, जो फीगर मैंने आपको दिये हैं, उनको देखें तो बिना निविदा का रेश्यो देखें तो बहुत ही माइनर रेश्यो है। उदाहरण देना चाहूंगा कि एसएमएस हॉस्पिटल में टेंडर के थ्रू 155 करोड़ रुपये की दवाइयां हमने लीं और नॉन टेंडर से खाली 9588 रुपये, not even ten thousand आप देखें कि कोई ऑन ब्रेक ऑफ डिजीज आ जाती है, एक सडन शॉर्टेज आ जाती है, तो जो आप कहना चाह रहे हैं कि हमने बिना टेंडर किये खरीद ली, यह बहुत ही छोटा रेश्यो है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया 155 करोड़ वर्सेज 10 हजार रुपये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मंत्री महोदय, वही मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, पहले पूरा उत्तर सुन लें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): उत्तर सुन लिया।

श्री अध्यक्षः आप दूसरा प्रश्न पूछ लेना। आपको अनुमति है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप समझ नहीं रहे हो, जो वो बात कह रहे हैं, वो ही मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्षः पहले आप उनका सुनो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप समझना ही नहीं चाह रहे हो।

श्री अध्यक्षः नो, पहले मंत्री जी का पूरा उत्तर सुनो, फिर आप पूरक पूछना।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पहले मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप जेएलएन मेडिकल कॉलेज में आ जाएं, जो आपके अजमेर क्षेत्र में है, उसमें टेंडर के थ्रू 2 करोड़ की हमने दवाइयां लीं, जबकि बिना टेंडर के खाली 13 हजार की लीं। ऐसे अगर आप देखें तो 28 करोड़ वर्सेज ऑनली 5 करोड़। 12 करोड़ वर्सेज 25 लाख। हेल्थ में टोटल 1363 करोड़ की दवाइयां ली हैं और खाली 49 करोड़ की हमने नॉन टेंडरिंग से ली हैं। मैंने इनको बता भी दिया है, माननीय सदस्य, अगर आपको किसी पर्टीकूलर टेंडर पर शक है, ratio wise it is not a major issue, अगर आपको किसी फर्म या किसी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में अगर आपको शक है कि वहां पर कोई अनियमितता हुई है, तो पर्टीकूलर उसकी पूरी जांच कर ली जायेगी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपके चार्ट पर ही मैंने बोला, एसएमएस का बिलकुल नगण्य रेश्यो है, आप बिलकुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जोधपुर का रेश्यो क्या है? 28 करोड़ तो निविदा से है और 5 करोड़ की बिना निविदा के खरीदी गई हैं। इसकी आप जांच कराओगे

तो कई परतें खुलेंगी। अपन सारी दवाइयां आरएमएससीएल से क्यों न खरीद रहे, जबकि अलग से खरीद रहे हैं तो उसमें अपने को महंगी पड रही हैं?

दूसरा मेरा सवाल है कि जो एसएमएस में टावर बन रहा है, वह कब तक कंप्लीट कर देंगे? ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वो पूछ रहे हैं, उनको पूछने दो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैंने पूछ लिया, 50 परसेंट सस्ती वहां से क्यों नहीं खरीदी जा रहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, एक पर्टीकूलर हॉस्पिटल के रेश्यो पर जो डाउट आपने उठाया है, उसकी डिटेल मैं आपको मंगा कर दे दूंगा। यह रेश्यो इतना कम नहीं है, थोड़ा सा फर्क दूसरे एवरेज से, उसकी डिटेल मंगा कर मैं आपको दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा हमारा जो कार्डियक टावर, जो स्टेट ऑफ द आर्ट बन रहा है, वह अगले 3-4 महीने में जयपुर एसएमएस कॉलेज में रेडी हो जायेगा और वहां सब कार्डिओ फैसेलिटीज आ जायेगी। 28 मंजिल के आईपीडी टावर का 2028 में पूरा निर्माण कर जनता को समर्पित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती गीता बरवड़।

भोपालगढ़ में उचित मूल्य की दुकानें

461. श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान खोलने के मानदण्डों में छूट देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुचेटी की मुस्लिम बस्ती एवं उपखण्ड बावड़ी में उचित मूल्य की दुकान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डो अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान खोलने के मानदण्डों में छूट देने के संबंध में कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

शेष उत्तर बिन्दु संख्या-1 में समाहित है।

(3) उत्तर बिन्दु संख्या-1 में समाहित है।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): सर, मेरे पास जवाब आ चुका है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न जल्दी पूछिए।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): मैं पूरक प्रश्न करना चाहती हूं कि क्या दुकानें इसी मापदंड से खोली गई हैं? अगर कम हैं तो आप कब तक खोलेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

Msk/rtm/20.03.25/1200/1g

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): भोपालगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि अभी हमने लगभग सवा पांच सौ दुकानों की विज्ञप्ति जारी कर दी है। यदि आपको अपने क्षेत्र के लिए कहीं लगता है तो आप जरूर सुझाव दीजिये। हम उस पर कार्यवाही करके, आपको लगता है तो वहां पर खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। माननीय मंत्री जी, विराजें।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

प्रश्नकाल की अधिक सार्थकता की दृष्टि से माननीय सदस्यों व मंत्रीगण से विषयवस्तु ध्यान-केन्द्रीयकरण की अपेक्षा

मैं और कोई व्यवस्था दूं, मुझे दो बातें प्रश्न काल के बारे में कहनी हैं। हम कुछ पुराने हैं, कुछ नये हैं, प्रश्न लगाते हैं तो प्रश्न के उत्तर आपको एक रात पहले ही भेज देते हैं। यदि पूरक प्रश्नों की अच्छी तैयारी करके लायेंगे तो टू-द-पाइंट आयेगा। प्रश्न भी कौनसे पूछने हैं, क्या पूछने हैं, आपको जो कुछ जिज्ञासा है, जो कुछ जानना चाहते हैं, वह आ जाये। मुझे लगता है कि प्रश्न की दोनों दल के नेता अपने लोगों को ट्रेनिंग दें। साथ में, माननीय मंत्रियों से भी आग्रह करूंगा कि उनको टू-द-पाइंट उत्तर दें। बैक ग्राउंड, जितना आवश्यक है, उतना उसमें जोड़ना, लेकिन यदि हम लंबा उत्तर देंगे तो फिर उसका लाभ नहीं। जो पूछना चाह रहा है, उसकी मंशा है, वही उत्तर। उसकी कांस्टिट्यूएंसी का है तो कांस्टिट्यूएंसी दें। स्टेट का पूछा है तो स्टेट का दें। ऐसा करेंगे तो ये प्रश्न आ रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं, उसमें अधिक कंटेंट आप लोगों को भी मिल सकेगा, इधर के लोगों को भी मिल सकेगा। हम सब लोग देंगे। ऐसा मेरा आग्रह है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

1. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियाँ राजस्व रिकॉर्ड में पायतन के रूप में दर्ज होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री जसवंत सिंह गुर्जर एवं श्री संजय कुमार, सदस्य की ओर से धौलपुर जिले में

अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री रामकेश, सदस्य की ओर से पांचना बांध से कमाण्ड क्षेत्र में पानी नहीं छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में पिछले कई दिनों से 15 से 20 वर्ष के बच्चों के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से जालौर जिले के बागोड़ा उपखण्ड में पंचायतों के प्रस्ताव के बिना नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. के तहत पुनर्भरण राशि की विसंगतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजीव गांधी युवा मित्र इन्टर्नशिप कार्यक्रम के तहत नियुक्त युवा मित्रों को अटल प्रेरक भर्ती में समायोजित किए जाने के संबंध में।

10. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरसों और चने की सरकारी खरीद में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

11. डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना का प्रभावी क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से सिंघानिया विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

13. कुमारी रीटा चौधरी, सदस्य की ओर से झींगा फार्मिंग करने वाले किसानों को कृषि दर पर विद्युत कनैक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

14. श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से फार्मासिस्ट भर्ती, 2023 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डॉ. प्रियंका चौधरी, श्री श्रवण कुमार, कुमारी रीटा चौधरी एवं श्री डूंगरराम गेदर को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

स्थगन प्रस्ताव तात्कालिक व गम्भीर विषयों हेतु आशयित

इसमें भी मैं एक सुझाव दूंगा कि स्थगन प्रस्ताव किन विषयों पर लगाये जायें। कार्यवाही रोककर स्थगन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैटर गंभीर होना चाहिए, रूटीन

मैटर पर स्थगन नहीं मिलता। क्योंकि जानकारी प्राप्त करनी है, उसके लिए हम स्थगन लगायें। आप लगायें, आपका अधिकार है, लेकिन तात्कालिक विषय-वस्तु, जिसके कारण से सदन की कार्यवाही रोकना आवश्यक है। ऐसे विषय पर ही आप लगायेंगे तो निश्चित रूप से स्थगन का भी लाभ होगा।

अध्यक्षीय व्यवस्था

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कतिपय गांवों को नगर पालिका क्षेत्रों में सम्मिलित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किये जाने के संबंध में।

3. श्री कालूराम, सदस्य की ओर से सुकेत से पिपल्या चौराहा, भवानी मंडी, पगारिया, डग सड़क का नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

4. श्री ललित मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में सड़क मार्गों के मध्य आने वाली वन भूमि का डायवर्जन किये जाने के संबंध में।

5. श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

6. श्री अरूण चौधरी, सदस्य की ओर से जोधपुर, पाली एवं बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल के संबंध में।

7. श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के बदनोर में उपाधीक्षक कार्यालय खोले जाने के संबंध में।

8. श्री दीन दयाल, सदस्य की ओर से राजकीय विद्यालयों में शौचालयों के अभाव में छात्राओं को हो रही परेशानी के संबंध में।

9. श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से नगर पालिका छबड़ा में सीवरेज सिस्टम के अभाव में आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

10. श्री लादु लाल पितलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में नियम विरूद्ध आवंटित खनन पट्टों को निरस्त किये जाने के संबंध में।

11. श्री गणेशराज बंसल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में वर्ष 2023 तक के लंबित कृषि कनेक्शन जारी किये जाने के संबंध में।

12. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से खानपुर तथा बकानी में आधुनिक बस स्टैण्ड का निर्माण किये जाने के संबंध में।

13. श्री बालमुकुन्दाचार्य, सदस्य की ओर से गणगौरी बाजार जयपुर, स्थित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में।

14. श्री कैलाश चन्द वर्मा, सदस्य की ओर से नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के जगतपुरा जोन की कॉलोनियों में सीवरेज के अभाव में हो रही परेशानी के संबंध में। ...(व्यवधान)...

माननीय, दस बार कहा है। मैं खड़ा हूं, तब तक पांच मिनट बाहर बैठें। ऐसे कोई यहां अनर्थ नहीं होने वाला। पांच बार सबको रिमाइंड कर चुका हूं। अब की बार मुझे कहना पड़ेगा कि सदस्य आपको इतने दिन सदन में आने की अनुमति नहीं होगी। लास्ट में, मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा। वह कोई भी हो, इधर के भी हो सकते हैं, इधर के भी हो सकते हैं। यह नहीं कि केवल एकपक्षीय।

15. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना की ग्राम पंचायत लोरोली के प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में।

आज पन्द्रह की जगह बीस 295 दिये जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को अनुमति मिले।

16. श्री नरेन्द्र बुडानियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तारानगर के किसानों को वर्ष 2023 के फसल खराबे का क्लेम नहीं दिये जाने के संबंध में।

17. श्री रेवन्तराम डांगा, सदस्य की ओर से नागौर जिले के वर्ष 2023 के फसल बीमा क्लेमों का निस्तारण कराये जाने के संबंध में।

18. श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से श्री जावर माता मंदिर, उदयपुर की व्यवस्था पूर्ववत देवालय विकास ट्रस्ट को दिये जाने के संबंध में।

19. श्री पितराम सिंह काला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिये जाने के संबंध में।

20. श्री आदूराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में निवासरत पाक विस्थापितों को आवासीय भूखण्ड दिये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 20/03/2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 45 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	मा. विधायक का नाम	सम्पादित विषय
1.	श्री हमीर सिंह भायल	औरण, गोचर, वन एवं राजकीय भूमि पर बसी हुई आबादी के संबंध में।
2.	श्री अशोक कुमार कोठारी	धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की ध्वनि को नियंत्रित करने के संबंध में।
3.	श्री गोरधन	ऊर्जा विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ट्यूबवैलों के बिजली कनेक्शन काटने के संबंध में।
4.	डॉ. शिखा मील बराला	सेंट्रल पार्क की तर्ज पर चौमूं में बड़ा पार्क विकसित कराये जाने के संबंध में।

डॉ. प्रियंका चौधरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बाड़मेर में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की जो घोषणा बजट में की, उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस योजना के अन्तर्गत 21 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन करना था और पांच श्रेणी के पशुओं का रजिस्ट्रेशन करना था। यहां आदरणीय मंत्री जी भी बैठे हैं, जो हमारे बाड़मेर जिले के प्रभारी भी हैं।

mdp/rtm/20.03.25/12:10/1h

अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर पशुधन की संख्या बहुत ज्यादा हैं, डाक्टर्स की कमी हैं, जो ढाणियां हैं, वे छितराई हुई हैं और दूर-दूर बसी हुई हैं। जितने भी पशुधन हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए डाक्टर्स के पास न तो सुविधा है, न कोई गाड़ी है, न उनको कोई प्रोपर भत्ता दिया जाता है। इस महंगाई के समय में चाहे गाड़ी लेनी हो, चाहे डीजल लगना हो, चाहे डेटा लगना हो, सारा उनको अपनी सैलेरी में से देना पड रहा है। इस वजह से मेरा यह आग्रह रहेगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि आने वाले समय में, चूंकि यह बहुत बड़ी योजना है और पशुपालकों को इसका पूरा लाभ मिले, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि उनकी जो सैलेरी है, उसके अन्दर परियोजना भत्ते का जोड़ा जाए, ताकि जो पशु चिकित्सक हैं, वे घर-घर जाकर उन पशुओं को जब स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट देंगे तो वह अच्छे तरीके से हो पाएगा और जो मुख्य मंत्री जी का उद्देश्य है कि किसानों को फायदा मिले, पशुपालको को लाभ मिले, वह कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ हो सकेगा, भ्रष्टाचार न हो और जो अंतिम पंक्ति में बैठा पशुपालक है, उसको पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए जो चिकित्सक हैं, मंत्री महोदय मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि कुछ मानदेय भत्ते की राशि उसमें जोड़ें, ताकि उनको अपनी सैलरी में से खर्चा न करना पड़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार। समय का ध्यान रखें। आपके लिए कहना पड़ता है।

सिंघानिया विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पहली बार तो आपकी कृपा हुई है। आपकी जब कृपा हुई है तो समय का क्या?

श्री अध्यक्ष: चलिए, दो मिनट है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा समय ही क्यों देखते हैं, मेरी बातें सुनिए आप। आपने दो मिनट तो ऐसे ही खराब कर दी। आप हमारे मालिक हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान की दिशा व दशा के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में, एक पवित्र राजस्थान को किस तरह से देखा जा रहा है, खाद्य पदार्थों में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, और तो और शिक्षा में भी मिलावट कर दी। आप देखिए

सिंघानिया यूनिवर्सिटी हमारे राजस्थान में जब से बनायी गई थी, उस दिन से लेकर आज तक विवादों का प्रश्न खड़ा कर रखा है, 50 बीघा सरकारी जमीन पर बनायी। बड़े नेताओं से मिलकर के दुरुपयोग किया और आज स्थिति यह है कि वह राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बुलाकर फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहा है। आज तक वह जांच नहीं हुई। आप देखिए जिस शिक्षा को राजस्थान की यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान में जाना जाता था और हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी जब राजस्थान यूनिवर्सिटी की टी.सी. जाती थी तो विदाउट हैजीटेशन उस पर साइन कर देता था।

आज हमारे राजस्थान की यूनिवर्सिटी को डाउन करते-करते 11वें नंबर पर ला दिया। मैं चाहूंगा कि आप एक विद्वान अध्यक्ष हैं, आपको चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी की जांच करवाइये और फर्जी सर्टिफिकेट जो कोई भी बांट रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं कि एक कमरे, दो कमरे में यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। चूरू में ये ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी है, इसकी कोई जांच करवाई तो उसमें सर्टिफिकेट बांट रहा है। आज बच्चा एक भी नहीं है, केवल सर्टिफिकेट बांट रहा है। इस तरह तो जो आदमी पढ़ा-लिखा नहीं, उस आदमी को सर्टिफिकेट दे दिया जाये, किसी आदमी को ड्राइवर का लाइसेंस दे दिया बगैर परीक्षा के, कितने आदमियों को मारेगा? किसी को डाक्टर बना दिया, कितने लोगों को मारेगा? किसी को इंजीनियर बना दिया, कितने लोगों की दीवार तुड़वाएगा? इस तरह की जो 3.58 मध्यान्तियां हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इसका प्रेरण लें और अध्यक्ष महोदय को इतना पावर है कि जहां अनियमितता होती है, उसको स्वयं भी अपनी टीम भेजकर जांच करा सकता है। आज राजस्थान के सबसे बड़े सदन के आप मालिक हो, आप चाहो तो इस प्रकार की यूनिवर्सिटियों की आपके यहां से एक टॉस्क फोर्स भेज कर जांच करवाइए। जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनके खिलाफ एक्शन कीजिए। You are a great man, मैं चाहूंगा कि आप इस ग्रेटनैस को प्रदर्शित करेंगे और फर्जी सर्टिफिकेट बांटने वाले लोगो पर पाबंदी लगाएंगे और राजस्थान की शिक्षा को पवित्र करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके आदेशों की पालना करूंगा।

श्री अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। कुमारी रीटा चौधरी।

विराजिए। इनको मत कहिए, नहीं तो समय आपका लगेगा। आप बोलिए। इनको तो बोलने दीजिए। श्रवण सिंह जी वैसे पर्याप्त बोलते हैं।

झींगा फार्मिंग के लिए कृषकों को कृषि दर पर विद्युत कनेक्शन

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, हमारे झुंझुनूं और चूरू जिले के अंदर खारे पानी का इलाका है और खारा पानी जो है वह खेती के काम भी नहीं आता तो वहां के किसानों ने तकरीबन 2000 के लगभग किसानों ने वहां पर झींगा फार्मिंग शुरू की और झींगा फार्मिंग उन्होंने 5-7 साल से शुरू कर रखी है, ताकि उनकी कमाई हो सके, क्योंकि खारा पानी वह काम में ले नहीं सकते, खेती हो नहीं सकती है।

आप के माध्यम से मैं अपने बिजली मंत्री से कहना चाहूंगी कि जो झींगा फार्मिंग के लिए किसानों को जो बिजली का कनेक्शन दिया जाता है और बिजली का जो बिल आता है वह कॉमर्शियल रेट पर आता है, व्यावसायिक दर पर आता है, जो उनके लिए बहुत भारी है, जबकि हमारे पड़ोस के अंदर हरियाणा और पंजाब के अंदर झींगा फार्मिंग करने वाले किसानों को कृषि दर के ऊपर कनेक्शन दिया जाता है और उनका बिजली बिल भी कृषि दर पर आता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे। विशेषकर हमारे बिजली मंत्री इस पर ध्यान दें और किसानों के साथ न्याय करते हुए झींगा फार्मिंग करने वाले किसानों को रियायत दें। कृषि दर पर उनको कनेक्शन दिया जाए। उनके बिजली के बिल उस पर आयें ताकि वे अपना आर्थिक जीवन सुधार सकें। वे अपना जीवन-यापन कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री डूंगरराम गेदर।

फार्मासिस्ट भर्ती, 2023 में चयनितों को नियुक्ति

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। फार्मासिस्ट भर्ती, 2023, 3067 सीटों के लिए जारी हुई थी, जिसका परिणाम जारी हो चुका है। दस्तावेज सत्यापन भी अगस्त, 2023 में हो चुके हैं और 5 जुलाई, 2024 को प्रोविजनल सूची भी जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक अंतिम सूची जारी नहीं की गई है, जिससे सभी अभ्यर्थी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं शिफू के बाहर। बार-बार धरना-प्रदर्शन करने के बाद, सरकार द्वारा बातचीत करने के बाद, बार-बार तारीख दी जा रही है। पहले 30 नवंबर, 2024 की तारीख दी गई, फिर 31 जनवरी, 2025 की तारीख दी गई, फिर 28 फरवरी, 2025 की तारीख दी गई।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला कोर्ट में भी चैलेंज्ड नहीं है और भी किसी तरह से इसमें अड़चन नहीं है, लेकिन फिर भी और धरना-प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई, जिसने एस.एम.एस. अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। शिफू की सुस्ती के कारण 3000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना रखा है। सरकार फार्मासिस्ट भर्ती, 2023 की 3067 सीटों की अंतिम सूची जारी करे और सलेक्टेड अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराने का काम करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः 295, श्री पूसाराम गोदारा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रतनगढ़ के कतिपय गांवों का नगर पालिका क्षेत्रों में सम्मिलन

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 295 के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्राम बिडास, रामपुर, देवाणी एवं देराजसर के ग्रामीणों द्वारा मुझे अवगत करवाया गया है कि इन गांवों को छापर नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव नगर पालिका छापर द्वारा एवं ग्राम देराजसर को रतनगढ़ नगर पालिका

क्षेत्र मे सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव नगर पालिका रतनगढ़ द्वारा मनमर्जी से जिला कलक्टर चूरू को भिजवाए गए हैं, जो कि अनुचित हैं और ये प्रस्ताव ग्रामीणों की भावना व हितों के साथ कुठाराघात हैं। बिना साधारण सभा की बैठक बुलाए प्रस्ताव भेजे गए हैं। ग्राम बिडास, रामपुर व देवाणी नगर पालिका छापर से करीब 5-7 किमी दूर है, बीच में छापर अभ्यारण्य का लम्बा चौड़ा एरिया है। यहां के निवासी छापर पेरिफेरी एरिये से पहले ही दुःखी हैं एवं ग्राम देराजसर नगर पालिका रतनगढ़ से 3 किमी दूर है, सिर्फ नगर पालिका रतनगढ़ के अधिशासी अधिकारी द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया है, जबकि नगर पालिका रतनगढ़ के अध्यक्ष इस प्रस्ताव से सहमत नही है। देराजसर ग्राम के समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत लूंछ में ही रहना चाहते हैं। इन सभी गांवों के ग्रामीणों में भंयकर आक्रोश व्याप्त है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर प्रस्ताव वापस लेने की मांग की जा रही है। समस्त ग्रामीण बड़े आन्दोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अतः ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए आपसे निवेदन है कि तत्काल जिला प्रशासन चूरू को निर्देशित करके नगर पालिका छापर एवं न नगर पालिका रतनगढ़ का प्रस्ताव जो कि अनाधिकृत है, को निरस्त करवाकर ग्राम पंचायत रणधीसर के ग्राम बिडास एवं ग्राम पंचायत गुलेरिया के ग्राम रामपुर व ग्राम देवाणी को ग्रामीण क्षेत्र में ही यथावत रखने एवं ग्राम देराजसर को ग्राम पंचायत लूंछ में ही यथावत रखने का श्रम करावें । सधन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री संदीप शर्मा।

कोटा में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं विधान सभा कार्य संचालन सम्बन्धी एवं प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में निवेदन करना चाहता हूँ कि कोटा-बूंदी प्राकृतिक और पुरातात्त्विक पर्यटन दृष्टि से पूर्ण समृद्ध है। यहाँ चंबल नदी का सुंदर तट, मुकंदरा अभयारण्य व शेरगढ़ अभयारण्य के सुरम्य वन तथा दर्जनों ऐसे स्थल हैं, जो देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। यदि कोटा-बूंदी को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए तो राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर पर्यटक स्थल हैं, उनमें कोटा-बूंदी का नाम भी राजस्थान की प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार होने लगेगा।

संभाग में प्रमुख से प्राचीन मथुराधीश जी मंदिर, सूर्य मंदिर, कंसुआ धाम, भण्डदेवरा मंदिर, भगवान केशवराय जी मंदिर, गराडिया महादेव, अलनिया पाषाणकालीन गुफा चित्र चन्द्रभागा मंदिर, बौद्ध गुफाएं, प्राचीन जैन तीर्थ व स्तूप हैं। मुकुंदरा, चम्बल घडियाल, रामगढ विषधारी, शेरगढ़ व सोरसन अभ्यारण्य हैं। कोटा व झालावाड के महल हैं, गागरोन, शाहबाद, शेरगढ व नाहरगढ़, गुगौर किले हैं। इसके अलावा मानव निर्मित किशोर सागर तालाब, सेवन विडर्स, सिटी पार्क, छत्र विलास गार्डन, रिवर फ्रंट भी हैं। वहीं हाड़ौती के स्थानीय उत्पाद यथा कोटा स्टोन, सेण्ड स्टोन, बासमती चावल, कोटा डोरिया साड़ी, मांगरोल खादी भी खासे लोकप्रिय हैं।

ऐसे में हाड़ौती संभाग को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने के इन स्थानों का प्रचार प्रसार और टूर पैकेज बनाया जाना आवश्यक है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोटा में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन करवाया जाये, जिसमें विभिन्न ट्रेवल प्लानर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट्स होटेलियर्स आदि सम्मिलित हों और हाड़ौती में पर्यटकों की पहुंच सुनिश्चित हो सके। आज कोटा को बड़ी आवश्यकता है कि शैक्षणिक नगर के साथ पर्यटन नगरी के रूप में ख्याति मिले। कोटा में वर्तमान परिस्थितियों से जूझते कोटावासियों को इससे आर्थिक संबल भी मिलेगा। धन्यवाद।

Ans/rtm 12.20 1j 20.03.2025

श्री अध्यक्ष: श्री कालूराम।

सुकेत से पिपल्या चौराहा, भवानी मंडी, पगारिया, डग सड़क का नवीनीकरण

श्री कालूराम (डग): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सुकेत से पिपल्या चौराहा भवानी मंडी पगारिया डग तक कुल सड़क की लम्बाई 103 कि.मी. है जो सड़क 10 वर्षों से बनी नहीं है सड़क पूरी तरह से जर्जर व जगह-जगह गढ्ढे हो गए हैं सड़क की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है इस रोड़ पर आवगमन के लिए जैसे एम्बुलेंस या इमरजेंसी साधन चलना तो बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई है तथा इस सड़क के आसपास में कुछ दूरी पर माईनिंग क्षेत्र भी है इसलिए मैंने विभाग व पूर्ववर्ती सरकार को भी बार-बार अवगत करवाया था, परन्तु अब तो इस सड़क के हालात और ज्यादा खस्ता हो चुके है इस सड़क पर चार टोल वर्तमान में जुल्मी आवली कलां, गुराड़ीयाजोगा, डग में चल रहे है जो जनता से टोल वसूल रहे है इसलिए जब तक सड़क का नवीनीकरण नही किया जावे तब तक तुरन्त प्रभाव से टोल बंद करवाया जाये और काफी बार परेशान होकर जनता ने ज्ञापन भी दिया है यह रोड सुकेत से पिप्लया होते हुए उज्जैन तक जोड़ती है, उज्जैन एक धार्मिक स्थल होने के कारण काफी लोगों का आवागमन भी इसी रोड से होता है, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस सड़क का नवीनीकरण करवाया जावे। जिससे क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद हो गया, पूरा आ गया।

श्री ललित मीना। जो लिखा है वही पढ़ना है।

किशनगंज में सड़क मार्गों के मध्य आने वाली वन भूमि का डायवर्जन

श्री ललित मीना (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र किशनगंज शाहाबाद में विभिन्न सड़क मार्गों के मध्य आ रही वन भूमि से डायवर्जन की कार्यवाही शीघ्र करवायें, जिससे आमजन को राहत मिल सके। रियासतकालीन उक्त माँगों के मध्य कुछ हिस्से पर वन भूमि आने से बिना भूमि डायवर्जन की कार्यवाही के निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हो पा

रहे हैं। इसके लिए भूमि डायवर्जन की कार्यवाही के प्रस्ताव उदासीनता के कारण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित नहीं किये गये हैं। साथ ही प्रभावी मोनिटरिंग भी नहीं की जा रही है। जिसके कारण राजपुर से शाहाबाद, रामगढ परिक्रमा मार्ग, केदारकुई से मुहाल, कलोनी से आमखो, सिमलोद से शाहपुरा वाया श्रीपुरा, कस्बा थाना से वमनगंवा तथा बिची से मोहनपुर के बीच वन भूमि होने के कारण आमजन का आवागमन बाधित है। अति पिछड़ा क्षेत्र एवं उबड़-खाबड भूमि में मध्य अवस्थित इन मार्गों के निवासियों को लम्बी दूरी एवं बरसात के समय बीमार एवं गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में भारी असुविधा हो रही है। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पडता है, जिससे विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पडता है। उक्त गाँवों के किसानों को अपनी कृषि उपज मंडी के लिए भी लम्बी दूरी तय करनी पडती है।

अतः शीघ्र ही इन गाँवों की आबादी को विकास की मुख्य धारा से जोडने के लिए इन स्वीकृत/प्रस्तावित सड़क मार्गों के मध्य आने वाली वन भूमि के डायवर्जन की कार्यवाही तीव्र गति से करवाकर स्वीकृत शुदा सड़क निर्माण कार्य जनहित में करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हाकम अली खां। श्री अरूण चौधरी।

जोधपुर, पाली एवं बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला दूषित जल

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि औद्योगिक क्षेत्र जोधुपर, पाली एवं बालोतरा तीनों क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र में पानी की अति आवश्यकता होती है। इस तीनों औद्योगिकी क्षेत्रों में पानी के अधिकतम उपयोग से उस पानी का उत्सर्जन भी अधिक होता है, जिससे उस पानी का उपयोग उत्सर्जन के पश्चात उस पानी को नदी या नाले में बहा दिया जाता है।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत पर्यावरण मंत्री महोदय एवं उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि हम सभी यह इच्छा रखते है कि पर्यावरण शुद्ध हो, नदी नालों में औद्योगिक पानी प्रवाहित न हो, तो हम सभी एक निर्णय कर इस स्थिति के समाधान हेतु, तीनों औद्योगिक ईकाईयों जोधपुर, पाली एवं बालोतरा का औद्योगिक पानी को एक नाले का निर्माण कर बन्द नाले के द्वारा उस पानी को एचपीसीएल रिफानरी को दिया जाता है, तो उस पानी का सदुपयोग हो सकेगा

श्री अध्यक्ष: अपन ने हां लॉबी बना रखी है।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): और एचपीसीएल रिफाइनरी द्वारा वर्तमान में लिया जा रहा पीने का पानी जो पोकरण से वर्तमान में आ रहा है, वह पानी आम जन को पीने को उपलब्ध हो सकेगा।

मैं अध्यक्ष महोदय, पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि वास्तव में हम पर्यावरण को बचाना चाहते है और आमजन के हित में विश्वास रखते है तो मेरे इस विचार पर तुरन्त ही जांच

करवाकर इस कार्य को अमल में लाने का निर्णय करावें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला

बदनोर (आसीन्द) में उपाधीक्षक कार्यालय की स्थापना

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरडा के उपखंड बदनोर का एरिया बहुत लंबा चौडा है और चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। यहां पर पुलिस थाने का CO सर्कल मसुदा लगता है, जो यहां से बहुत दूर पडता है तथा भादसी, रतनपुरा से 50 किलोमीटर की दूरी होने से लोगों को काफी परेशान होती है। अतः मेरा आग्रह है कि बदनोर उपखंड के लोगों की भावना को देखते हुए बदनोर में CO (Dy SP) कार्यालय खोला जाये, ताकि उपखंड के लोगों को राहत मिल सके तथा क्राइम में भी कमी आयेगी। बदनोर उपखंड पहले भीलवाडा ज़िले में था, तब CO सर्कल आसीन्द लगता था, तब आसीन्द की दूरी बदनोर से 16 किलोमीटर ही थी तथा अब ब्यावर जिला घोषित होने से बदनोर उपखंड ब्यावर ज़िले में चले जाने से CO सर्कल मसुदा हो गया है, जो कि यहां की जनता के साथ साफ- साफ अन्याय है, क्योंकि बदनोर की कुछ ग्राम पंचायतों की दूरी तो 60 से 70 किलोमीटर तक है। मसूदा आने जाने में भी आम आदमी को परेशान आती है, क्योंकि बदनोर से मसूदा के लिए कोई भी बस की व्यवस्था नहीं है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि बदनोर उपखण्ड के आम गरीब किसान, मजदूर तथा व्यापारी के साथ-साथ आम जनता की जन भावना को ध्यान में रखते हुए बदनोर में नवीन CO कार्यालय (Dy SP कार्यालय) खोलने की कृपा कराये ताकि बदनोर उपखंड के लोगों को राहत मिले तथा वहां की पुलिस को भी जो परेशानी आती है उससे राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री दीनदयाल। (अनुपस्थित)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा नगर पालिका में सीवरेज सिस्टम के अभाव में आमजन को कारित परेशानी

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत नगरपालिका छबड़ा में सीवरेज सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि छबड़ा नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था नहीं होना एक गंभीर समस्या है। वर्तमान में नगरपालिका छबड़ा में 35 वार्ड हैं और जनसंख्या करीब 60-70 हजार है। नगर पालिका छबड़ा में सीवरेज की सुविधा नहीं होने से स्थानीय नागरिकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज सुविधा नहीं होने से स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए गंभीर खतरा है। सड़कों और गलियों में जलभराव और गंदगी के कारण रोगों का प्रकोप बढ़ता है, विशेषकर मलेरिया, डेंगू एवं अन्य जलजनित बीमारियां फैलती हैं। साथ ही, सफाई व्यवस्था की कमी के कारण स्थानीय लोगों को जीवनयापन करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। छबड़ा नगरपालिका क्षेत्र

में सीवरेज सिस्टम का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित जलवायु मिल सके और नगरपालिका की जिम्मेदारी पूरी हो सके।

आपसे निवेदन है कि नगरपालिका छबड़ा में सीवरेज की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि छबड़ा नगरवासियों को बेहतर जीवनयापन की सुविधा मिल सके और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद।

VPS-RTM-20.03.2025-12.30-1k

श्री अध्यक्ष: श्री लादु लाल पितलिया।

सहाड़ा में नियम विरुद्ध आवंटित खनन पट्टों की निरस्ती

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

विषय- जिन्दल सॉ लिमिटेड कम्पनी के खनन आवंटन पर पुनर्विचार करने तथा आवंटनों को जनहित में निरस्त करने के सम्बन्ध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा तथा मांडल में स्थित जिन्दल सॉ लिमिटेड कम्पनी के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिन्दल सॉ लिमिटेड कम्पनी को खनन ब्लॉकों का आवंटन किया जो मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की ग्राम पंचायत दरीबा, कोचरिया, गुन्दली, पांसल व शहरी क्षेत्र का पुर, भोपालगढ़ (गाडरमाला) आदि ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जिन्दल सॉ लिमिटेड कम्पनी आज मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता के लिए नर्क साबित हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्दल सॉ लिमिटेड कम्पनी को कांग्रेस सरकार ने खनन नियमों के विरूद्ध भीलवाड़ा शहर के समीप 1537 हैक्टेयर भू-भाग पर खनन के लिए 30 वर्षों का लीज एग्रीमेंट किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की जमकर अवहेलना की गई। माननीय, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कई गांवों की चरागाह भूमि जिन्दल सॉ कम्पनी को आवंटित कर दी जिसके कारण गौ-माता तथा पशुधन के सामने चारे का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। जिन्दल सॉ कम्पनी अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के फैसले के विरूद्ध खनन कार्य करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। जिन्दल सॉ लिमिटेड कम्पनी आवंटन की शर्तों को ताक में रखकर खनन कर रही है, जिसके कारण खनन से होने वाले दुष्प्रभाव क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। खनन से निकलने वाले अपशिष्टों से पर्यावरण पर संकट तो आया ही है, मानव जीवन के लिए भी जीवन यापन कठिन हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन से आस-पास का वातावरण दूषित होने के साथ-साथ पेड़-पौधे वनस्पति आदि नष्ट होते जा रहे हैं तथा ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आ गयी हैं, जिससे कभी भी जान-माल की हानि हो सकती है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह क्या बोल रहे हो? यह इसमें तो नहीं है। जो इसमें है अक्षरशः वही

बोलना है, बाकी अंकित नहीं होगा। यह मेरे पास लिखा हुआ है।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): हां, हां। बिलकुल वही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह अभी जो बोले, चार वाक्य नहीं है इसमें।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: यह कहां है? यह भी नहीं है। केवल लास्ट पैरा है। आप अपना अलग लाये होंगे, हमें जो दिया है वह यह रहा। ऐसा नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: 'ध्यान आकर्षित कर निवेदन है', यह पैरा है लास्ट वाला।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: यह है ही नहीं। ऐसा नहीं चलता। श्री गणेशराज बंसल। आप यहां आकर इसकी कॉपी ले जाओ। आप बैठिये। अंकित नहीं होगा।

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: 295 का यह रहा। आप यहां आ जाओ, मैं आपको बताता हूं। ऐसा थोड़े ही है, आप तो कुछ भी लिखकर घर से ले आओगे। ...(व्यवधान)...

हनुमानगढ़ में लम्बित कृषि कनेक्शन

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आज प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हनुमानगढ़ विधान सभा क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां कृषकों को सिंचाई हेतु जल आपूर्ति अपर्याप्त है।

हनुमानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा प्रदत्त कृषि कनेक्शन्स में भी आवश्यकता के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्र में वर्ष 2023 तक के कृषि कनेक्शन आवेदन के डिमाण्ड नोटिस जारी किए जाकर राशि भरवाई जा चुकी है किन्तु मौके पर वर्ष 2017-2018 तक के आवेदनों के ही कनेक्शन किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि नहरों में पानी की आवक कम होने के कारण सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस कारण कृषकों को भारी असुविधा एवं नुकसान हो रहा है।

इस प्रकार क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कृषि ट्यूबवैल कनेक्शन जारी नहीं किये जाने के कारण स्थिति गम्भीर है और कृषक पीड़ित हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि हनुमानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2023 तक के कृषि कनेक्शन जारी किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश गुर्जर।

खानपुर तथा बकानी में आधुनिक बस स्टैण्ड का निर्माण

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे 295, विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, झालावाड ज़िले के खानपुर एवं बकानी में आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि-

झालावाड जिले में बकानी और खानपुर दो बड़े कस्बे हैं। खानपुर कस्बा, बारां झालावाड मेगा हाईवे पर स्थित है। यह विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय है, जहां उपखंड कार्यालय, उप अधीक्षक कार्यालय, कॉलेज आदि संचालित हैं, जिसके कारण प्रति दिन हजारों की संख्या में यात्री आवागमन करते हैं। साथ ही यहां पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ चांदखेडी में पूरे देश से तीर्थ यात्री दर्शन के लिये आते हैं। इसी प्रकार बकानी कस्बा कृषि एवं व्यापार का एक बडा केन्द्र है, यह मध्यप्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। यहां पर भी प्रति दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण आते हैं। यहां पर रोडवेज और निजी बसें बीच बाजार में ही खडी रहती हैं, जिसके कारण मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। खानपुर और बकानी में वर्तमान में कोई बस स्टैंड नहीं है। यात्रियों को भरी गर्मी में छांव नहीं मिल पाती, बरसात में बारिश से बचने के लिये आस पास की दुकानों में शरण लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं यात्रियों को सुविधाओं के अभाव में बस के इंतजार में खड़े रहना पड़ता है। वहां आस पास सार्वजनिक जन सुविधाएं भी नहीं होने से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मेरी विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग है कि खानपुर और बकानी में यात्री प्रतीक्षालय सहित आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बालमुकुन्दाचार्य।

जयपुर के गणगौरी बाजार स्थित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाएं

बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

विषय- जयपुर के गणगौरी बाजार स्थित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हवा महल में गणगौरी बाजार में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय है जिसमें अव्यवस्थाओं के कारण से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर 1500 से 2000 तक पेशेंट हर रोज आते हैं लेकिन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहां पर तीन में से दो लिफ्टें बहुत पुरानी हैं और बन्द पड़ी हैं जिससे पेशेंट को काफी परेशानियां हो रही हैं। प्रसूता महिलाओं को भी सीढियों से, रैंप से ले जाना पड़ता है। अतः खराब लिफ्टों की जगह नई लिफ्टें लगवाने की मेरी मांग है जिससे हमारी माता बहनों को तकलीफ नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गणगौरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग और शौचालय जर्जर अवस्था में

हैं इसका जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता है, रंग रोगन करवाने की आवश्यकता है। भण्डार में भी काफी मात्रा में हॉस्पिटल में अनुपयोगी सामान पड़ा हुआ है, जिसको किसी काम में नहीं लिया जा रहा है। गणगौरी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मेडिसन, सर्जरी, एनेस्थेसिया और आपातकालीन चिकित्सा के लिए डाक्टर्स की आवश्यकता के साथ-साथ सीटी स्कैन, एमआरआई, 2D इको, एंजियोग्रोफी की सुविधा, हृदय रोगों के लिए सीसीयू कोरोनरी केयर यूनिट की स्थापना, एंडोस्कोपी, डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाए। इससे एस.एम.एस. हॉस्पिटल का बोझ भी कम हो जाएगा और जनता को भी लाभ मिलेगा।

गणगौरी हॉस्पिटल के लिए एक योग्य मेडिकल सुपरिटेंडेंट की आवश्यकता है, जिससे हॉस्पिटल, सम्बन्धी कार्य को संपादित सही तरीके से किया जा सके।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत यह विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि जयपुर शहर स्थित उक्त चिकित्सालय की दुर्दशा को सुधारने की कृपा कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द वर्मा।

Ssy/Rtm/20.03.25/12.40/1I

नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के जगतपुरा जोन की कॉलोनियों में
सीवरेज के अभाव में कारित परेशानी

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बगरू में नगर निगम (ग्रेटर) के जगतपुरा जोन में वार्ड संख्या 104 से लेकर 124 तक के वार्ड आते हैं। इन सभी वार्डों की विभिन्न कॉलोनियों में सीवरेज नहीं होने के कारण स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वर्तमान में जिन कॉलोनियों में सीवर लाइन उपलब्ध है वो भी काफी समय पहले डाली गयी थी, जिसके कारण बारिश के मौसम में ओवर फ्लो की बहुत ज्यादा समस्याएं आती है, सीवरेज का गंदा पानी सडकों पर फैल जाता है, जिससे स्थानीय निवासियों, स्कूली बच्चों एवं राहगीरों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पडता है, साथ ही बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी बना रहता है।

अतः मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जयपुर नगर निगम (ग्रेटर) के जगतपुरा जोन के वार्ड 104 से 124 में विभिन्न स्थानों पर सीवरेज लाइनों के लिए एकमुश्त 50 करोड रुपये का बजट आवंटित कर अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

मकराना की ग्राम पंचायत लोरोली के प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये

सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)पुनगर्ठन/विधि/पराविं/2019/2989 दिनांक 15.11.2019 के तहत विधान सभा क्षेत्र मकराना की नव सृजित ग्राम पंचायत ग्राम लोरोली का गठन हुआ था। राज्य सरकार के आदेशानुसार ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय होना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय यह है कि ग्राम लोरोली के आठ किलोमीटर की परिधि में कोई भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मौजूद नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत लोरोली के सात राजस्व ग्रामों के विद्यार्थियों को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु लगभग दस किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है, जिसके कारण छात्र एवं छात्राओं को काफी परेशानियां उत्पन्न होती हैं।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना की नव सृजित ग्राम पंचायत लोरोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाया जाये जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में परेशानियां उत्पन्न न हों। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री नरेन्द्र बुडानियां। श्री नरेन्द्र बुडानियां। (अनुपस्थित)

श्री रेवन्तराम डांगा।

नागौर के फसल बीमा क्लैमों का निस्तारण

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि नागौर जिले में खरीफ 2023 में शुरू में 40 दिन तक बारिश नहीं हुई और बाद में अतिवृष्टि के कारण विशेष रूप से मूंग की फसल का उत्पादन बहुत कम हुआ। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा रखा था। बीमा की गणना फसल कटाई प्रयोग (क्रॉप कटिंग) के आधार पर की जाती है। नागौर जिले में ज्यादातर क्रॉप कटिंग रिपोर्ट्स में खराबा पाया गया, परन्तु बीमा कंपनी ने बेईमानी करके क्रॉप कटिंग पर असत्य आपत्तियां दर्ज करवाईं, जिसको जिला शिकायत निवारण समिति (DGRC) ने एक नहीं, बल्कि 3-3 बार आपत्तियां खारिज कर प्रभावित किसानों को बीमा का क्लेम दिलवाने के लिए प्रस्ताव कृषि आयुक्तालय, जयपुर को भिजवा दिये हैं। कृषि विभाग में लंबे समय से नागौर जिले का खरीफ 2023 का मामला लंबित चल रहा है।

साथ ही नागौर जिले में लंबे समय से जिला शिकायत निवारण समिति (DGRC) में किसान प्रतिनिधि नहीं हैं, जिससे जिले के किसानों की वास्तविक शिकायत समिति के सामने नहीं पहुंच पाती है और कंपनी के लिए रास्ता आसान हो जाता है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लंबे समय से कृषि आयुक्तालय में लंबित चल रहे नागौर जिले के किसानों के खरीफ 2023 के फसल बीमा क्लेम प्रकरणों का जल्दी से जल्दी निस्तारण करवाकर किसानों को क्लेम दिलवाया जाये और साथ ही नागौर जिले की जिला शिकायत

निवारण समिति में योजना की बारीकी से जानकारी रखने वाले 2 किसान प्रतिनिधि नियुक्त किए जायें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री रेवन्तराम डांगा (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे।

श्री अध्यक्ष: हो गया इसमें भाषण नहीं होता। यह पढ़ा ही जाता है केवल। इसमें एक शब्द भी नहीं, मेरा माध्यम बाद में, किसी और विषय पर आना।

श्री गणेश घोगरा।

उदयपुर स्थित श्री जावर माता मंदिर की व्यवस्था की देवालय विकास ट्रस्ट को पूर्ववत सुपुर्दगी

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि श्री जावर माता जी मंदिर, टी.डी उदयपुर की संपूर्ण व्यवस्था जिसमें सेवा पूजा, सुरक्षा, सफाई, बिजली तथा पानी व शौचालय, गवरी, नवरात्रि पर्व व मेला धार्मिक उत्सव एवं धर्मशाला निर्माण आदि का कार्य ग्राम वासियों द्वारा ही श्री देवालय विकास ट्रस्ट जावर द्वारा विगत कई वर्षों से कराया जा रहा था। उक्त ट्रस्ट राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम,1959 के अन्तर्गत क्रम संख्या 08/देव/उदय/2008 दिनांक 12.08.2008 पर देवस्थान विभाग में पंजीकृत भी है, किन्तु हाल में उक्त मंदिर की सेवा-पूजा एवं अन्य कार्य देवस्थान विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। उक्त विभाग द्वारा मंदिर की सेवा-पूजा, सफाई व्यवस्था एवं अन्य कार्य विधिवत रूप से नहीं किये जा रहे हैं। आस-पास और मंदिर परिसर में गंदगी का माहौल हमेशा बना रहता है तथा जंगली जानवर भी मंदिर परिसर में आकर काफी नुकसान कर रहे हैं, इसके कारण यहां की जनता में रोष व्याप्त हो गया है।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि श्री जावर माता जी मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था पूर्व की भांति देवस्थान विभाग से हटाकर देवालय विकास ट्रस्ट को ही सौंपी जाये, जिससे उक्त मंदिर के प्रति दिन के कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पितराम सिंह काला।

पिलानी में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल खराबे का मुआवजा

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि राजस्थान के पिलानी में शुक्रवार रात हुई ओलावृष्टि से किसानों की फ़सलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं, चना, और मेथी की फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। ओलावृष्टि से बनगोठड़ी खुर्द, बनगोठड़ी कलां, छापड़ा, बेरी, लिखवा, सूजडोला, दूदवा और दूदी गांव के किसानों की फ़सलें खराब हो गई। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनियां हर साल किसान क्रेडिट कार्ड से बीमा राशि काटती हैं, लेकिन आपदा के

समय क्लेम नहीं देती। इसमें किसान के खेत को यूनिट माना जाये।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि 100 प्रतिशत फ़सल खराबे का मुआवज़ा दिया जाये तथा किसानों के बिजली बिलों को भी माफ़ किया जाये। इससे किसानों को राहत मिलेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री आदूराम मेघवाल।

चौहटन में निवासरत पाक विस्थापितों को आवासीय भूखण्डों का आवंटन

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विधानसभा क्षेत्र चौहटन में विगत लंबे दशकों से निवासरत पाक विस्थापित परिवारों को आवासीय भूखंड या पट्टे आवंटित किए जाने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि मेरे निर्वाचित विधानसभा क्षेत्र चौहटन में विगत लंबे दशकों से हजारों की संख्या में पाक विस्थापित परिवार आबादी भूमि, गोचर भूमि या अन्य सुरक्षित जगहों पर निवासरत है। भारत-पाक 1971 युद्ध के पश्चात् शिमला समझौता की शर्तों के अनुसार भारत द्वारा पश्चिमी भाग पर कब्ज़ा किए गए क्षेत्र को वापस देना पड़ा, उस समय पाकिस्तान में निवासरत हजारों परिवार अपना सर्वस्व त्याग कर भारत भूमि पर आ बसे। यहाँ उन्हें तत्कालीन सरकार द्वारा कैंपों में रखते हुए सहयोग भी प्रदान किया गया। प्रदेश में भूतपूर्व माननीय मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत की भाजपा सरकार द्वारा प्रथम बार एक सामान्य आदेश निकाला गया कि प्रदेश में पाक विस्थापित परिवार जहाँ जिस जगह पर निवासरत हैं, उन्हें बेदखल नहीं किया जाये।

महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र में वर्तमान में पाक-विस्थापित परिवारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई परिवारों ने आवास तक बना दिए हैं, परन्तु उन्हें अभी तक आवासीय भूखंड या पट्टे आवंटित नहीं किए गए हैं।

अतः पाक-विस्थापित परिवारों की भावना को संजोते हुए इन परिवारों के उत्थान एवं कल्याण के प्रति संपूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से सादर निवेदन रहेगा कि विधानसभा क्षेत्र चौहटन में विगत लंबे दशकों से गोचर, आबादी या अन्य सुरक्षित स्थान पर निवासरत पाक विस्थापित परिवारों को आवासीय भूखण्ड या पट्टे आवंटित किए जाएं, साथ ही चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत आपूर्ति जैसी अन्य मूलभूत सुविधाओं का उचित लाभ प्रदान किया जाये।

spp/Rtm/20.03.25/12.50/1m

श्री अध्यक्षः पर्ची । श्री हमीर सिंह भायल। एक सैकण्ड। ..(व्यवधान).. एक सैकण्ड माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्य रीटा जी हमेशा आकर बराबर पूरे टाइम सदन में बैठती हैं। पर बाकी सभी कांग्रेस के साथी वाक-आउट करके क्यों जाते है?

या तो कोई आह्वान करे वाक-आउट का या सदन से इंटरेस्ट नहीं है, या कोई सुनना नहीं चाहते हैं। पूरी विंग ऐसे ही खाली पड़ी रहती है। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप बैठो।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): श्रवणजी, आप उनमें नहीं आते हो।..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। दोनों साइड से काफी लोग बाहर हैं, उनको वापस बुला लीजिये। आगे बढ़ो। श्री हमीर सिंह भायल। माननीय सदस्य, ध्यान आ गया।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ओरण, गोचर, वन एवं राजकीय भूमि पर बसी आबादी

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे ओरण, गोचर, वन भूमि व अन्य राजकीय भूमि पर बसे आबादी क्षेत्र की समस्या के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आभार एवं धन्यवाद। प्रदेश में आबादी विस्तार लगातार बढ़ने से लोगों के आवास-निवास के लिये भूमि की आवश्यकता रहती है। कालांतर में गांवों की बसावट के समय भविष्य की आबादी विस्तार को देखते हुए गांव के पास ओरण, गोचर एवं सिवाय चक भूमि को रखा जाता था। उस भूमि का उपयोग आबादी विस्तार के साथ में पशु-पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में भी होता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में 8 करोड़ की जनता निवास करती है। भूमि की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। शहर, गांव एवं सभी जगह आबादी बढ़ती जा रही है। हर गांव में लोगों को बसने के लिये ओरण, गोचर या राजकीय वन भूमि में बसना पड़ता है, लेकिन यह भूमि माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित होने से प्रदेश के कई गांवों में समस्या खड़ी हो गयी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे मायलावास और जालौर जिले में ओडवाड़ा में डेढ़-डेढ़, दो-दो करोड़ के मकान बने हुए हैं। वह अन्दर बसे हुए हैं, उनको खाली कराकर मकान गिराया जाता है तो इसके लिये मेरा निवेदन है सदन के माध्यम से सरकार से, कि उच्चतम न्यायालय में कोई पैरवी करके एक आधार बनाकर जिस प्रकार से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा के लिये भूमि का अधिग्रहण 406 एकड़ किया है तो गांव और वहां की जनता को देखते हुए इन गांवों के लिये भी थोड़ा विस्तार में ध्यान देकर सरकार न्यायालय में सही पैरवी करके इन लोगों को स्थापित रखे, इनको निकाले नहीं, नहीं तो ये कहां जाएंगे? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक कुमार कोठारी।

धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों का ध्वनि नियंत्रण

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें पर्ची के माध्यम से बोलने का समय दिया। हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की तेज आवाज को नियंत्रित किया जाना अतिआवश्यक है। इस सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) एवं अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को बेहतर वातावरण में शांतिपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है और

इसको मद्देनजर रखते हुए विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी जनहित में इस तरह के निर्णय पारित किये गये। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई, 2005 को ध्वनि प्रदूषण पर अहम् फैसला सुनाते हुए कहा था कि देश के हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है। यह उसके जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। माननीय न्यायालय ने उस समय साफ किया था कि लाउडस्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना भले ही अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के अंतर्गत आता हो, लेकिन यह किसी के जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। माननीय न्यायालय ने कहा था कि सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज उस क्षेत्र के लिये तय शोर के मानको से ज्यादा नहीं होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा था कि जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो, वहां राज्य सरकार को लाउडस्पीकर को जब्त करने का अधिकार है।(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए कई राज्यों द्वारा धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउडस्पीकरों को हटाया है, जो तय मानकों से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। अतः सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पालना में प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की तेज आवाज को नियंत्रित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन।

जल जीवन मिशन के तहत ट्यूबवैलों के विद्युत सम्बन्ध विच्छेद

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के समय से लेकर जल जीवन मिशन के पानी के बिजली के जो बिल थे, वे जमा नहीं कराये गये, कई-कई ट्यूबवैलों की तो हालत यह हो गयी कि किसी पर पांच लाख, किसी पर दस लाख और किसी पर बीस लाख बकाया है। आज उन ट्यूबवैलों का भार या उनकी राशि बढ़ गयी है और उसके कारण आज मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में लगभग 62 ट्यूबवैलों के कनेक्शन काटे गये हैं। यह एक जनहित का मामला है, क्योंकि जनता को हम किस प्रकार से पानी पिला सकें और यह स्थिति हो गयी कि आज वहां पर जो हमारे आवारा पशु हैं या हमारी जो गायें हैं, उनको भी पीने का पानी नसीब नहीं होता, क्योंकि एक गांव में मान लो एक ट्यूबवैल है तो उसका कनेक्शन काट देने के बाद में वहां पर पानी की कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस 3 साल में 4 साल में जो काम किया है, उसका हर्जाना हमें नहीं भुगतना पड़े, हमारी जनता को नहीं भुगतना पड़े, इसलिए सरकार इसमें उदारतापूर्ण विचार करते हुए, जनहित में सोचते हुए, हमारे ट्यूबवैलों के जो कनेक्शन काटे गए हैं, उनको वापस जोड़ा जाए और जनता को राहत प्रदान की जाए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डॉ. शिखा मील बराला। लास्ट पर्ची है।

आप विराजो। अभी मैंने नाम पुकार लिया है। ..(व्यवधान)..

सेन्ट्रल पार्क की तर्ज पर चौमूं में बड़े पार्क का विकास

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस व्यवस्था के तहत बोलने का मौका दिया। मेरा विधान सभा क्षेत्र चौमूं जयपुर राजधानी से महज 30 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के रूप में बहुत सारा एरिया डवलप हो रहा है। चौमूं अपने आप में एक मेडिकल और एजुकेशन हब के रूप में भी सामने आ रहा है। हमारे यहाँ नगर परिषद एरिया की जनसंख्या सवा लाख लोगों से ज्यादा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए बाहर गांव, शहरों से आकर बसे हैं। इसे देखते हुए हमारे पास कोई भी एक अच्छा विकसित पार्क नहीं है। हमारे वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे भी सेंट्रल पार्क की तर्ज पर या फिर गोविंदपुरा में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क है, उसकी तर्ज पर कोई पार्क डवलप किया जाए, क्योंकि इस बजट में प्रधान मंत्री महोदय ने, मुख्य मंत्री महोदय ने अपना विजन दिखाया कि वे जनता के स्वास्थ्य की सोचते हैं, 10% ऑयल कंजम्प्शन को कम करना चाहते हैं तो इस दिशा में भी कुछ काम होना चाहिए क्योंकि बदलती लाइफ स्टाइल को देखते हुए पार्कों की अत्यंत आवश्यकता है, और हमारे यहाँ सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं हैं। सड़कों पर कीचड़ रहता है तो इस दिशा में मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार का काम सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज देना नहीं है, एमेनिटीज डवलप करना भी है और वही एक विकासशील सोच रखने वाली सरकार की पहचान होती है। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में कार्य किया जाएगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए जाएं, क्योंकि लंच का समय हो रहा है। ..(व्यवधान) हां, आप बोलो, आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी जो प्रश्न आया आपके सामने पर्ची के माध्यम से, कि जगह-जगह बूंदी जिले में भी ऐसी 64 ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक भोजन अवकाश के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.58 बजे, 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

jyg/Rtm/20.03.25/14.00/2c

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री कैलाश चन्द वर्मा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय परिलाभ के भुगतान में विलम्ब

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय परिलाभ के भुगतान में जानबूझकर विलम्ब एवं मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि सहकारी बैंकों के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु 16वें वेतन समझौते की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2023 को जारी की गयी थी। वित्त विभाग द्वारा जारी स्वीकृति के बिन्दु संख्या 12 में कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया था।

'उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान, उपार्जित अवकाश जमा सीमा, सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के सम्बन्ध में वित्तीय भार के संदर्भ में प्रस्ताव अलग से भेजे जायें।'

उक्त के क्रम में प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को दिनांक 30.08.2024 को भिजवाये गये। वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से दिनांक 04.12.2024 को उक्त प्रस्ताव के क्रम में बैंकों द्वारा जीवन बीमा या अन्य संस्था से पॉलिसी लिये जाने के पर्याप्त प्रावधान किये जाने संबंधी सूचनाएं चाही गयीं, जिनका प्रत्युत्तर दिनांक 23.12.2024 को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि उपरोक्त कार्यवाही के बाद हमारी सरकार ने बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में सहकारी बैंकों के अधिकारी/कर्मचारियों को समर्पित अवकाश एवं सेवानिवृत्ति पर अनुपयोगी उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान दिये जाने की इस बजट में घोषणा की है। इस हेतु सहकारी बैंक कार्मिकों की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार एवं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। मैं यहां आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु विभाग की ओर से दिनांक 18.03.2025 को आदेश भी जारी किये जा चुके हैं। इससे न केवल सहकारी बैंक कार्मिकों के मनोबल में वृद्धि होगी बल्कि सहकारिता आंदोलन को भी गति मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सहकारिता मंत्रीजी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि ध्यानाकर्षण के माध्यम

से प्रकरण संज्ञान में आने पर अविलम्ब राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कर्मियों को देय परिलाभ के भुगतान के सम्बन्ध में इसी बजट, 2025-26 का जो बजट आया और मंत्रीजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी उदारता रखते हुए जिस तरीके से इनके लाभ के लिए और उसकी घोषणा की और इसकी क्रियान्विति हेतु आदेश भी जारी किये। पूरे राजस्थान के अन्दर जो सहकारी समितियों के कार्मिक हैं उनके अन्दर एक खुशी की लहर है।

अभी जो माननीय मंत्रीजी ने जिस तरीके की बात यहां पर की कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अन्दर सहकारिता के माध्यम से जो काम हुए हैं वो राजस्थान की जनता से छिपे हुए नहीं है। राज्य कर्मचारियों के हितों के लिए यह सरकार अति संवेदनशील है, इस बात का यह भी स्पष्ट संदेश इस मामले के अन्दर माननीय मंत्रीजी द्वारा दिया गया है कि राज्य की सरकार आने वाले समय के अन्दर जिस तरीके के काम करना चाह रही है, जैसा मैसेज पूरे राजस्थान के अन्दर देना चाह रही है, उसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मंत्रीजी से एक-दो सुझाव हैं। आने वाले समय के अन्दर इनको और सुगम किया जाये, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने कर्मचारियों के इस प्रकरण को उलझाकर रखा और समय-समय पर केवल और केवल उनको उलझाने के सिवाय और केवल मीठा प्रलोभन देने के सिवाय और कुछ नहीं किया। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से और सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन है कि वर्तमान में ग्राम सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापकों को समिति द्वारा निर्धारित मानदेय ही दिया जाता है, जो कहीं पर तो ज्यादा है और कहीं पर कम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी समितियां गांवों की आत्मा होती हैं और गांवों के लोग, गांवों की जनता उनसे डाइरेक्ट जुड़ी रहती है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने मुझसे मिलकर अवगत कराया कि सरकार द्वारा उनकी योग्यता निर्धारित करें जिससे कि सभी सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को एवं सहायक व्यवस्थापकों को समान रूप से वेतन और परिलाभ मिल सके। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भजन लाल सरकार प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए आने वाले समय के अन्दर अच्छा कार्य कर रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय मंत्रीजी।

श्री अध्यक्षः कुछ कहेंगे? हो गया वैसे तो।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो भी सुझाव दिये हैं उनका हम परीक्षण करवाकर जो भी समुचित कार्यवाही होगी, करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्षः श्री भागचन्द टांकड़ा।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण फैल रहीं बीमारियां

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत प्रदेश में फल-सब्जियों सहित खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में आदरणीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर विषय है कि जिस तरीके से मिलावट हो रही है, जिस तरीके से आप और हम सब लोग जो हमारा कंजम्पशन, जो एक तरीके का पोइजन है, हम खाने के साथ ले रहे हैं। आज अपन गेहूं की भी बिजाई होती है तो उसमें डीएपी और यूरिया मिलाकर नीचे सोइल में देते हैं। जितने भी फल आते हैं आपके पास, वो जितने भी होर्टिकल्चरिस्ट हैं, बागवान हैं, बिना स्प्रे के वो नहीं पनपते क्योंकि फ्रूट फ्लाई उनको डेस्ट्रोय कर लेती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह इश्यू रेज किया कि ये जो अभी त्योहार के टाइम पर दूध की आवक इतनी बढ़ जाती है मावा के अन्दर, मिठाइयों के अन्दर लेकिन गांवों के अन्दर दूध की सप्लाई मतलब शहरों की तरफ ज्यादा जाती नहीं है। ये जो इश्यू है, सऊदी अरब में तो कानून है कि आप एडल्टरेशन करते पकड़े जाओ तो आपकी गर्दन काट देंगे, मतलब आपका डेथ सेंटेंस है क्योंकि आप जो है अपनी कमाई के पीछे दूसरे की जिन्दगी घटा रहे हैं तो, it is almost like attempt to murder. मतलब इतना सीवियर कानून उन्होंने बनाया है लेकिन अब जो स्थिति है वो हर स्टेट में है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने टोटल इंस्पेक्शन किये 03.03.2025 से 11.03.2025 तक 1,340 किये। 3,000 सैम्पल्स हमने लिये और आपने जो बोला कि बड़े-बड़े मगरमच्छों को छोड़ा जा रहा है छोटे-छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसके अन्दर डी-मार्ट जैसा, इतनी बड़ी चेन है, उनके विरुद्ध 3 एफआईआर दर्ज हुई। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बड़ी-बड़ी मिठाई की दुकानें हैं, उन पर रेड्स होकर उन पर भी पनिश्मेंट हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो एफएसएसएआई है, जो बॉडी है फूड सेफ्टी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो according to Food Safety Act, के तहत वो हर स्टेट के लिए एक नम्बर ऑफ सैम्पल्स कितने महीने के करने हैं, उसका एक टार्गेट सेट करती है। आपको खुशी होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान को नम्बर वन माना गया था, इन्होंने जो सैम्पलिंग हमें बतायी थी उससे 250 प्रतिशत राजस्थान के अन्दर हमारी सरकार ने सैम्पलिंग की है, 250 परसेंट प्लस। हमारा स्टेट राजस्थान का उनके रिकॉर्ड में, उनकी साइट पर जाकर देख लें, Rajasthan was rated number one State.

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसके अलावा हमारे पास क्या विकल्प है, एक तो जो फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, वो बढ़नी चाहिए। उसके अधिकारी हमें बड़ी तादाद में लेने हैं। उसके अन्दर भी हमने हमारी जो सरकार की हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सीरियसनेस रही है,

हमारे 11 फंक्शनल लैब्स थे पहले पुराने।

MLS/RTM/20.03.2025/14:10/2d

अलवर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चूरू, जालोर, जयपुर, जोधपुर। ये 11 तो हमारे फंक्शनल थे अभी तक। अब 7 हमने कम्प्लीट किये हैं - सीकर, नागौर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, भीलवाड़ा और बारां, ये भी अब जल्दी ही चालू होने वाले हैं। अब 11 से आपकी 18 लैब्स हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, बहुत इजाफा है। उसके अलावा जो हमारा अभी नया बजट आया है 2025-26 का, उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने 7 और लैब्स सैंक्शन कर दी हैं - हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर।

अभी पूरे राजस्थान में हमारे पास 97 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, 100 से भी कम हैं। हम अभी 300 नयी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए, माननीय सदस्य को मैंने जो फिगर्स दिये हैं, सब-कुछ दिये हैं। आपको मैं यह भी बता दूंगा कि आपने जो इश्यू रेज किया है कि ये जो 1340 फूड इस्पेक्शंस किये थे, 3363 सैम्पल्स जो कलेक्ट किये थे, वे 03.03.2025 से ही 8 दिनों के अन्दर, उसके अन्दर मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, कैटेगरीवाइज कितने लोगों के सैम्पल्स गलत पाये गये, उसके अन्दर कितने डेस्ट्रॉय किये गये, लिस्ट बहुत लम्बी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को यह आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार बहुत सीरियस है, नम्बर 1 हमें रेट किया गया है, इंस्पेक्टर्स हम 97 से 300 तक बढ़ा रहे हैं। टोटल जो हमारे पास लैब्स हैं, 11 से ये 25 लैब्स हो जाएंगी। हम सही दिशा में सही कदम ले रहे हैं। राजस्थान के जितने भी हमारे भाई, बन्धु, बहनें हैं, हम उनके प्रति कमिटेड हैं कि यह पॉइजनिंग का जो प्रोसेस है, इस फूड पॉइजनिंग को बहुत सीरियसली लिया जायेगा।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी द्वारा कहा गया कि प्रदेश भर में त्योहारों के समय ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान चलाकर विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। यह सब त्योहारों के समय की ही बात नहीं है। आज अपन अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो चाय से करते हैं। जिस गांव में पशु धन संख्या है ही नहीं या है तो नाम मात्र की है, वहां उस बीएमसी के अन्दर अगर 2 हजार से 3 हजार लीटर दूध आ रहा है तो वह आ कहां से रहा है, जब पशु धन की संख्या उस गांव के आसपास में है ही नहीं? सरकार के पास पशु जनगणना का डेटा भी होगा। उस डेटा का अनुपात उस दूध के अनुपात से नापा जाये तो कहीं 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना और 25 गुना तक दूध उस डेयरी पर आता है। ऐसा संयुक्त अभियान चलाकर ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे आम आदमी को जो जहर परोसा जा रहा है, यह जहर नहीं मिले।

अभी 1340 सैम्पलों पर इन्होंने कार्यवाही की, कोई 3 हजार सैम्पल इन्होंने लिये, लेकिन ऐसे सैम्पल लिये, जहां किसी दुकानदार को, ये बड़ी-बड़ी जो फैक्टरियां हैं, जहां उत्पादन होता

है, उस उत्पादन वाले को ही कवर किया जाये या उस पर कोई नया कानून ऐसा बनना चाहिये, यह आम जनता की मांग है कि आने वाले समय में इतनी बीमारियां हो रही हैं, ये सब खाने-पीने की वस्तुओं से ही हो रही हैं। शहर के नजदीक गन्दे नाले के पानी से जो सब्जियां हो रही हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिये, जिससे बीमारी होने की आशंका कम हो।

माननीय भजन लाल जी की सरकार आने के पश्चात् विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन उसमें भी आम जनता को कोई ठोस राहत प्राप्त नहीं हुई है। सरस, जो कि राज्य सरकार का उपक्रम है, उसके माध्यम से सरस घी आम जनता को प्राप्त होता है, उसके भी नकली डिब्बे बाजार में बिक रहे हैं। इस पर भी ठोस कार्यवाही होनी चाहिये। ज्यादा नहीं, केवल दौसा जिले की बात करूं तो दौसा और करौली जिलों की एक संयुक्त मोबाइल फूड टैस्टिंग लैब वाहन संचालित है। उक्त वाहन में तैनात कार्मिक द्वारा त्योहारों के समय दोनों जिलों में एक साथ मिलावटखोरों के विरुद्ध प्रभावी जांच नहीं हो पाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कम से कम प्रत्येक जिले में 2-2 मोबाइल फूड टैस्टिंग लैब वाहन उपलब्ध कराये जाएं। साथ ही, प्रदेश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ायी जाये ताकि लिये गये सैम्पलों की समय पर जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही हो। राज्य सरकार छोटी-छोटी मछलियों की बजाय बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कार्यवाही कर ऐसा सख्त कानून बनाये, जिसमें ऐसी मिलावट करने वाले, निर्धारित मात्रा से अधिक रासायनिक पदार्थ या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने वालों की सख्ती से जांच कर कार्यवाही हो।

''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान केवल त्योहारों के समय ही नहीं, अपितु पूरे वर्ष समय-समय पर किया जाये ताकि आमजन को मिलावटी सामान से निजात मिल सके। ऐसा सरकार से मेरा विशेष आग्रह है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष जी, यह सही है कि शहरों में गन्दे नाले के पानी से जो सब्जियां उगायी जा रही हैं, इसके ऊपर जो भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, नगर निगम हैं, इनको बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिये, क्योंकि यह सही है कि ये इस पानी को वेजीटेबल्स वगैरह की ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा, मैंने माननीय सदस्य को तीन चीजें बता दीं। एक तो हम लैब्स बढ़ा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में बढ़ा रहे हैं। हम अपनी मैनपावर 97 से 400 ले जा रहे हैं।

अब थोड़ा एडवर्टाइजिंग कैम्पेंस भी हम चलाएंगे और मोबाइल वैंस भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन जो जनता का माइंडसैट है, जो गिल्टी लोग हैं, मिलावट करते हैं, जब तक आप किसी को गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते हो, तब तक नाम लेना इस सदन में उचित नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी हमने मिठाई की दुकानें वगैरह हैं, हमने रेड्स की हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन

अभी चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, बड़े लोगों को नहीं पकड़ रहे।

जहां तक गांवों की आपने बात की कि वहां कितना पशु धन है, अब गायें-भैंसें तो हम गिन नहीं सकते गांवों के अन्दर। अगर मिलावट हो रही है, वह सब शहर में हो रही है। कितनी सप्लाई दूध की कहां से हो रही है, उस पर हमारा विभाग नियंत्रण नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष: श्री पूसाराम गोदारा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत मुझे आपने बोलने का मौका दिया...

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित करिये। आप तो ध्यान आकर्षित करो।

रतनगढ़ में आवासीय भूमियों का नियमन

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में लम्बे समय से आबादी विस्तार व कृषि भूमि का आवासीय भूमि में नियमन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, मैं यही बात कह रहा था।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय जब बोल लें, फिर आप बोलना।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में 1 अप्रैल, 2024 से 20 मार्च, 2025 तक कुल 485 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 442 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। शेष 43 प्रकरण भूमि रूपान्तरण के, शेष प्रकरण जो 45 दिवस से कम के हैं, उनको कर दिया जायेगा। इसी प्रकार आबादी विस्तार के सम्बन्ध में उप-खण्ड अधिकारी राजगढ़ और उप-खण्ड अधिकारी चूरू में कुल 6 आबादी विस्तार के प्रकरण प्राप्त हुए हैं। धारा 177 में कुल 523 प्रकरण उप-खण्ड अधिकारियों के न्यायालयों में लम्बित हैं। उप-खण्ड व जिला स्तर पर आबादी विस्तार का कोई प्रकरण आदिनांक तक लम्बित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय मंत्री महोदय, पिछले 10 साल से मेरे विधान सभा क्षेत्र चूरू जिले में आबादी विस्तार का कोई भी प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा एसडीएम के यहां प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया कि आसपास सिवायचक, अराजीराज भूमि नहीं है, इस कारण से कोई प्रस्ताव नहीं दिये जाएंगे। यह गलत है। आबादी क्षेत्र के आसपास 30-30, 40-40 साल से आपको मालूम है, आपके और हमारे सबके सामने स्थिति आती है, लोगों ने खातेदारी भूमि में भूखण्ड खरीदकर मकान बना लिये, लेकिन उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कृषि भूमि है। इसके अलावा उन्हें पट्टा नहीं मिल रहा है, पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि खातेदार ने रजिस्ट्री करा दी टुकड़ों में,

mkd/rtm/20.03.2025/14:20/2e

लेकिन इकरारनामे भी लिख दिये। जब 90 परसेंट आबादी हो गई, फिर भी 177 में

प्रावधान है कि एनओसी के बगैर खातेदारी खारिज करके अराजी घोषित नहीं किया जा सकता। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस प्रकार से दोहरा शोषणा होता है। पूरे राजस्थान का, सभी सदस्यों के ध्यान में है कि अब गोचर में किसी प्रकार की आबादी नहीं काटी जा रही है। इस कारण से अपन को 177 में संशोधन करके संशोधित विधेयक, राजस्थान टेनेंसी एक्ट, 1955 संशोधन विधेयक लाकर उसमें सरलीकरण करना पड़ेगा। जहां भी 50 परसेंट से ऊपर आबादी एग्रीकल्चर में हो गई, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर तत्काल उस खातेदारी को निरस्त कर अराजी घोषित किया जाए।

इसके लिए ग्राम पंचायतें प्रस्ताव भेजे और उसके पट्टे उन्हें जारी होकर आम आदमी को उसका लाभ मिल सके। नहीं तो लोग 177 में, मैं समझता हूं मेरे एसडीओ कोर्ट में 500 फाइलें पैंडिंग हैं और वे 10 साल से चल रही हैं, कोई निर्णय नहीं हुआ। कोई काश्तकार मकान बनाता है, उसको अकृषि, कृषि का नोटिस जारी किया जाता है। यह गम्भीर मामला है। इसलिए संशोधन विधेयक लाया जाना चाहिए।

नम्बर दो, अगर ऐसा सम्भव नहीं है, सम्भव है। इसके अलावा जब 90ए, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 90ए में खातेदारी नगरपालिका की रिकमंड पर तहसीलदार निरस्त कर सकता है तो क्या ग्राम पंचायत की रिकमंड पर तहसीलदार खातेदारी निरस्त कर उसको पट्टे नहीं दिया जा सकता ग्राम पंचायत द्वारा या इसमें संशोधन किया जाए। जब शहर में लागू है तो गांव वालों से क्या दुश्मनी है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों संशोधन पेश नहीं हो रहा है? हम बहुत से अधिनियम संशोधन के लिए पेश करते हैं।

मेरा राजस्थान की सरकार से माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन है कि ग्रामीण अंचल के हजारों-हजारों परिवारों को, हर गांव में 300-300, 400-400 लोगों की यह समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप टेनेंसी एक्ट की धारा 177 में संशोधन पेश करें या 90ए में संशोधन कर नगरपालिका की भांति ग्रामीण क्षेत्रों को भी पंचायतों, तहसीलदार को अधिकार दिया जाए, खातेदारी निरस्त कर दी जाए, अगर 50 परसेंट से ज्यादा आबादी उस खसरे में बस गई हो, नहीं तो लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है और लाखों रुपये उनके लगते हैं और आज भी बिजली और पानी के मामले से वंचित हैं। इसलिए, मेरी आपसे और माननीय मंत्री महोदय से राज्य सरकार के माध्यम से निवेदन है कि सरकार के सामने प्रकरण रखकर विधेयक लाया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, आ गया। माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि किसी खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में लिया गया है, तो यह राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 के प्रावधनों का उल्लंघन है एवं यह जोत का हानिकारक कार्य या शर्त के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

इस प्रकार उपयोग में ली गई जोत भूमि से खातेदार को बेदखल किए जाने की प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177, 171 व राजस्थान काश्तकारी राजस्व

मंडल नियम 155 के नियम 58 से 62क में दी गई है, जिसके तहत भूधारक तहसीलदार काश्तकार को बेदखल करते हुए राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। धारा 178 के तहत डिक्री या आदेश द्वारा किसी काश्तकार को उसके ऐसे भाग से बेदखल किया जा सकेगा, जैसा कि न्यायालय मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दें।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क की उपधारा 5 में ये प्रावधान हैं कि किसी काश्तकार द्वारा यदि अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु बिना अनुमति उपयोग में ले लिया गया है तो ऐसे खातेदार को अतिक्रमी मानकर उक्त अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। धारा 91 में सरकारी भूमि से अवैध कब्जेधारियों को बेदखल करने के प्रावधान हैं।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 सपठित धारा 91 राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 से ऐसी भूमि काश्तकार को बेदखल करने के उपरान्त राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। ऐसी निहित भूमि को आबादी विस्तार हेतु भी उपयोग में लिया जा सकता है

यदि किसी गांव की आबादी विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता है एवं उस ग्राम में नोर्म्स में कम भूमि है तो आबादी विस्तार के लिए भूमि के प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित किए जाने पर राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत उक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित कर धरा 102क के अंतर्गत ग्राम पंचायत के अधीन भूमि आबादी प्रयोजन हेतु उपयोग की जा सकती है। ऐसी अधीन की गई भूमि पर आबादी के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के तहत जारी किए जा सकते हैं।

यहां पर यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 07.09.2017 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण आवंटन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किए हुए हैं।

इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की वस्तुस्थिति राजस्व एवं पंचायत राज़ विभाग से सम्बन्धित है, ऐसी स्थिति में दोनों विभाग द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करवाया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: शॉर्ट में।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ग्राम पंचायतों को आरक्षित भूमि में गोचर भी शामिल है, क्या उसमें आप आबादी काट सकते हो, जो गांव के आसपास इलाके में, मंत्री से पूछ सकता हूं।

177 में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? आपको खुद को मालूम है कि आपके क्षेत्र में भी यही स्थिति है क्यों? क्योंकि उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है और इस प्रकार से, मतलब ब्लैकमेल करने वाले के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं कि जो खरीदता है, खरीदना तो पड़ेगा ही। वह धरती से ऊपर थोड़े ही बसेगा, कहीं तो उसको बसाना ही पड़ेगा। इसलिए राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की व्यवस्था में संशोधन लाया जाए। दोनों

धाराओं में, टेनेंसी एक्ट 177 और 90ए में लाने के लिए सक्षम है, राजस्थान सरकार से मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, कुछ कहना है। जो भी जवाब दें।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि सरकारी भूमि, सिवाय चक भूमि इसमें सब हो सकता है, परन्तु चरागाह भूमि का जो मामला है, वह हाईकोर्ट के अधीन है और इसमें निर्णय वहीं पर होगा और उच्च न्यायालय का जो आदेश है, उसकी पालना की जायेगी।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): ये उपलब्ध ही नहीं है।

श्री अध्यक्षः याचिकाओं का उपस्थापन। आपका हो गया, आपको दो बार।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अर्जुन लाल जीनगर। श्री अर्जुन लाल जीनगर। (अनुपस्थित) श्री गुरवीर सिंह।

याचिका

श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में हैंडबॉल खेल एकेडमी की पुनः स्थापना

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लालगढ़ जाटान, श्रीगंगानगर में हैंडबॉल खेल एकेडमी को पुनः स्थापित करवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री रफीक खान।

जयपुर में प्रेम नगर पुलिया के निकट नवीन पुलिया का निर्माण

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूंः-

(1) विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में आगरा रोड स्थित प्रेम नगर पुलिया के पास पुरानी चुंगी पर एक नवीन पुलिया का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में।

जयपुर के बगराना, सुमेल एवं विजयपुरा में सीवरेज लाइन की स्वीकृति

(2) विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के बगराना, सुमेल एवं विजयपुरा में सीवरेज लाइन की स्वीकृति दिलवाने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय, एक याचिका में टाइप ऐरर है।

श्री अध्यक्षः इसमें उपस्थापन ही होता है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): टाइपिंग एरर है। मैं एक लाइन बोल देता हूं।

श्री अध्यक्षः नहीं, इस पर बोलना नहीं है। श्रीमती शोभारानी कुशवाह। इसमें बोलना होता ही नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इसमें विजयनगर की जगह विजयपुरा पढ़ा जाए। विजयनगर लिखा हुआ है, उसे विजयपुरा पढ़ा जाए।

श्री अध्यक्षः वह करेक्शन लिखकर दे दें, करवा देंगे।

धौलपुर में वर्षा जल निकासी परियोजना की मंजूरी

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से धौलपुर शहर में आर.यू.आई.डी.पी. के माध्यम से वर्षा जल निकासी परियोजना मंजूर करवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मनीष यादव।

शाहपुरा के उप जिला अस्पताल में ट्रोमा सेंटर की स्वीकृति

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उप जिला अस्पताल में ट्रोमा सेंटर की स्वीकृति दिलाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. प्रियंका चौधरी।

बाड़मेर की महावीर नगर चौकी का थाने में क्रमोन्नयन

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में महावीर नगर चौकी को थाना में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

शिव के राजस्व ग्राम पाबूपूरा के कृषकों को मुआवजा

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र शिव के राजस्व ग्राम पाबूपूरा के कृषकों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: डॉ. ऋतु बनावत।

बयाना में घाटोली-मेरथा मिल्समा-यू.पी. बॉर्डर सड़क का निर्माण

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र बयाना के घाटोली से मेरथा मिल्समा होते हुए यू.पी. बॉर्डर तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थान करती हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025। श्री जोगाराम पटेल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

Bhs/Rtm/20.03.25/14.30/2f

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025. डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (अनुपस्थित)। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं तो सोच रहा था दीप्ति किरण जी बोलेंगी तो...

श्री अध्यक्ष: ओपनर बेट्समेन।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि आप ने तत्काल ही मेरा नाम पुकार लिया उसके लिए हृदय के गहन तल से आपका आभार।

श्री अध्यक्ष: आप अच्छा बोलते हो, लेकिन टाइम में ही बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह मेरे गुरु का विषय है पर इतना ध्यान रखें कि विषय से भटक नहीं जायें।

श्री अध्यक्ष: दोनों ही विद्वान हैं, मुझे तो दोनों की ही सुननी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): चाहे सरकार के विकास के कार्यों में तारीफ करने में परेशानी हो लेकिन सरकार के लगातार नाम परिवर्तन करने के कार्य की तो मुझे तारीफ करनी ही पड़ेगी। बड़ी तेज चली सरकार, बड़ी तेज चली रफ्तार, ये है भजन लाल सरकार। बड़ा नारा था। अब तक, मान्यवर, इस सरकार ने नाम परिवर्तन करने के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया इस 1 साल में इतने नाम परिवर्तन किये। मैं बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप विश्वविद्यालयों पर आ जायें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं आ रहा हूं इस पर भी बाद में। आपकी तरफ ही हूं, सर। नाम परिवर्तन करने से ही अगर उन विकास की योजनाओं को कोई संबल मिल जाए, नाम परिवर्तन करने से ही अगर विश्वविद्यालय तरक्की पर चल जाए, नाम परिवर्तन करने से ही विश्व के स्तर पर राजस्थान के इन 33 विश्वविद्यालयों में कोई पहुंच जाये तो समझ में आता है। किसी भी काम को करने के लिए जो आपका उद्देश्य है वह उद्देश्य नाम परिवर्तन करने से पूरा न होगा, यह मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। +++

श्री अध्यक्ष: विश्वविद्यालयों पर बोलना है। आज की चर्चा विश्वविद्यालयों पर है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): ना-ना, सर, यह मेरा अधिकार है। यह नाम बदलने पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यूनिवर्सिटी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपने नाम बदल दिया तो नाम बदलने में तो मैं बोलूंगा ना। नाम बदलने में बोलूंगा। +++

श्री अध्यक्ष: मैं आपको कह रहा हूं यह अंकित नहीं, आप विश्वविद्यालयों पर बोलो, उसमें जिसके नाम परिवर्तन हुए हैं उस पर आप बोलो लेकिन बाकी पॉलिटिकल बातें अन्य विषयों में आइये, करिये। यह इसका है ही नहीं, विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: किसी विश्वविद्यालय का नाम ही परिवर्तन नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह विधेयक नाम परिवर्तन का है।

श्री अध्यक्ष: विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह विधेयक किसी उद्देश्य के लिए नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): विधेयक नाम परिवर्तन का नहीं है। विधेयक के अन्दर वाइस चान्सलर का नाम कुलगुरु करने का है।

श्री अध्यक्ष: विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): इसी पर तो बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नाम परिवर्तन नहीं है, विधियां हैं, विधियों पर बोलो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): इस सरकार ने जो नाम परिवर्तन किये वह सुनने में क्या दिक्कत है, सर?

श्री अध्यक्ष: नाम परिवर्तन नहीं है विश्वविद्यालय का।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं-नहीं, नाम परिवर्तन है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन है ही नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह विधायी कार्य है। यह जनरल डिबेट थोड़े ही है यह विधायी कार्य है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नाम परिवर्तन का ही तो है।

श्री अध्यक्ष: विधियां हैं, विधियों पर बोलो जितना बोलना है। इसमें +++ और यह कहां से आ गये? यह है ही नहीं विषय।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नाम परिवर्तन करने की ही बात है।

श्री अध्यक्ष: नाम परिवर्तन नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, नाम परिवर्तन करने के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस विषय में तो जाना पड़ेगा न।

श्री अध्यक्ष: आज विश्वविद्यालयों पर ही चर्चा है इस पर जो बोलना है बोलो। विधियों पर है विश्वविद्यालयों के नाम भी परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। नाम भी नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कुलपति का कुलगुरु कर रहे हैं न।

श्री अध्यक्ष: कुलपति का है तो विश्वविद्यालयों पर बोलो न। यह कहां से आ गये? फिर तो आप दस मिनट ऐसे ही करोगे। ऐसे नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, तो उसी पर आ रहे हैं, थोड़ी भूमिका बनाने लग गये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह तो मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: केवल विश्वविद्यालय वाला ही अंकित होगा बाकी अंकित नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता, घुमाने का समय गया अब। अब सीधे आओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह तो मेरा अधिकार है। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): +++ वह नाम भी बदल दिया।

श्री अध्यक्ष: तो यह विश्वविद्यालयों में नहीं है। आपके समय क्या-क्या हुआ था, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है विश्वविद्यालयों पर बात करो जो करनी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं-नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप विधेयक पर बोलो। संशोधन पर बोलो जो बोलना है बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): विधेयक पर ही तो बोल रहे हैं, सर, नाम परिवर्तन पर ही तो।

श्री अध्यक्ष: विधेयक में नाम परिवर्तन नहीं है न।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नाम परिवर्तन का ही तो है विधेयक।

श्री अध्यक्ष: कुलपति का है तो विश्वविद्यालय शिक्षा पर बोलो न। शिक्षा पर बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नाम परिवर्तन का ही तो है यह।

श्री अध्यक्ष: शिक्षा पर आओ, नहीं तो मैं दूसरे का नाम पुकारूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं, आपकी मर्जी आप नहीं करो तो।

श्री अध्यक्ष: आप शिक्षा पर बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: जो बोलना है, शिक्षा पर बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह मेरे अधिकार हनन का मामला है, सर।

श्री अध्यक्ष: आपको अधिकार है। शिक्षा पर बोलो तो अंकित होगा नहीं तो नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं, ...(व्यवधान)... मुझे रोका नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष: नहीं, शिक्षा पर नहीं बोलोगे तो टोकेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं, तो फिर यह तो मर्जी की बात है, सर। यह तो मर्जी की बात है, आप बोलने का अधिकार का ही हनन करो।

श्री अध्यक्ष: आप शिक्षा पर बोलो न। आप शिक्षा पर बोलोगे तो ही अंकित होगा। शिक्षा पर बोलोगे तो ही अंकित होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं-नहीं, मैं क्या बोलूंगा यह मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: नहीं विषय पर बोलना है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं असंसदीय बात कहूं तो आप मुझको रोक सकते हो।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। मैं अगला नाम पुकार रहा हूं। आप विषय पर बोलो तो बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं यही तो बोल रहा हूं, सर।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): उधर से कोई भी आदमी पुरानी सरकार की बात नहीं करेगा। खाली उसी पर चलेगी चर्चा।

श्री अध्यक्ष: विषय पर बोलो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, वही ला रहे हैं आर्टिकूलेशन...(व्यवधान)... इनका आर्टिकूलेशन वैसा ही है। सर, नाम पर ही ला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विश्वविद्यालय की शिक्षा पर बोलो। स्कूल शिक्षा बोलो, विश्वविद्यालय शिक्षा पर बोलो। शिक्षा पर तो बोलो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): विश्वविद्यालय का +++ से क्या लेना-देना है? ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): ऐसा है, साहब, कि गुरुकुल, कुलगुरु और कुलपति, इस पर तो बोल लूं, सर?

श्री अध्यक्ष: जरूर बोलो न। शिक्षा पर जो बोलना है, विश्वविद्यालय पर जो बोलना है बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह मेरा सौभाग्य है कि स्पीकर साहब भी शिक्षाविद् रहे हैं और कुलगुरु और कुलपति में आप अन्तर बता दीजिये? क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): कुल के पति नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: आप अपना बोलो फिर मंत्री जी जवाब दे देंगे। इनको बोलने दो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): ये शिक्षा मंत्री जी देखो आप। आपको तो सिक्योरिटी चाहिये अपनी जान का खतरा है, सुरक्षित रहो। आपको तो पुलिस चाहिये बाहर निकलते ही। मुझे तो नहीं चाहिये न। मुझे तो पुलिस नहीं चाहिये, आपको चाहिये इसलिये कम बोलो। कम बोलो।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

मान्यवर, कुलगुरु और कुलपति, यह शब्द कहां से आया? कुलपति भी संस्कृत...।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): कुलपति का क्या अर्थ होता है और कुलगुरु का क्या अर्थ होता है?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): हां, यही तो, तो यह बतायेगा कौन?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं बताता हूं, ये जूली जी और डोटासरा जी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप ऐसे ही कर रहे हो मतलब? ...(व्यवधान)... यही कर रहे हो। यही करने जा रहे हो। यह बात रिकार्ड पर लो, साहब।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सरकार की मजाक बनवा रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): क्या आवश्यकता आ पड़ी, सर? माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापतिः जी, बताइये। बोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): कुलगुरु और कुलपति, कुलगुरु लिखने में और कुलपति लिखने में ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया था जिससे आपके 33 विश्वविद्यालय जो राजस्थान के हैं वो विश्व विजेता बन जाते? आपके 33 में से एक भी दुनिया के इन्टरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर शीर्ष पर नहीं है, शर्म की बात तो यह है कि विश्वविद्यालयों को तो आप शीर्ष पर पहुंचा नहीं पाये और अपनी मूल भावनाओं के अनुसार आप ले जाना कहां चाहते हो देश को? कुलगुरु, कुलगुरु की कल्पना की है बहुत पुराने समय में जब न तो कोई टेक्निकल एजुकेशन थी, न कोई हायर एजुकेशन थी बल्कि कुलगुरु अपने परिवार के वहां आश्रम बना कर कुछ बच्चों को वैदिक ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान यह देता था, वह है कुलगुरु और कुलपति वह है जिसको प्रशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालय का करना है, यह अन्तर है। तो कुलगुरु जो एक तरह से धार्मिक सद्भावना, धार्मिक हिसाब से एक गुरु के रूप में जो शिक्षण देता था वह आज युनिवर्सिटी में है क्या? आप कुलगुरु कर दोगे तो आप पुराने आश्रम लाकर रख दोगे क्या युनिवर्सिटी में? आज युनिवर्सिटी कहां जा रही है? आज युनिवर्सिटी में कैसी एजुकेशन है? क्या-क्या व्यवस्था है? कितना टेक्नॉलॉजी में हम इन्टरनेशनल लेवल पर चल गये? माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, इस बात पर ध्यान दो इसकी बजाय +++ जो इसको कुलगुरु बनाने का संकल्प जो आपने लिया, +++

Kas/Rtm/20.03.2025/14.40/2g

+++ माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान उच्च शिक्षा में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, पूर्ववर्ती सरकार ने तो फिर भी कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, अनेक इंस्टीट्यूशन खोले, अनेक हॉयर सैकण्डरी स्कूल खोली, शिक्षा के क्षेत्र में एक रिकार्ड कायम किया, लेकिन इस सरकार ने पूरे सवा साल में प्राइमरी स्कूल बंद करने के अलावा कुछ नया काम नहीं किया है। ....(व्यवधान)....

श्री सभापतिः विराजिए। विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): न हॉयर सैकण्डरी स्कूल, न मिडिल स्कूल और काम चला रहे हैं कि साहब कुलगुरु कर दो। आप कुलगुरु की भी इसमें बेइज्जती कर रहे हैं। गुरु हमारी एक पुरानी सम्माननीय स्थिति है। कुलपति वाली तो प्रशासनिक जगह है, गुरु वाली नहीं है। यह प्रशासनिक है, उसको प्रशासन चलाना पड़ता है। इस प्रशासनिक स्थिति वाले को तो आप कुलपति ही रहने दो, कुलगुरु करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।

आप जब भाषण दें तो मुझे बताना कि इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर

इन 33 यूनिवर्सिटी में से कौनसी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने विश्व में नाम किया हो? नहीं बता सकते। इन सवा साल में आपने कॉलेजेज में शैक्षणिक उद्धार के लिये कोई एक भी परिवर्तन किया हो, तो आप वह बता दें। आप यह बता दें कि आने वाले समय में भी क्या कुलगुरु नाम लिखने से सारी शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुधर जायेंगी? बिना विजन के, बिना सोच के, बिना कार्य प्रणाली के यह सरकार नाम बदल कर, चाहे अभी कोई मांग कर लेगा कि मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदल दो। नाम बदलने के अलावा दिमाग में कोई काम नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं, Sir Richard Livingstone की एक किताब है Some Tasks For Education उसमें उन्होंने लिखा है "Words are powerful agents, and we must first understand their real meanings before using them." आप मुझे यह बता दें कि कुलपति को कुलगुरु करने के पीछे लोजिक क्या है? आपने जो लिखा है, उसमें भी लोजिक नहीं है। आपके पास कोई आधार तो होगा कि इस परिवर्तन से कितना व्यापक परिवर्तन आप हमारे शैक्षणिक जगत को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिये कर देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इधर-उधर की बात करने के बजाय आप तो हमारी शिक्षा को किस तरह से उच्च स्तर पर पहुंचाये और हमारे विश्वविद्यालय दुनिया में हमारा नाम करें, उस नाम के हिसाब से आपको सोचना चाहिये। लेकिन पूरी की पूरी सरकार का एक ही काम है जब से बनी है नाम बदलो, नाम बदलो, नाम बदलो, थोड़ी तो शर्म करो, काम करो।

श्री सभापतिः श्री रविन्द्र सिंह भाटी। (अनुपस्थित)

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नाम बदलो के अलावा सरकार के पास कोई काम नहीं है। मेरा विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है।

श्री सभापतिः श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (अनुपस्थित) विराजिए, साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): क्यों? विधान सभा को 5 बजे से पहले ही खतम करना चाहते हो क्या?

श्री सभापतिः डॉ. सुभाष गर्ग।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): कल ही साढ़े चार बजे हो गई थी, बोलने तो दो।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): एक मिनट, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): पहले इजाजत तो लो, नाम नहीं बोला है, नाम बोलो सर।

सूचना

पानीपेच व हसनपुरा के आबादी क्षेत्र में अग्निकांडों की दृष्टि में सुरक्षात्मक उपाय

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन की इजाजत चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, सिविल लाईन्स विधान सभा क्षेत्र के दो क्षेत्रों, पानीपेच और हसनपुरा, इन दो क्षेत्रों में दो फैक्ट्रियों में, एक रूई की थी और फोम गद्दों की थी, दोनों में भयंकर आग लगी और यह दोनों इलाके वो हैं जहां पर घनी आबादी है और ऐसी स्थिति में परसों जो आग लगी, उसको 12 दमकलों को जाकर बुझाना पडा, नहीं तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। मेरा आपके जरिए आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया इस बात

की व्यवस्था करें कि क्षेत्र में आगजनी वगैरह की सुरक्षा के हिसाब से पर्याप्त जांच की जाये और जिनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है, उन पर कड़ी कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री सभापतिः विराजिए, विराजिए। डॉ.सुभाष गर्ग।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सभापति महोदय, मेरा नाम है।

श्री सभापतिः भाटी साहब, आप विराजो।

विधेयक पर विचार

राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 में कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का प्रतिस्थापन किया गया है, मैं इसके सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूं। मैं तो आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से यही पूछना चाहूंगा और जब ये रिप्लाई करें तो यह बताने का कष्ट करें कि कुलगुरु और कुलपति में अंतर क्या होता है? क्यों इसको लाया गया? आप खुद कह रहे हैं कि "The Vice-chancellor is the principal executive and academic officer in the State Funded Universities of Rajasthan. Looking to the existence of Guru-Shishya Parampara in India since ancient times, the State Government has decided to change the nomenclature of Vice-chancellor and Pro-Vice-Chancellor in Hindi Version of such Universities from "कुलपति" and "प्रतिकुलपति" to "कुलगुरु" and "प्रतिकुलगुरु" respectively." मुझे यह बता दीजिए कि, Vice-chancellor is the principal executive and academic officer, तो कुलगुरु क्या होगा? वह प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सीईओ होगा या नहीं होगा? एक तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं।

दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कुलपति को, प्रति-कुलपति को वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर को तो चेंज कर दिया, कुलाधिपति का क्या होगा, जिसको आप चांसलर कहते हैं, तो उसके लिये भी कोई शब्द ढूंढते कि कुलगुरु कहेंगे या कुलुओं का गुरु कहेंगे, क्या कहेंगे, इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं यह लैप्स हुआ है, अधिकारियों ने आपके कहने पर कुछ कर दिया, लेकिन एक्सरसाइज नहीं की कि कुलगुरु, कुलपति, कुलाधिपति, तो कुलाधिपति को तो आप कुलाधिपति कहना चाह रहे हो, चांसलर, जो महामहिम राज्यपाल होते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है कि कुलगुरु को कुलपति कह दीजिए। बेसिक अंतर है कि कुलाधिपति का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। ....(व्यवधान).... आप मेरी बात सुन लो, मेरे को बोलने दो। बेकार की बात करते हो, समझ में नहीं आये तो बाहर बहस कर लेना क्या होता है कुलाधिपति।

श्री सभापतिः बैठे-बैठे बीच में ना बोलें, विराजिए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपने कहा कि आपके कहने से अधिकारियों ने यह किया, असल में बात यह है कि अधिकारियों के कहने से यह सरकार कर रही है।

श्री सभापतिः आप विराजिए, विराजिए।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): एक कुलाधिपति इसमें कहीं जिक्र नहीं है, जो महामहिम गवर्नर by ex officio कुलाधिपति बोलते हैं और एक्ट में यह प्रावधान है उनको कुलाधिपति ही कहा जाता है, यह तो आप भी जानते हैं।

आप केवल हिन्दी वर्जन में चेंज कर रहे हो। जो संशोधन लेकर आये हो, उसमें हिन्दी वर्जन चेंज कर रहे हो कि हम कुलपति की जगह कुलगुरु और प्रति-कुलपति को प्रति-कुलगुरु करेंगे। फिर इंग्लिश वर्जन का क्या होगा? इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ कि इंग्लिश वर्जन नहीं, हिन्दी वर्जन ही माना जायेगा।

तीसरा मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में जो यूजीसी एक्ट द्वारा संचालित होते हैं, जिनका 2 एफ में एफिलिएशन हुआ है, कहीं गुरुकुल शब्द है क्या? इसका भी मैं जवाब चाहूंगा। अगर गुरुकुल शब्द है, तो गुरुकुल की क्या क्वालिफिकेशन है? अब आपको यह भी डिफाइन करना पड़ेगा, जब आप अपाइंटमेंट करेंगे, कुलाधिपति कार्यालय से विज्ञापन निकालेंगे, तो उस कुलगुरु की क्वालिफिकेशन क्या होगी? वहां तो क्वालिफिकेशन दे रखी है वाइस चांसलर की, तो कुलगुरु की क्वालिफिकेशन आपकी वैदिक परम्परा के अनुसार, अपन जो साहित्य, संस्कृति, विरासत की बात करते हैं, तो इसमें कुलगुरु की भी क्वालिफिकेशन जोड़िए कि वो संत होगा, क्वालिफाइड संत होगा, उसी को कुलगुरु बनाया जायेगा, जो प्रोफेसर होगा उसको कुलगुरु नहीं बनाया जायेगा, तो कम से कम पूरा तो पालन करें।

Msk/rtm/20.03.25/1450/2h

कुलगुरु अच्छा शब्द है। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा शब्द है, आप कहीं से भी लेकर आये। आपने जिस इंडियन एनशिएंट की बात की थी। आप दिखवा लेना, कुलगुरु स्थायी होता है और कुलपति अस्थायी होता है, तीन साल के अपोइंट किया जाता है। कुलगुरु के लिए यदि आप वैदिक साइंस में जायेंगे तो कुलगुरु एक परिवार का मुखिया होता है, उस कुल का गुरु होता है और स्थायी होता है, जैसे राजा-महाराजाओं के टाइम पर राजपुरोहित होते थे। वे परिवर्तित नहीं होते थे, राजपुरोहित का बेटा ही दूसरा राजपुरोहित होता था, वह परिवार चलता रहता था। हमने वह चीज तो ले ली। इसको भी देखने की जरूरत है कि जब हम चीजों को करें, अच्छा करें, इससे जो कन्फ्यूजन पैदा होगा, अब यह बड़ा अच्छा अजीब लगेगा कुलाधिपति को तो चांसलर बोल रहे हैं और इनको हम बोलेंगे, कुलगुरु और प्रतिकुलगुरु। प्रतिकुलगुरु कहने में, प्रनाउंसेशन में ही बड़ी दिक्कत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरी चीज कहना चाहूंगा। अच्छा है आप एक विधेयक लेकर आये, बिल लेकर आये, विश्वविद्यालयों का जो वाइस चांसलर वाला सिस्टम है। आप सब जानते हैं, चाहे पक्ष हो, यह पक्ष हो, कोई भी हो, इनकी जो कारगुजारियां हैं, उनके ऊपर भी कोई सुधार के लिये लाते। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिफॉर्म्स कमीशन, रिफॉर्म एंड हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन पर

आप बनायें, जिससे कि जो स्थितियां हो रही हैं, अब आप जानते हैं, क्या कहें? यह पहले भी हुआ, जो कुलाधिपति आते हैं, वे अपने साथ वाइस चांसलर लेकर आते हैं। इसको चेंज करिये। एक संशोधन लेकर आइये कि On the advice of the State Government, not in consultation with Government इसको करिये, नहीं तो हमारे राजस्थान के शिक्षाविद् वाइस चांसलर बनने के लिए तरसते रहेंगे। यह मैं फैक्ट कह रहा हूं। यह बात राजस्थान राज्य के हितों की है। मैरिट के आधार पर बनाइये, कौन मना करता है? यहां पर मैरिट वाले ब्यूरोक्रेट्स लोगों की कमी नहीं है। मेडिकल का फील्ड हो, टेक्निकल एजुकेशन का फील्ड हो, हायर एजुकेशन का फील्ड हो, राजस्थान के लोग दुनिया में नाम कर रहे हैं, आप जाइये। तो क्या कारण है कि राजस्थान के लोग कुलपति नहीं बन सकते? इसको भी सोचिये। इसके लिए भी अगली बार संशोधन लेकर आइये। मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत जरूरी है, मैं कॉलेज का एक शिक्षक रहा हूं, इसलिए मैं इनके सिस्टम को जानता हूं कि What is going in the University? आप चेक करिये। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। कुलाधिपति कार्यालय उस पर करता है, लेकिन आप कुलाधिपति महोदय से बात करिये, मीटिंग करिये कि आप चाहते हैं कि हायर एजुकेशन स्टैन्डर्ड सुधारना चाहते हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन हम देना चाहते हैं तो roll-up Vice Chancellor. भरतपुर का आपको मालूम है, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में पहले क्या हुआ, यह भी आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है तो क्या कारण है? जोधपुर की नहीं, मैं सब की कह रहा हूं। यह पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं, मैं तो सब का, जिनका आया है, जिनके खिलाफ़ कार्यवाही हुई है या हो रही है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्या कारण है? उसका कारण यही है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। उस एक्ट में जो संशोधन हुआ, उसको हटाइये, बात करिये और इसको करिये।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा। क्योंकि हायर एजुकेशन का मामला है, यह मौका है, आप बहुत शरीफ और अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसमें इनिशिएट लें और इनिशिएट लेकर इस काम को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात मैं करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सीनेट और सिंडिकेट, आप देखें जो सिस्टम था, वह पिछले 10-15 सालों से बंद पड़ा है? करीब-करीब 10 साल होंगे, आप चेक करवा लीजिए। क्या कारण है कि स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है कि सिंडिकेट में स्टूडेंटस नहीं आ पा रहे हैं?

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

मैं चुनावों की बात नहीं कर रहा हूं, चुनाव आप करायें, नहीं करायें, वह एक अलग इश्यू है, सरकार का विषय है। मैं कह रहा हूं कि उनका जो डेमोक्रेटिक रिप्रजेंटेशन है, उसकी वजह से इन पर हम लोग नकेल कस नहीं पाते। इसको सोचिए। जो रोल है, आप खुद स्टडी कर लीजिये, वाइस चांसलर्स बुला लीजिये। सरकार को तो कोई कह नहीं सकता हूं, आप खुद

अच्छी तरह जानते हैं, उस रोल को बढ़ाइये, सरकार के रोल को बढ़ाइये। क्वालिफिकेशन और इसके सम्बन्ध में एक संशोधन लेकर लेकर आयें, तब जाकर होगा। फिर मैं आपको यह कह रहा हूं कि कुलगुरु से इतनी दिक्कतें होंगी। क्योंकि यूजीसी, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है और आप सब जानते हैं, जितनी भी यूजीसी की क्वालिफिकेशंस इस पर लागू होती हैं और उसमें आपने कुलगुरु शब्द कर दिया। कहीं यूजीसी से भी कंसल्ट कर लीजिये कि हम ऐसा कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग हाई कोर्ट में जायें, सुप्रीम कोर्ट में जायें, उसको वही करवा दें।

तीसरा, मैं कहना चाहूंगा, कुलगुरु। कुलपति जो होता है, अब यूनिवर्सिटीज रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज तो है नहीं, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी हैं, यह आप भी जानते हैं। कुलगुरु होता है, केवल एक कैम्पस। जो वहां गुरुकुल चलता है, उसका कुलगुरु होता है, एक पर्टिकुलर कैंपस होता है, चाहे वह 10 बीघा का हो, चाहे 50 बीघा का हो। कुलपति जो होता है, उसके 500 कॉलेज एफिलिएटिंग होते हैं, वाइस चांसलर के अधीन। तो वह कुलगुरु कैसे भूमिका निभा पायेगा? यह मेरी समझ में नहीं आता है कि वाइस चांसलर को कुलगुरु कहने से क्या वह कुलगुरु हो जायेगा? मैं समझता हूं कि नहीं हो पायेगा। आप इसको देखिये कि केवल इसलिए नहीं। अच्छी बात है कि इसमें वैदिक दिया, इंडियन एनशिएंट टाइम होता था। उस इंडियन एनशिएंट टाइम में ग्रुप होता था, 10 का, 50 का, 100 लोगों का। उस गुरुकुल में कौन पढ़ते थे, आपको मालूम है? कौन लोग पढ़ते थे? किसी गरीब का बच्चा पढ़ता था? क्या किसी दलित का बच्चा उस गुरुकुल में जा पाता था? बताइए आप? आप खुद जवाब दे देना। कौनसे गुरुकुल में, बहुत सलेक्टेड होंगे, एकाध गुरुकुल ऐसे होंगे जिसमें गरीब व दलित का बच्चा जा पाता होगा। वह तो सलेक्ट लोगों के लिए था, एलीट क्लास के लोगों के लिये था। आप कहीं भी देख लें। तो मेरा आपसे कहना है कि गुरुकुल जो शब्द है वह वास्तव में एक अलग है। फिर तो मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि इनका नाम राजस्थान गुरुकुल जयपुर करिये, राजस्थान विश्वविद्यालय की जगह। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को जय नारायण व्यास गुरुकुल, जोधपुर करिये। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को राजस्थान तकनीकी कुलगुरु, कोटा करिये। करिये, क्या दिक्कत है? तो उनका नाम ही कुलगुरु कर दो। बढ़िया रहेगा, हम गुरुकुल विश्वविद्यालय बना रहे हैं, गुरुकुल कॉलेजेज बना रहे हैं, उसका नाम पर करिये। इसको सोचने की जरूरत है। आज एक तरफ हम जा रहे हैं, विश्व शक्ति कहलाना चाहते हैं।

जहां सब तरह की एजुकेशन, हायर, टेक्निकल, रिसर्च और क्या-क्या नये-नये स्पेस एजुकेशन, एआई की बात कर रहे हैं। हम केवल एक शब्द का यूज करके ये देना चाह रहे हैं। आप इसको सोचिये कि कई बार तो यह दिक्कत हो जाएगी, डिग्री पर वाइस चांसलर के साइन होते हैं। आपने देखा होगा, आप सब कुछ जानते हैं, आप भी पीएचडी हैं, मैं भी पीएचडी हूं। डिग्री पर सिग्नेचर होते हैं तो वह कुलगुरु लिखेगा। जब डिग्री बाहर जाएगी, कहीं फोरेन यूनिवर्सिटीज़ में, तो कहेंगे कि गुरुकुल क्या है? तो इसको भी थोड़ा सोचने की जरूरत

है।

मानननीय सभापति महोदय, मेरा तो आपसे यही कहना है कि यह जो शब्द है, इसके मुताबिक, इसकी क्वालिफिकेशन भी तय करें और फिर एक संशोधन लेकर आयें कि विश्वविद्यालय के कुलगुरु क्वालिफिकेशन ये होंगी, तो इसका चेंज करना जस्टिफाई होगा। धन्यवाद, आपने मुझे कुछ समय दिया।

श्री सभापतिः श्री रविंद्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): सभापति महोदय, धन्यवाद, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी चीज विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई चर्चा चल रही है। कुलगुरु की बात चल रही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की जब बात करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी एक छवि होती है। कुलगुरु की चर्चा चल रही है। कुलपति की जगह हम कुलगुरु का नाम लेकर आ रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप लेकर आयें। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे से पहले भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई सारी चीजें कहीं। सही बात है कि साहब यूजीसी आपको वैलिड करेगी, नहीं करेगी? क्या पता कल के समय में, कुलगुरु कहीं पर साइन करते हैं, वे डिग्री अगर कैंसिल हो गयीं तो क्या होगा? हमारे यहां से कोई ग्रेजुएट करके फोरेन जा रहा है और वहां पर देखता है कि साहब वाइस चांसलर के सिग्नेचर ही नहीं हैं, तो उसको चार-चार बार धक्के खाने पड़ेंगे। आप इसके लिए कुछ न कुछ एक ठोस चीज ले आयें। मेरा तो यही निवेदन है, क्योंकि गुरु की बात है तो मैं उनके सामने या उसके विषय में आपके खिलाफ़ तो नहीं बोलूंगा? गुरुओं की इज्जत हमेशा हम करते ही आये हैं। गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके लागूं पांय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुत बड़ा नाम है, आप करें, आपका स्वागत है।

मेरा निवेदन है कि आप विश्वविद्यालयों के बारे में भी सोचें। मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2019 से लेकर 2022 तक छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। खूब बार धरने दिये, प्रदर्शन किये। एक बार की मैं आपको बात बता रहा हूं। पिछली बार, जो पेंशनर हैं, जो अपना लगभग पूरा जीवन वहां पर निकाल कर आते हैं, वे सारे बुजुर्ग लोग, हरिमोहन जी साहब सबसे वरिष्ठ हैं, हरिमोहन जी साहब, 70-70, 75-75 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पूरा जीवन दिया, वे सड़कों पर आये, धरने दिये। मैंने कहा, क्या हुआ साहब? तो कह रहे हैं कि, साहब, हमने पूरा जीवन इस संस्था को दे दिया, आज के समय में यह संस्था हमें पेंशन तक नहीं दे पा रही। आप विचार करें कि चतुर्थ श्रेणी का कोई कर्मचारी है जिसकी पेंशन कुल मिलाकर 10 हजार है, अगर छह महीने तक आप उसको पेंशन नहीं देंगे तो उसकी क्या स्थिति होगी? होली-दिवाली हमारे लिये गयी। हमारे लिए तो खूब सारे लोग मिठाइयां लेकर आते होंगे। उनके बच्चों के लिये, उनके पोतों के लिये मिठाई कौन ले जायेगा? क्या स्थिति होगी? तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हमारी सारी यूनिवर्सिटज गुजर रही हैं। हम उसको अप-लिफ्ट कैसे करें, उसके बारे में चर्चा करने की ज्यादा जरूरत है?

अब बात करें स्टाफ की। यूनिवर्सिटी के अंदर सारे प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं, टीचिंग, नॉन-टीचिंग के सारे पद खाली पड़े हैं। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। गैस्ट फैकल्टी पर जो प्रोफेसर्स आ रहे हैं, जो पढ़ाने के लिये आ रहे हैं, वे इसी उम्मीद के साथ कि कभी न कभी सरकार कोई न कोई ऑर्डिनेंस लायेगी और हमें परमानेंट करेगी। मेरा तो निवेदन है की जो जो गेस्ट फैकल्टी पर आ रहे हैं, आप उनको परमानेंट करें। .

mdp/rtm/20.03.25/15:00/2j

नॉन-टीचिंग के जो स्टाफ हैं, लगभग काफी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया और अभी तक वे टेंपरेरी हैं, उन लोगों को आप परमानेंट करें।

साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, आप बहुत एक्टिव हैं, माननीय मंत्री जी बहुत लाठा हैं, आपसे तो मेरा यह निवेदन है कि आप उन यूनिवर्सिटीज़ में, उन हॉस्टल्स में, उन विद्यार्थियों के साथ एक दिन, एक रात गुजार कर आएं। आप वहां की हॉस्टल्स की स्थिति देखें, वाकई लगेगा स्टूडेंट्स को कि हमारे माननीय मंत्री जी बहुत एक्टिव हैं। आप वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे कि साहब हमारे पास क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे यहाँ पर हैं। आप उनके बीच में अगर समय निकालेंगे तो चार चीजें साथ में निकल कर भी आएगी।

साथ ही साथ, अभी बात चल रही थी सिंडिकेट की, सीनेट की। तो सीनेट और सिंडिकेट के अंदर छात्रों को या छात्रनेता या जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप कैसे भी तय करें और उनको जगह दें, ताकि कम्युनिकेशन रहे। साहब, समन्वय ही नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन अलग भाग रहा है, छात्र अलग भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ब्रिज बनाने की जरूरत है। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में भी सोचें।

साथ ही साथ, मैं स्पोर्ट्स की भी बात करूंगा। आज के समय में यूनिवर्सिटीज़ का स्पोर्ट्स, हम बात कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा में इतने खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, इतना बढ़िया-बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को क्या हुआ? साहब, वह इसलिए खेल नहीं पा रहे हैं कि उनके पास ना तो पूरे संसाधन हैं, ना वहां पर पूरे शिक्षक हैं। मेरा निवेदन है कि हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी। आज ए.आई. का ज़माना आया है, टेक्निकल चीजों का ज़माना आ गया है। हमारे बच्चे आज के समय में ग्रेजुएट होकर बेरोजगार होते जा रहे हैं। एक लंबी फ़ेहरिस्त हमारे पास है। दिनों-दिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। साहब, हमें विचार करना पड़ेगा कि हम जिस और जा रहे हैं, क्या वह रास्ता सही है?

साथ ही साथ मेरा तो यही विशेष निवेदन माननीय मंत्री जी से रहेगा कि आप वहां जाए। साथ ही, फीस का मामला है। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत गंभीर समस्या है, माननीय सभापति जी। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, छात्रों के बीच में काम करने का मुझे मौका भी मिला। वेस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मैं वहां देखता था कि ग्रामीण परिवेश से

आने वाला जो विद्यार्थी है, वह अपनी ग्रेजुएशन के साथ-साथ तैयारी भी करता है। कई सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। आप उन पर फीस का बहुत ज्यादा तरीके से बर्डन डाल रहे हैं। आप विचार करिए कि पिछले दो साल पहले मैं एक बार अखबार देख रहा था, उसमें लिखा हुआ आया कि चार गुना हमने फीस बढ़ा दी। इस तरीके से अगर हम फीस लादते गए तो ग्रामीण परिवेश से आने वाला वह विद्यार्थी कहां जायेगा? वह कैसे तैयारी करेगा? कहीं ना कहीं उनके हितों के बारे में भी सोचने की जरूरत है।

साथ ही साथ, क्लासेज वगैरह की अगर मैं बात करूं, लगभग सभी विश्वविद्यालय से निकल कर आए हैं, हमारे मनीष भाई हंस रहे हैं, तो मनीष भाई आप देखते होंगे कि कहीं पर भी क्लासेज पूरे तरीके से नहीं लग रही हैं। आज हमारे स्टूडेंटस जो हैं, वे परेशान हो रहे हैं। अगर प्रोफेसर से बात करें तो कहते हैं कि साहब स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्रोफेसर नहीं आ रहे हैं। ये जो सिस्टम है, उसको सही करने की जरूरत है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर हमने समय रहते इस सिस्टम को सही नहीं किया तो ये सिस्टम कोलेप्स हो जाएगा।

आज के समय में हम यहां पर जितने भी सदस्य बैठे हैं, कई हमारे जो वरीष्ठ सदस्य हैं, वह छात्रसंघ से जीत कर आए हैं और निश्चित रूप से छात्रसंघ चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर छात्रसंघ चुनाव नहीं होते तो पश्चिमी क्षेत्र के, पश्चिमी राजस्थान के उस रेगिस्तानी क्षेत्र से निकल कर मेरा जैसा एक जो मध्यम परिवार से आने वाला विद्यार्थी है, वह यहां पर नहीं बैठे पाता। निश्चित रूप से, आप लोग भी, सारे लगभग हम एक लोअर मीडियम फैमिली से आते हैं, यहां पर मनीष भाई बैठे हैं, माननीय बायतू से आने वाले सदस्य हैं, शेरगढ़ से आने वाले सदस्य हैं, कई सारे हमारे लोग हैं। यह तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की और जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, उसके साथ ही साथ सुखाड़िया से आने वाले हमारे माननीय कृपलानी जी भी बैठे हैं, तो निश्चित रूप से यह छात्रसंघ चुनाव होंगे तो नए युवाओं को राजनीति में आने का एक मौका मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि चुनाव सही नहीं हो रहे हैं, तो आप उसके ऊपर कहीं ना कहीं चार नियम ज्यादा लगाएं। लॉ एंड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिए फोर्स ज्यादा लगाएं, परंतु छात्रसंघ चुनाव कराएं, ताकि नए युवाओं को आगे आने का मौका मिले।

साथ ही साथ, एक विशेष निवेदन मैं वापस माननीय मंत्री जी से करूंगा कि ये जो टेंपरेरी स्टाफ लगे हुए हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग के, उनको आप परमानेंट जरूर करें। नई एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। वहाँ पर करियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के समय में कोई भी कैंपस के अंदर करियर काउंसलिंग के लिए नहीं आ रहा। विद्यार्थी ग्रेजुएशन तो कर लेते है, ग्रेजुएशन करने के बाद में कहीं ना कहीं दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर आप ये सब चीजें करवाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे

युवाओं को एक नई जगह मिलेगी।

साथ ही साथ, अभी चर्चा चल रही थी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की, साहब, मुझे कहते हुए बड़ा दु:ख होता है, माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने तो खुलकर नहीं कहा, परंतु मैं सामने एक पट्टी लगी हुई देख रहा हूं और उस पर लिखा हुआ है कि भैया जो बोल रहे हैं, सत्य बोलो और मैं सत्य बोल रहा हूं कि जो बड़ी अटैची लाता है उसको वाइस चांसलर बनाते हैं। वाकई ये कोई भी हो, कोई भी राजा आया, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष, निश्चित रूप से जो जितनी बड़ी अटैची लाता है, उसको बड़ी यूनिवर्सिटी का चार्ज दे दिया जाता है। आप विचार करें वाकई वह बड़ी अटैची वाले कुलगुरु जैसे पद पर बैठने लायक है क्या?

साहब, आप बात कर रहे हैं रजिस्ट्रार की, कुलपति की, यह तमाम लोग जो हैं, इनको तो विश्वविद्यालय में अपना टेन्योर निकालना है। कुलपति का टेन्योर 3 साल का होता है। वह बड़ी अटैची देकर आते हैं। उनको तो यह लगता है कि साहब 3 साल में कैसे वापस इकट्ठा करें और जाएं। साहब, इस दौर में सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा हैं? हमारे इस प्रदेश को हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को हो रहा है। आखिर उसका गुनहगार कौन है? अगर हमारे युवा और हमारी इस शिक्षा नीति को पूरे तरीके से खत्म किया जा रहा है, तो इसका गुनहगार कौन? गुनहगार हम लोग, यहां पर बैठे हुए 200 के 200, क्योंकि ये चीज़ देखने पर भी हम चुप बैठे हैं, हम मौन बैठे हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? साहब, इन यूनिवर्सिटीज़ को बचाएगा कौन? हमारी इस शिक्षा की जो नीति है, ये जो संस्थाएं हैं, इनको बचाएगा कौन? बचाने के लिए लोगों ने हमें भेजा है यहां पर। माननीय मंत्री जी, थ्हानै हाथा-जोड़ी कर थोरो है कि साहब, आप इस और देखें वरना वाकई ये सिस्टम लैप्स हो जायेगा। रजिस्ट्रार और वाइस चान्सलर को कोई लेना देना नहीं है। वह ठोक-ठुका कर अपने घर चले जाते हैं। जो नीचे बैठे स्टाफ हैं, वह दु:ख के आंसू रोते हैं। वह कहते हैं कि हम हमारी व्यथा गाएं किसके आगे? साहब, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी बड़ी-बड़ी पहुंच हैं।

मेरा तो निवेदन है कि आप एक दिन, आप सर्किट हाउस में मत रुकिए। आप यूनिवर्सिटीज़ में रुकिए, उन युवाओं के बीच में, नवाचार आएगा, नए क्वालिटीज के लड़के आगे आएंगे। आपके लिए रिसर्च करने वाले लड़के आपको मिलेंगे। आप तो उनको आगे लायें। निश्चित रूप से आप आज कुलगुरु का जो कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, परंतु कुलगुरु के साथ-साथ यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट कैसे करें, उसके लिए भी बात करें। हमारी कॉलेजेस के अंदर आज के समय में ज्यादातर प्रोफेसर्स के पद जो हैं, वे खाली पड़े हैं। साहब, घना ही बेरोजगारा री फौज पड़ी, घातोनी मीना, अपलिफ्ट कीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा। (अनुपस्थित) श्रीमती अनिता जी भदेल। (अनुपस्थित) श्री मनीष जी यादव।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान मुझे बोलने का अवसर देने के लिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा‚ क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं और सरकार की मंशा यह भी हो सकती है कि गुरु-शिष्य की परम्परा को पुनर्स्थापित करने की, अगर वह कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु करने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर यह मंशा है तो निश्चित रूप से इस बात को तो मैं कहना चाहूंगा, लेकिन जिस विषय पर हम दो घंटे से चर्चा कर रहे हैं, अभी सुभाष जी गर्ग बोल रहे थे, रविन्द्र भाटी बोल रहे थे, बहुत सारे सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कही। जिस विषय को हम रख रहे हैं, जो संशोधन हम करना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा के यूनिवर्सिटीज, जो बड़े केन्द्र हैं, उनके बारे में भी हम, क्योंकि आज के समय में नयी एजुकेशन पॉलिसी आ गयी, उसके विषय में हम चर्चा करते। केवल इस संशोधन के विषय में, जब हम केवल नामकरण बदलना चाहते हैं और विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनकी दयनीय स्थिति पर, आज के हालात के सम्बन्ध में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं तो ये उच्च शिक्षा के साथ एक बेईमानी है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो सरकार ने यू.जी.सी., 2025 का जो मसौदा था, केन्द्र सरकार का, उसमें कहा गया है कि उद्योगपतियों और नौकरशाहों को कुलपति बनाने का एक रास्ता सरकार ने दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कुलगुरु शब्द ऐसे उद्योगपतियों, नौकरशाहों को आप देना उचित समझेंगे? जो वाइस चांसलर बाहर के राजस्थान में बन रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि शिक्षक की नहीं है, क्या कुलगुरु पद को वह सुशोभित कर पाएंगे? आज आर.यू.एच.एस. का कुलपति जो सरकार ने बनाया या कहीं भी बनाया, क्योंकि उनका फील्ड फार्मासिस्ट है, पीएच.डी. फार्मा से हैं, आप फार्मा विश्वविद्यालय राजस्थान में बनाइए, उसका कुलपति उनको बना दीजिए।

Ans/rtm 15.10 2k 20.03.2025

लेकिन मेडिकल फील्ड का कुलपति आप उनको बना रहे हैं, उनका नामकरण कुलगुरू हो जाएगा, तो हम कैसी पीढ़ी तैयार करेंगे? जो बेसिक चर्चा है वह हमको आज करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और उसके बारे में केंद्र जो कह दे और उसको हम मान ले, भले ही यू जी सी का जो मसौदा है उसको हम मान लें, मुझे लग रहा है कि नई शिक्षा नीति है, उसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में नई शिक्षा नीति पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। आज के समय में जो नई शिक्षा नीति है, कई परिवर्तन आज आए हैं। आज संकाय परिवर्तन करने का नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि विद्यार्थी संकाय का परिवर्तन कर सकता है, मनमाफिक विषय चुन सकता है। आप बताइए, राजस्थान के कॉलेज हैं वहां पर एक संकाय है, अब एक संकाय का व्यक्ति दूसरे संकाय को कैसे चुन सकता है?

कानूनी रूप से अगर वह कोर्ट में जाएगा, न्यायालय में जाएगा और वह अपनी नई शिक्षा नीति के आधार पर अपने अधिकार की बात करेगा, तो हमारे कॉलेज जहां पर एक संकाय है। उसको जो अधिकार नई शिक्षा नीति में दिए हैं, हम उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को राजस्थान में डवलप नहीं कर पा रहे है, उस पर बहुत बड़ी चर्चा आवश्यक है। केवल नई शिक्षा नीति के मूल उद्देश्य को स्वीकार कर ले और छात्रों के जो अधिकार की बात है उसको नहीं करें, मुझे लग रहा है कि उस पर बहुत बड़ी आवश्यकता है कि विषय चयन का जो अधिकार छात्र को दिया गया है, मंत्री महोदय अगर वह न्यायालय में चला गया तो उसकी डिग्री और उसकी वैधता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसीलिए भी बहुत आवश्यक है कि हम एन ई पी की पालना पर जितनी तत्परता दिखा रहे हैं, हमें इस पर चर्चा करानी चाहिए, सदन में चर्चा करानी चाहिए, ताकि हम कैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में बनाना चाह रहे, कैसी यूनिवर्सिटी हम बनाना चाह रहे हैं, उस पर हम आगे बढ़ें।

सभापति महोदय आज जो सेमेस्टर सिस्टम नई शिक्षा नीति में शुरू किया गया है, सेमेस्टर सिस्टम से बहुत सारे बच्चे ड्रॉपआउट हो रहे हैं। वह अगली क्लास में नहीं जा पा रहे है। क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम उन विश्वविद्यालयों के लिए था, जहां पर रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्टल्स हैं। 1947 की राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिस विश्वविद्यालय से, जिस गरिमामयी विश्वविद्यालय से मैं निकल करके आया, छात्रसंघ अध्यक्ष रहा और वहां से होकर मुझे सदन में आने का अवसर मिला।

माननीय सभापति महोदय, जो हमारे पांच कॉलेज हैं, उस समय की परिस्थिति थी कि उच्च शिक्षा में इतनी छात्राएं नहीं आती थी। उस समय महारानी कॉलेज जो गर्ल्स का था, उसको केवल बालिकाओं के लिए रिज़र्व किया गया। कॉमर्स कॉलेज, साइन्स कॉलेज महाराजा कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज राजस्थान कॉलेज है, वहां पर आज आवश्यक है कि समय के साथ हम को-एजुकेशन लेकर आये। आज हम महिला शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, उनको बराबर का अधिकार है। वह बराबरी में आगे बढ़ रही है, तो इसमें भी चर्चा करने की आवश्यकता है।

राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आज मुख्य मंत्री जी स्वयं यह निर्णय करें और केंद्र सरकार से डिमांड करें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा राजस्थान विश्वविद्यालय को दिलाये। हमारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जोधपुर की है, हमारे उदयपुर की है, हमारे राजस्थान के ऐसे पुराने विश्वविद्यालय हैं, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का हम काम करें, वह चर्चा हम सदन में करायें और उसको लेकर सरकार, मुख्य मंत्री जी, सब तत्परता दिखाते हुए प्रयास करें, यह बेहद आवश्यक है।

आज छात्रसंघ चुनाव की बात, अभी रविंद्र जी बोल रहे थे। मैं भी खुद छात्र राजनीति से निकल कर के आया हूं। तमाम ऐसे लोग जो आज इस सदन में नहीं होंगे उन्होंने सदन में अपनी उपस्थिति इस नाते दर्ज कराई कि वह विश्वविद्यालय की राजनीति से निकल करके आए, कॉलेज राजनीति से निकलकर आए और उन्होंने मुकाम हासिल किया। संघर्ष के दम पर मुकाम हासिल किया। मैं सामान्य परिवार से आता हूँ, मुझे अवसर मिला। राजस्थान में

छात्रसंघ के चुनाव की वजह से मुझे इस सदन में आने का अवसर मिला। बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिनको इसीलिए अवसर मिला। इसलिए आवश्यक है कि राजस्थान में छात्रसंघ के चुनाव बहाल किये जाये, उनको शुरू किया जाए।

सीनेट व सिंडिकेट में जो प्रावधान है, सीनेट और सिंडिकेट में आप भले ही नियम बनाएं, आप कानून बनाए, उसके लिए मेरिटोरियस स्पेस हो सकता है, उसके लिए सीनेटर का चुनाव होता है। इस बात को तय करें कि सीनेट और सिंडिकेट में जब तक छात्र प्रतिनिधि नहीं होंगे, तो आप समझिये तानाशाही विश्वविद्यालय में चलती है। आज जिस कुलगुरु के नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमें ये भी चर्चा करनी चाहिए कि कुलपति किस तरीके से तानाशाही करते है, किस तरीके से विश्वविद्यालय में छात्रों पर तानाशाही होती है उनके लिए भी, उनके हक की बात भी हमें इस सदन में करनी चाहिए। हमें चर्चा करानी चाहिए जो बहुत आवश्यक है।

मैं माननीय मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको बॉम बोलते है। सिंडिकेट जैसे प्रशासनिक निकाय बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद विश्वविद्यालय में बोम सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। आप समझिए, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उनकी नियुक्ति हमने की है, नहीं की है। प्रदेश में इस बॉम की, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग नहीं होने का कारण, बैठक नहीं होने के कारण, शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया ठप पड़ी है। कई जगह पर शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। प्रशासनिक फ़ैसले लंबित होने से विश्वविद्यालय का संचालन प्रभावित हो रहा है, इस पर हमें चर्चा की आवश्यकता है।

मैं विश्वविद्यालय में रहा, छात्रावास में भी रहा। 50 साल पहले जो छात्रावास बने थे, उसी दुर्दशा में छात्रावास है। उस समय की परिस्थिति अलग थी। लेकिन 50 साल बाद भी छात्रावास वैसे ही बने हुए हैं, मेज़ वैसी ही है, टेबल वैसी है, कुर्सी वैसी है, अलमीरा वैसी है, वहां की सुविधाएं वैसी ही हैं, आज हमें उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। आज हमें छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय में जिस तरीके से छात्र बढ़ रहे हैं, दूर दराज से छात्र यहां पर आते हैं, लेकिन हम विश्वविद्यालय में छात्रावास नहीं बढा रहे हैं। उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करना बेहद आवश्यक है, उस पर हम ध्यान दें, यह बेहद जरूरी है। विश्वविद्यालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, वह बहुत आवश्यक है। राजसेस कॉलेज है, 14 महीने से, उसकी समीक्षा के लिए आपने एक कमेटी का गठन किया और कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मुझे पूरा करने दें। यह महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए आवश्यक रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार अगर राजसेस कॉलेजों को समय रहते हुए राजकीय मॉडल पर विकसित कर देती, आज 575 पदो पर उच्च शिक्षा में हमने जो विज्ञापन निकाले हैं, जो भर्ती निकाली, अगर राजसेस कॉलेज को हम सही समय पर राजकीय मॉडल में विकसित कर देते, आज कहीं का प्रिन्सिपल, को-आपपरेटिव सोसाइटी जो कॉलेज चला रहे

हैं, उन की क्या दुर्दशा हो रही है, हमें उनको राजकीय मॉडल पर विकसित करना चाहिए। अगर समय रहते हम कर देते तो 3,500 से 4,000 पद सृजित किए जा सकते थे। उच्च शिक्षा के लिए हमारे साथियों को अवसर मिलता, मौका मिलता। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि इन कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की जो भर्ती हैं, वह आर पी एस सी के माध्यम से की जाए।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): सभापति महोदय, मैं महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं।

श्री सभापति: सभी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। आप समाप्त कीजिये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): आर पी एस सी जैसी संस्था अगर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। यू जी सी विनियमन, 2025 का जो मसौदा है, उसमें गंभीर विसंगति है। वह विसंगति है कि उच्च शिक्षा में पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन के सिद्धांत को कमजोर किया जा रहा है। आप यू जी सी के नए मसौदे में नेट हैं, सेट है जे आर एफ जैसे योग्यता आधारित मापदंडों को दरकिनार किया जा रहा है। जो उन मेहनती और प्रतिभाशाली छात्रों के साथ कुठाराघात अन्याय है, जिन्होंने नेट, सेट, जे आर एफ की है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पास की है।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह जी राजपुरोहित।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): यह मसौदा केवल इसलिये तैयार किया गया है कि बैकडोर एंट्री कैसे दी जाए। यह मंशा बिलकुल गलत है। माननीय सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी आवश्यक रूप से चर्चा कराई जाए। महत्वपूर्ण बात आज कुलगुरु के लिए, बेसिक बात है माननीय मंत्री महोदय कुलगुरु नाम बदलने से...

श्री सभापति: समाप्त कीजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा):000

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 लाये हैं। सबसे पहले तो मैं इसका समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से माननीय सदस्य एक शब्द को लेकर बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, डिमांड पर इसी सदन में अभी चर्चा हुई थी, जब डिमांड चल रही थी। प्रारंभिक शिक्षा पर भी चली थी, उच्च माध्यमिक शिक्षा पर चली थी और उच्च शिक्षा पर चली थी, यह सुझाव अगर उस समय देते, अगर दिए भी होंगे तो। अब इस बिल पर सिर्फ एक कुलगुरु शब्द को, वाइस चांसलर जिसको कुलपति कहते हैं, उसको बदलकर कुलगुरु कर रहे हैं। उसको लेकर अगर आप कुछ सुझाव देते तो ठीक रहता। इसमें 33 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इतना सा है कि 33 विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर जितने लॉ बने हुए हैं, उनके नाम में जो कुलपति है उस जगह कुलगुरु शब्द होगा।

VPS-RTM-20.03.2025-15.20-2I

'कुलगुरु' से, जिस प्रकार से अभी चांसलर पर जिस प्रकार से आक्षेप लगा रहे थे, क्या चांसलर रखने से उसका चरित्र ठीक हो जायेगा और 'कुलगुरु' रखने से चरित्र खराब हो जायेगा? इसको भी अपने को सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जब कोई नाम जो अच्छे नाम होते हैं, उनका नाम अगर रखते हैं तो कहीं न कहीं उसका नजरिया चेंज होता है। उसके देखने का नजरिया चेंज होता है तो 'कुलगुरु' शब्द जब आयेगा तो जब वह चांसलर सीट पर बैठा होगा तो शिष्य में जो पारंपरिक जो हमारे वैदिक काल से चल रहा था, उसमें देखने का जो भाव होगा, वह भी बदलेगा। शिष्य का भी भाव बदलेगा और गुरु का भी भाव बदलता है जिससे कहीं न कहीं, जिस प्रकार से आप यह चिंता कर रहे हैं शिक्षा की, उच्च शिक्षा की चिंता कर रहे हैं, उसमें बदलाव होगा। भाव में बदलाव होता है। अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उन्होंने यह कहा था कि नाम परिवर्तन तो नाम परिवर्तन किसने करवाया? जब 2013 से 2018 की हमारी सरकार थी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा शुरू किसने किया था? फिर आपने उसको चिरंजीवी किया और अन्नपूर्णा किसने शुरू की थी? उसको इंदिरा रसोई की। अब बदलते तो आप नाम हो और हमने कौनसे, कैसे नाम दिये? एक दानवीर का नाम दिया जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जब महाराणा प्रताप का सहयोग किया था, ऐसे व्यक्ति के नाम से स्वास्थ्य बीमा योजना निकाली और आपने चिरंजीवी नाम रख दिया। यह भाव क्या है? हम लोगों ने अन्नपूर्णा देवी, जो एक देवी का नाम है जिन्होंने किया था, उस नाम को बदला। आपने इंदिरा, आप राजनेताओं का नाम दे देते हैं। ...(व्यवधान)... हम लोगों ने जब भी महापुरुष जो होते हैं, उनका हम नाम देने का काम करते हैं। हम जितने भी जो शहीद होते हैं, उनके नाम देने का काम करते हैं और आप आपके नेताओं का नाम देने का काम करते हैं, यह हमारे और आप में फर्क है। ...(व्यवधान)... बिलकुल और वह भी एक परिवार विशेष का।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस बिल में 'कुलगुरु' जो शब्द यूज किया है, उपयोग में लाया गया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह भावना थी, बजट घोषणा थी और राजस्थान सरकार जब से इस सत्ता में आयी है और यह संवेदनशील सरकार है। जो भी वादा करते हैं उसको निभाने के लिए इस बिल को लेकर आये हैं। 33 विश्वविद्यालयों में इसका नाम परिवर्तन होगा और जिसकी शिक्षा में जो चांसलर की योग्यता है, उसी योग्यता को रखा जायेगा। उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा लेकिन इस विषय को फेरबदल करने के लिए भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कई सुझाव दिये। जब ये खुद उच्च शिक्षा मंत्री थे तब तो आपने, दस साल से यह समस्या चल रही है, दस साल से पहले, आप डेढ़-दो साल पहले तो आप खुद उच्च शिक्षा मंत्री थी, उसमें कुछ बदलाव कर देते तो थोड़ा अच्छा लगता।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से यह 'कुलगुरु' शब्द लाया है, मुझे यह विश्वास है कि यह जो भारतीय परंपरा है, जिस प्रकार से पौराणिक काल में हमारे देश का शिक्षा के

क्षेत्र में एक अव्वल दर्जा था, पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में हम कहीं पर भी निरक्षर नहीं थे लेकिन जब से आक्रमणकारियों ने, आततायियों हमारे ऊपर आक्रमण किये, वह बहुत लम्बा समय है। उस पीरियड में शिक्षा के क्षेत्र में हम दूर हुए। उस समय न तो कोई दलित था, न कोई अन्य था। कुलगुरुजी सभी को शिक्षा देते थे। यह आज राजनीतिक क्षेत्र में दलित की भाषा लायी गयी है, अलग-अलग शब्द लाने का प्रयोग हम लोगों ने किया है। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय जो भी आता था, सभी को शिक्षा दी जाती थी। ...(व्यवधान)...

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): आप तो मनु स्मृति की पैरवी करते हो।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): आज के टाइम में हम लोग, यह धीरे-धीरे शब्दों को बिगाड़कर उस व्यवस्था को खराब करने का काम करा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस 'कुलगुरु' शब्द को लाने का जो काम किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी जो लेकर आये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैंने जो छह माह के लिए बिल परिचालन करने का प्रस्ताव भेजा था, वह मैं वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री डूंगरराम गेदरजी।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पर बोलने का समय दिया। सरकार की नाम बदलना फितरत बन गयी है और कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, पहले योजनाओं के नाम बदले गये और आज 'कुलपति' से 'कुलगुरु' नाम आप कर रहे हैं।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जब डबल इंजन की सरकार है। केन्द्र में भी सरकार आपकी है तो आप वहीं से इनका यदि नाम बदलवा देते तो अलग-अलग राज्यों को इस तरह से नाम बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पहले आपने इस तरह से मध्य प्रदेश के अन्दर नाम बदला और मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही आप राजस्थान के अन्दर यह विधेयक लेकर आये हैं, जबकि राजस्थान के अन्दर शिक्षा की जो हालत है, वह बद से बदतर है। पिछले दिनों कॉलेजों के उद्घाटन आपने किये। जिन कॉलेजों की घोषणा मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने की, जमीन अशोक गहलोत साहब ने दी, साढ़े चार-चार करोड़ रुपये बिल्डिंग बनाने के दिये और बिल्डिंग्स बनकर जब तैयार हो गयीं तब आपने उसके उद्घाटन किये, लेकिन जब उद्घाटन किया तो आपने जयपुर से किया। आपने इतना भी नहीं सोचा कि यदि लोकल वहां कोई सरपंच है, कोई प्रधान है, किसी को भी यदि बुलवाकर एक पन्द्रह बाई पन्द्रह का टेंट लगवाकर भी यदि आप उद्घाटन करवा देते तो लोकल लोगों को भी पता चलता। वहां दस बच्चों को यानी, पांच लड्डू लाकर आप खिलवा देते तो भी अच्छा लगता लेकिन आपने ऐसी जहमत उठाने का प्रयास भी नहीं किया और जो कॉलेज, आपने उद्घाटन तो कर दिया लेकिन उस उद्घाटन के अन्दर जो दस लाख रुपये का फर्नीचर चाहिए था,

व्हाइट बोर्ड चाहिए था, वह व्हाइट बोर्ड और फर्नीचर की व्यवस्था भी आप वहां पर नहीं कर पाये। बाकी सारी की सारी व्यवस्था पहले से की हुई थी तो इस तरह से उच्च शिक्षा के माध्यम से आपने नाम बदलने के काम की शुरूआत की है लेकिन देश के अन्दर पहले राजस्थान, देश में सबसे बड़ा हमारा राज्य है और प्रतिभाशाली शिक्षाविद् राजस्थान प्रदेश के अन्दर रहते हैं; लेकिन जो राज्य के अन्दर 32 सरकारी विश्वविद्यालयों में दूसरे राज्यों के कुलपतियों को आयात किया जा रहा है। क्या राज्य के अन्दर ऐसी प्रतिभाएं नहीं हैं जो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति बन सके और राज्य के केवल चार विश्वविद्यालय हैं जहां पर प्रोफेसर कुलपति राजस्थान प्रदेश के हैं। राज्य के पांच विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्ति की सरकार ने डेढ़ साल से चयन प्रक्रिया ही शुरू नहीं की और नियुक्ति कर यहां की युवा पीढ़ी को विश्व गुरु यानी, गुरु की भूमिका में आप कहां तक पहुंचाएंगे, यह समझ में नहीं आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपके 'कुलपति' से 'कुलगुरु' का नाम रखने से क्या होगा? जब राजस्थान प्रदेश के अन्दर विश्वविद्यालय में कुल 5 हजार पदों में से 4 हजार से अधिक पद खाली हैं और जिनमें प्रोफेसर है, गैर शैक्षणिक स्टाफ के है, महोदय, यहां तक कि एक कुलपति महोदय के पास तो चार-चार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का भार आपने दे रखा है। न जाने क्यों इतनी मेहरबानी आपने उन पर कर रखी है? सरकारी कॉलेज के अन्दर शिक्षा के 5,886 पद खाली हैं और भर्ती जब आपने निकाली है तो मात्र 575 की ही निकाली है तो इस तरह से राजस्थान प्रदेश के अन्दर शिक्षा का सत्यानाश करने में आप पूरी तरह से लगे हुए हैं।

महोदयजी, कुलपतियों के चयन से क्या होगा जब सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है? राज्य के खाली कुलपतियों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए चयन समितियों का ही गठन आज तक आप नहीं कर पाये हैं। यही हाल विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट और प्रबंध मंडल चयन समितियों के सदस्यों का मनोनयन दो साल में नहीं हुआ और यहां सरकार बनने के बाद आज तक विश्वविद्यालयों के अन्दर जरूरी, इन सदस्यों के मनोनयन नहीं होने से न बजट पास हुआ, न कोई डिग्रियों का ग्रेस पास हुआ और न ही खाली पदों पर भर्ती आप कर पा रहे हैं।

महोदय, यह सरकार कुलपतियों के नाम पर 'कुलगुरु' रखकर क्या दिखाना चाहती है? राजस्थान की युवा पीढ़ी यह भली-भांति जानती है कि आप उन विश्वविद्यालयों को अपनी जिद से बंद कर रहे हैं जिन विश्वविद्यालयों को हमने शुरू किया था। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को आपने बंद किया, जिसको हमने न केवल वापस शुरू किया बल्कि उसका नया परिसर भी बनाकर दिया। हमारी सरकार ने युवाओं को अधिक से अधिक विशेषीकृत शिक्षा और कुशलता प्राप्त करने के लिए राज्य में पांच साल में सात नये विश्वविद्यालय खोले, लेकिन आपकी सरकार में केवल नाम बदलने में वाहवाही करनी है। आज तक आपकी सरकार के सदस्य सदन में बारबार यह मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर प्रथम

महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले के नाम पर बालिकाओं के लिए समर्पित एक राजकीय आवासीय विश्वविद्यालय खोला जाये। उस पर सरकार अभी तक, आपके सदस्य की यह मांग है लेकिन फिर भी आप यह ध्यान नहीं दे रहे हैं इस बात पर पूरा सदन सहमत होगा कि राजस्थान सरकार शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है तो एक मां सावित्री बाई फुले के नाम पर भी एक महिला विश्वविद्यालय खोला जाये।

महोदय, राज्य की युवा पीढ़ी को नये भारत और समाज में सुशासन से अत्यधिक शिक्षित करने, उनको व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने चार करोड़ ...(व्यवधान)... की लागत से मुम्बई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गर्वनेंस एंड सोशल साइसेंज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कर भवन बनाकर दिया किंतु इस सरकार के पास युवा पीढ़ी के लिए न कोई योजना है, न कोई नीयत है। वह भवन तैयार है, लेकिन आज तक नाम बदलने की जिद के कारण वह धूल खा रहा है। महोदय, मेरा आपसे यह कहना है कि यह सरकार नाम बदलने का काम कर रही है, इनके पास इसके अलावा कुछ करने को है नहीं।

Ssy/Rtm/20.03.25/15.30/2m

इसलिए सिर्फ नाम बदलकर नाम कमाने की नीति का मैं विरोध करता हूं और राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 जनमत जानने के लिए वापस भेजा जाये, यह मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती गीता बरवड़। (अनुपस्थित) श्री जयकृष्ण पटेल। (अनुपस्थित) श्री समरजीत सिंह जी।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं इस बिल पर चर्चा करने के लिए जिसका नाम राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 और जब मैं इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पढ़ रहा था तो इसमें लिखा गया है कि 'The Vice-chancellor is the principal executive and academic officer' इस वर्ड पर जोर देना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम गुरुकुल की बातें करने आए हैं, कुलगुरु की बात करने आए हैं और आपके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में ही कहा गया है कि हम "The Vice-chancellor is the principal executive and academic officer in the State Funded Universities of Rajasthan. Looking to the existence of Guru-Shishya Parampara in India since ancient times, the State Government has decided to change the nomenclature of Vice-chancellor and Pro-Vice-Chancellor in Hindi Version of such Universities from "कुलपति" and "प्रतिकुलपति" to "कुलगुरु" and "प्रतिकुलगुरु" respectively." उसको पढ़ने में और समझने में ही इतना समय लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि आगे सिस्टम को आप कैसे बिठाओगे, उसमें भी समय लगेगा।

नाम बदलने से क्या परिस्थितियां सुधर जायेंगी? हमें कुलगुरु, कुलपति पुराने जमाने की

बातें हैं, एंशियंट टाइम की बातें आपने ऑब्जेक्टिव में भी कही हैं, इन सब बातों पर ठीक है, चलो आपकी इच्छा है, आप नाम बदल रहे हैं, पर मेरा तो कहने का मतलब यह है, जोर देकर कहना चाहूंगा कि मैं जब इस बिल को लेकर हाथ में बैठा तो इसके अंदर बिल शुरू हुआ और अंत हो गया, खाली इन 33 यूनिवर्सिटी के नाम के अलावा कुछ नहीं था, तो डिस्कस क्या करें, चर्चा हम क्या करें? वह तो बातें हो गई, कुलगुरु होना चाहिए, कुलपति होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए?

इसमें भी कुल का मतलब जो हमें समझ में आया, एक कुटुंब से होता था कुल के आसपास होता था, उस जमाने में कुल होते थे और उन कुल का जो गुरु होता था उसे कुल गुरु कहा जाता था। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। राजस्थान जैसे बड़े स्टेट में आप इस थ्योरी को लेकर आए हैं, आपको देखना है, आपके पास बहुमत है आप पास कराओगे, हम तो चाहेंगे कि इस पर और चर्चा हो, सिस्टम को सुधारा जाये। एजुकेशन सिस्टम पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, यूनिवर्सिटीज पर, कॉलेज एजुकेशन पर। क्योंकि विशेष तौर पर मंत्री जी जिस विभाग को लेकर बैठे हैं, इस विभाग से इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। जो भविष्य तय होगा, जो बच्चे तैयार होंगे, वही हमारी पूंजी है, वही हमारा धन है और उनके लिए हम क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं वह हमें देखने की जरूरत है।

आज स्थिति यह है कि पद खाली पड़े हैं, यूनिवर्सिटीज के अन्दर, कॉलेजेज के अंदर जाओ, मेरे भीनमाल की स्थिति बता दूं 1966 में बना हुआ कॉलेज है और उसके अंदर 21 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 8 भरे पड़े हैं। उसमें भी डेपुटेशन का एक रोग और है, 3 डेपुटेशन पर चले गए, तबादले होते तो शायद पता नहीं उसकी जगह दूसरा भी लग जाता, तो पद सारे खाली पड़े हैं, कॉलेजेज राम भरोसे चल रही हैं, ध्यान इन चीजों पर देना चाहिए।

हरिमोहन जी बोल रहे थे, जब नाम बदलने की बड़ी बातें आईं और हमारे आहोर से आने वाले विधायक महोदय ने काफी व्याख्या कर दी पूर्वजों की, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहूंगा, पर नाम बदलिये, सब करिए, अपने पूर्वजों का सम्मान भी करिये, करना भी चाहिए, पर आज के सिस्टम को हम कैसे मजबूत करें उस पर ध्यान देना पड़ेगा।

आज कॉलेजेज की जरूरत है, मैं तो कहता हूं एस डी एम हेडक्वार्टर पर कॉलेजेज हों।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): वह सुन ही नहीं रहे।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): मंत्री जी, अपने गप्पे लगाने में रेवेन्यू और हायर एजुकेशन की बातें हरिमोहन जी चल रही हैं, हमें बात करनी है, क्योंकि आज के इस आई टी के जमाने में राजस्थान सुनता है, और कौन कितना गंभीर है, उस विषय पर हम क्या कहें, पूरा राजस्थान सुनता है और सब समझता है।।

मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन कॉलेजेज को जिला लेवल पर, एस डी एम लेवल पर जो कॉलेजेज हैं इनको अगर मजबूत करेंगे, इनके अंदर लेक्चरर्स लगाएंगे तो आपके जो पलायन हो रहा है बच्चों का, आज अखबारों में भी भरा पड़ा है आगे भी चर्चा करते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं, कोटा कोचिंग सेंटर्स की बातें करते हैं, तो इस

पलायन को भी कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। हम जब इन कॉलेजेज को मजबूत करेंगे, हम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे तब बच्चों का पलायन अपने एरिया से बाहर की तरफ कम होगा। कौन जाना चाहता है अपना इलाका छोड़कर, दूसरी जगह जाकर किराए के मकानों में रहकर कोचिंग सेंटर में? अगर अच्छे अध्यापक मौजूद हों, अच्छे लेक्चरर्स मौजूद हों, खुद के इलाके में मौजूद हों तो वहां पढ़ाई होगी, मां-बाप की देखरेख में होगी और यह घटनाएं जो अपन सुनते हैं आत्महत्या की घटनाएं, जो बच्चों के ऊपर प्रेशर है, वह प्रेशर कम होगा। अगर हम मूलभूत सुविधाएं नीचे स्तर तक पहुंचायेंगे।

इसके लिए मैं तो आपको कहना चाहूंगा, सुझाव भी देना चाहूंगा कि जिस तरह से 1966 में भीनमाल में कॉलेज गोवानी सेठ ने खोली थी, जो बॉम्बे में बैठते थे। पी पी पी मॉडल पर क्यों नहीं शिक्षा के क्षेत्र को भी आप लोग प्रमोट करते हैं? यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं लाते? जिस तरह से आप मेडिकल कॉलेजेज जिलों में लाये हैं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): गुजरात मॉडल।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): जीवाराम जी, गुजरात मॉडल से तो चीजें आप ले आओ ना, डबल इंजन की सरकार है, वहां से भी उठा कर ले आओ, हम गुजरात बॉर्डर पर ही रहते हैं, आप और हम। मेरा कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज भी निचले स्तर तक जानी चाहिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप दोनों पड़ोसी हो।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): हां, पड़ोसी हैं। यूनिवर्सिटीज भी नीचे तक जानी चाहिए जिस तरह से आपने मेडिकल कॉलेजेज जिलों में खोले, मैं आज कहना चाहूंगा कि इसका भी आने वाले जमाने में बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर हम नीचे के स्तर पर यूनिवर्सिटीज और अच्छी सुविधाएं मजबूत करेंगे तो क्यों बच्चे जाएंगे यू पी एस सी की तैयारी करने के लिए दिल्ली, आर पी एस सी की तैयारी करने के लिए बाहर की तरफ, जब उन्हें सुविधाएं मिलेंगी?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): समरजीत जी, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। आपने कहा कि हर जगह मेडिकल कॉलेज खोले इसलिए धन्यवाद, यूनिवर्सिटीज भी खोलो। पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज खोले, धन्यवाद आपको।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): आपको मैं एक चीज निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया किसी के पीछे नहीं रुकी है। 70 साल हुए हमें आजादी में तो हमारे से पहले वालों ने भी काम किए होंगे, हम भी करेंगे और आने वाले भी करेंगे। काम चलता रहेगा, प्रगति एक अनवरत प्रक्रिया है। उसके लिए हमको सबको धन्यवाद देना चाहिए। आपको भी धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। नींव लगती है तब इमारत खड़ी होती है, तो सभी ने कार्य किया है। आज हम बैठकर यह बात करें तो इतिहास हमें कोसेगा कि हमने काम करने की जगह तेरे, मेरे में समय व्यतीत कर दिया।

मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम नीचे के स्तर तक फेसेलिटीज दें, अभी मैं बार-बार कह रहा था कि 1966 में कॉलेज खुली और वहां पीजी कॉलेज नहीं है। पीजी कॉलेज के अन्दर सिर्फ एक हिन्दी का सब्जैक्ट है। अगर हम और सब्जैक्ट उपलब्ध करायें पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, ज्योग्राफी तो मैं पुनः दोहराता हूं कि बच्चों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं।

एक, सबसे बड़ा ध्यान मैं B.Ed कॉलेजेज की तरफ दिलाना चाहता हूं, सरकारों ने B.Ed कॉलेज खूब खोल दिये और दुकानों की तरह B.Ed कॉलेज चल रहे हैं। हम जाते हैं हमारे एरिया में तो लोग फोन करते हैं कि साहब, उस संचालक को फोन करिये वह 25 हजार मांग रहा है, वाजिब पैसे ले ले। इस लूट से बचाइये उच्च शिक्षा मंत्री जी, तो हम कहीं न कहीं फायदा करेंगे। जनता इस तरफ देख रही है। गरीब आदमी B.Ed की तरफ अपने बच्चों को भेजता है, अगर इन चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे जो लूट बची है उन तरफ, तो हम अपने आप में कमी करेंगे।

एक, गर्ल्स कॉलेज भी आप लोगों को खोलने चाहिए, हर एस डी ओ हैडक्वार्टर पर, क्योंकि लड़कियों को अगर शिक्षा में आगे बढ़ाना है तो हम ज्यादा से ज्यादा अगर खोलेंगे तभी शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। इसी तरह से, फिर कृपलानी जी बीच में बोलेंगे, 2023-24 के बजट में जो कॉलेजेज खुली थी उन कॉलेजेज अभी तक कोई पूर्ण हुई नहीं है, तो सरकार को चाहिए और हरिमोहन जी कह रहे थे कि स्पीड वाली सरकार है, तो इस स्पीड वाली सरकार को 2 साल में पूरी कोशिश करके इन कॉलेजेज को शुरू करना चाहिए, ताकि फायदा मिले।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): शुरू हो गये। बिल्डिंग नहीं बनी, कॉलेज तो शुरू हो गये।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): आपकी प्रॉपर बिल्डिंग नहीं बनेगी, जब तक कॉलेजेज भी दुकानों में चल रही हैं।

spp/Rtm/20.03.25/1540/2n

कृपलानी जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को गंभीरता से लीजिए आप। मैं पुनः सभापति महोदय, आप के मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में खाली नाम परिवर्तन करके हमें इतिश्री नहीं कर लेनी चाहिए। इस शिक्षा के लिये आप पूरा लेकर आते। जब हम अपने सुझाव देते, आप अपनी बात कहते और राजस्थान के उच्च शिक्षा के स्तर को, यूनिवर्सिटी के शिक्षा के स्तर को, मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, जो अच्छा प्रोफेसर पढ़ाता था, हम पूरे 45 मिनट अटेंड करते थे और जिसकी शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी तो लोग बंक भी करते थे। इसलिए शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे, अच्छे शिक्षक देंगे तो हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। धन्यवाद। मैं इसको विधेयक को जनमत

जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: श्री हरलाल सहारण जी।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): सभापति महोदय, आज सदन में प्रस्तुत विधेयक राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, आज मैं सदन को बधाई देना चाहूंगा कि भारत की मूल नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर 286 दिन बाद सुरक्षित वापस आयी है, यह हमारे सबके लिए गर्व का विषय है। हमारा इतिहास गवाह है कि भारत की नारी शक्ति ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, जिसमें कल्पना चावला, आशा भौंसले, मैडम कामा आदि अनेक ऐसे नाम हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अपने देश का नाम ऊंचा करने वाले गौरव को बधाई और धन्यवाद देना चाहिए।

सभापति महोदय, विधेयक के उद्देश्य के कारणों और कथन में कहा कि राज्य सरकार भारत का प्राचीन समय से चली आ रही गुरु-शिष्य परंपराओं को देखते हुए राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम कुलगुरू करने जा रही है। इसका मैं समर्थन करता हूँ, सरकार को इस पहल के लिये धन्यवाद देता हूँ।

देश में पुरातन काल में गुरुकुल परंपरा कायम रही थी। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्त्व रहा है। इस समय विद्यार्थी केवल शास्त्रों और वेदों को ग्रहण करते थे बल्कि ये अनुशासन, पश्चिमी त्याग और समाज की जैसे उच्चतम गुणों का भी परिचय होता है।

सभापति महोदय, हमारे देश में उच्च शिक्षा का गौरवशाली इतिहास रहा है। जहां विश्वभर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। आज की शिक्षा की प्रणाली में परंपरा आधुनिक के साथ जोड़ना समय की मांग है। इसमें नई शिक्षा नीति का अहम् योगदान है। नई शिक्षा नीति के बाद तो शिक्षा क्षेत्र ने नई ऊंचाई छुई है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से शुरू हुए सुधारों ने भारत में शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तर के अनुरूप ढालना और विद्यार्थियों को 21वीं सदी में चुनौती के लिए तैयार करना है। मेरा मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज का मार्गदर्शन करना भी होता है। आधुनिक युग में युवा पीढ़ी को नई तकनीक को जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन उन्हें प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए।

सभापति महोदय, इस भावना को सरकार को करने के लिए विश्वविद्यालयों में कुलपति को कुलगुरु का पदनाम देने हेतु विधेयक प्रस्तुत करना अत्यंत सराहनीय है। हमारी सरकार के पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए विश्वविद्यालयों में कुलपति का पदनाम बदलकर कुलगुरु किया है। कुलगुरू शब्द केवल पदनाम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का पारंपरिक प्रतीक है। ये शब्द प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक हैं। जहाँ गुरु का सम्मान भगवान से बड़ा किया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय का केंद्र होता है और उन्होंने कुलपति

प्रशासन का शिक्षण नेतृत्व प्रदान करते हैं। कुलगुरु का पदनाम केवल इस भूमिका में गरिमा बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का भी कार्य करेगा।

सभापति महोदय, आज भारत में लगभग 1100 से ज्यादा केंद्र, केंद्र और राज्य के निजी और डिग्री विश्वविद्यालय का 42 हजार से ज्यादा कॉलेज हैं। राजस्थान में 92 विश्वविद्यालय, जिनमें 24 वित्तपोषक, 44 निजी क्षेत्र और सात विश्वविद्यालय संस्थान शामिल हैं। परंतु दुर्भाग्य यह भी है कि युवाओं के पास आज डिग्रियां तो हैं, मगर काम का कौशल नहीं हैं। कॉलेज से निकलने वाले अधिकांश विद्यार्थी नौकरी इसलिए हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें केवल किताबी ज्ञान है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय समस्या को देखते हुए भाजपा सरकार कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है। आज विश्वविद्यालय के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्य में बजट में 2025-26 में इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर, अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेजों को तकनीकी कॉलेजों के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।

सभापति महोदय, जब विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुलगुरू का पदनाम देने की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ केवल नाम बदलना नहीं बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक संस्कारों को भी पुनः जोड़ता है। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर सदन में प्रस्तुत राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 हमारे नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ेगा और भारतीय शिक्षा प्रणाली को नैतिक मूल्य पर करने का कार्य करेगा।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री रफीक खान जी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, नाम बदलने से करेक्टर नहीं बदलता है और आप खाली नाम बदलोगे, इससे कोई वाहवाही नहीं मिलेगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बहुत रिजनेबल सा सवाल है मेरा। पूरी दुनिया के अंदर वी सी की साइन की हुई डिग्री जाती है, क्या साइन पर लिखोगे? और क्या पूरी दुनिया को बताओगे क्या कि वी सी की जगह हम कुलगुरु लिख रहे हैं, कौन मानेगा? डिग्री फेक समझने लग जाएंगे। राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ का कद छोटा मत करो आप। हमारी परंपरा है, गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर गुरुओं का बड़ा अपना महत्त्व है, लेकिन आप आज के मॉडर्न जमाने में अगर डिग्रियों में यह मेंशन करने लग जाओगे तो कहाँ-कहाँ बताओगे? आज हिंदुस्तान का आदमी पूरी दुनिया के अंदर जाकर जॉब करता है, फर्दर स्टडी करता है और वी सी के नाम की एक पहचान है और उसी हैसियत से साइन करता है। फिर क्या साइन करोगे आप? गुरु का अपना महत्त्व है-

गुरू बिन ज्ञान न उपजे

गुरू बिन मिले इन मोक्ष
गुरू बिन लखै न सत्य
गुरू बिन मिटे ना दोष।।

तो बिना गुरु के कुछ संभव नहीं है। लेकिन आप खाली गुरु का नाम एड करने के लिए और एक अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, आप डिग्री के अंदर चेंज कर दोगे तो पूरी दुनिया में क्या जवाब दोगे? कहाँ-कहाँ इन्फॉर्मेशन भिजवाओगे?

गुरू गोविंद दोऊ खड़े
काके लागूं पांय
बलिहारी गुरू आपने
गोविंद दियो बताय।।

मैं आप सबसे और सभापति महोदय, आप के माध्यम से यही अर्ज करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की बातें करो।

फकत नाम बदला है,
कहानी है वही।।

वही कहानी है, ना मेन्टेनेंस को यूनिवर्सिटीज के पास पैसा है, ना स्पोर्ट्स की तरफ कोई देख रहा है, ना एजुकेशन की तरफ कोई देख रहा है और सारा सदन चर्चा कर रहा है, लेकिन आप इस बात पर चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा, हमारे कॉलेजेज का दर्जा कैसे बढ़े? राजीव गाँधी स्कॉलरशिप योजना है, आपने विवेकानंद कर दिया, उसका नाम बदल दिया, यहाँ भी आप नाम बदल रहे हो। नाम बदल रहे हो लेकिन 150 नामित यूनिवर्सिटी डिसाइड है आपने। उस तरफ जाओ कि उन 150 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम आए, हमारे इंस्टीट्यूशंस का नाम आये, वह प्रयास करो, खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आप काम बदलो, कर्म बदलो। अच्छा यूनिवर्सिटीज़ के अन्दर, कॉलेजेज के अंदर आपके पास पैसा नहीं है, मेंटीनेंस के लिए पैसा नहीं है। कहां हमारी पूरे हिंदुस्तान में पहली रैंकिंग आती थी, आज हम ग्यारहवीं रैंकिंग पर भी नहीं है। राजस्थान की एजुकेशन का भट्टा बैठा हुआ है। आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस ओर ध्यान दो और ये तय करो कि कैसे हम एजुकेशन का स्तर बढ़ायें, क्या फैकल्टीज़ आये। आज पूरी दुनिया में, मैं आपको एक मॉडल बताता हूँ सभापति महोदय, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद में ऐसे कोर्सेस की रिसर्च नहीं की जाती है।

jyg/Rtm/20.03.25/15.50/2o

वो कोर्सेज नये डवलप हो जाते हैं, बाजार की डिमाण्ड होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जयपुर में गारमेंट इण्डस्ट्री बहुत बड़ी है। यहां एजुकेशन लेने के बाद में एम बी ए या बी बी ए करने के बाद में आगे आदमी अमेरिका जाता है। अमेरिका जाकर कोई सोर्सिंग मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर का कोर्स कर रहा है, ऐसे कोर्सेज डवलप हो गये,

हर जगह, पूरी दुनिया के अन्दर, जहां वो आपको पूरी दुनिया में जैसे रिटेल स्टोर हैं, गारमेंट के चेन स्टोर हैं, कौनसा माल कहां सस्ता मिलेगा वो बात वहां पढ़ायी जाती है। कौनसे धागे से कपड़ा बनेगा वो बात वहां सिखायी जाती है, कैसे उसका कपड़ा बनेगा, कैसे उसकी रँगाई-प्रिंटिंग होगी, कैसे उसके डिजाइन बनेंगे, कैसे उनकी मार्केटिंग की जायेगी और कैसे पूरी दुनिया के अन्दर बड़े-बड़े स्टोर के अन्दर मार्केटिंग करेगा आदमी। ये कोर्सेज करने के लिए, हमारे स्पेशलाइज्ड कोर्स करने के लिए हमारे लोग बाहर जाते हैं, इस तरफ ध्यान दो। यह नाम बदलने पर ध्यान मत दो, स्टेण्डर्ड बढ़ाओ एजुकेशन का, बाहर से लोग आये आपके पास पढ़ने के लिए कि राजस्थान वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया के मुकाबले, ये जो 150 यूनिवर्सिटीज का एडमिशन का जो फॉर्मूला है और ये नामित यूनिवर्सिटीज को चिह्नित कर रखा आपने उसमें आप कैसे आओ, इस मामले को सोचो।

(समयः बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, स्पोर्ट्स ग्राउण्ड है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन कोई फंडिग नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई यहां से बच्चे आगे नहीं निकलते, हमारी कोई तरजीह नहीं है इस बात पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करो, उनको साथ दो, उनको डाइरेक्शन दो बच्चों को, ताकि वो पूरी दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन कर सकें और यह कह सकें कि हम राजस्थान से आये हैं और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहां से हमारे को बड़ी-बड़ी कम्पनियां आपके यहां आये प्लेसमेंट के लिए, इन सब बातों को तरजीह दो आप। अगर ये तरजीह नहीं देंगे आप तो हम वर्स्ट से वर्स्ट होते चले जायेंगे। नाम बदलने में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नाम बदलो और उससे आपका कोई बहुत बड़ा भला होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत समय पहले एडिशनल क्लासेज लगती थीं, आज तो रेगुलर क्लासेज ही नहीं लग रही हैं, ये ही पता नहीं लग रहा कि कौनसी चीज की पढ़ाई कहां हो रही है, स्टडी के नाम पर जीरो है। मंत्री महोदय, इस पर संज्ञान लो, यह नाम बदलने की प्रैक्टिस से बाहर निकल जाओ। राजीव गांधी को तो कर दिया आपने अब गुरुकुल कर रहे हो, मैं सही बता रहा हूं आपको आने वाले समय में ये चैलेंजेज आयेंगे जब आपकी डिग्री का सत्यापन करने के लिए लोग चिट्ठियां भेजेंगे। जब वी सी की जगह आप साइन कुलगुरु करके भेजोगे तो कहेंगे, यह किसका है, मान्यता नहीं देंगे और आपको जवाब देने में मुश्किल होगी, ऐसा काम मत करो, सोचो इसमें दुबारा से। दुबारा से इस पर संज्ञान लो और यह सोचो कि यह करने से पहले इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। खाली अपन मान रहे हैं 200 सदस्य बैठकर यहां राजस्थान का विषय नहीं है, इंटरनेशनल इश्यू है। पूरी दुनिया में जिस शब्द से आप जाने जाते हो, जो पोस्ट जिस शब्द से जानी जाती है उससे आप अलग चलना चाहते हो, अलग राह ले जाना चाहते हो, आप आज मॉर्डन एजुकेशन को कहां ले जाना चाहते हो? आप उसको 100 साल पीछे करना चाहते हो? गुरुओं के सम्मान में कोई कमी नहीं है,

लेकिन आपको एजुकेशन सिस्टम तो वही एडॉप्ट करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया एडॉप्ट किये हुए बैठी है, उससे बाहर नहीं आ सकते आप।

माननीय सभापति महोदय, आपकी किसी भी इंस्टीट्यूशन से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही है, कोई पैसे का रास्ता नहीं है। आज अगर यूनिवर्सिटीज में दो-चार-पांच लाख रुपये का भी खर्चा करना पड़े तो उनको सोचना पड़ता है। इस ओर ध्यान दो कि कैसे उनको फंडिंग मिले, कैसे उनकी रेवेन्यू जनरेट हो, कैसे वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेज अपने पांवों पर खड़े हों। इन सब बातों पर ध्यान दो, एजुकेशन का सिस्टम सुधारो। बिल्डिंग के रखरखाव के लिए कुछ नहीं है आपके पास, किसी भी बिल्डिंग के रखरखाव के लिए आपके पास कुछ नहीं है और हर वक्त उनको सरकार की तरफ देखना पड़ता है तो ऐसा कुछ तो करो जिससे वो स्वावलम्बी हों, उनके पास फंडिंग भी हो, उनके पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटी डवलप हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बिल की अभी कोई जरूरत नहीं है। यह बिल दिशाहीन है, इस बिल से हम पूरी दुनिया में बदनाम होंगे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापतिः श्री टीकाराम जी जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय,

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

माननीय सभापति महोदय, आज नाम बदलने का जो अभियान आप लोगों की सरकार ने शुरू किया है, वो आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि सनातन की जो बात करते हैं, सनातन की जो परम्परा है, आज आप सबसे बड़ा प्रहार उसी पर कर रहे हैं। यह 'कुलपति' और 'कुलगुरु', नाम कहां से लेकर आये, आपको पता है कि 'कुलपति' क्या होता है और 'कुलगुरु' क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। 'कुलपति' शब्द का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत पुराना है। यह शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत भाषा जो भारतीय चिंतन परम्परा की आधार भाषा है, 'कुलपति' का अर्थ होता है, कुल का रक्षक। यह शास्त्रों में विशेष महत्व इसका रहता है। यानी कुल का रक्षक और आप उसको आज किस परिप्रेक्ष्य में कहां लेकर जा रहे हैं वो भी मैं आज आपको बताना चाहूंगा। 'पति' का अर्थ रक्षक, सभापति, राष्ट्रपति, न्यायाधिपति, ये सब एक रक्षक के रूप में हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत के साहित्य में महाकवि कालिदास ने, भवभूति जी ने और अनेक महान साहित्यकारों ने 'कुलपति' शब्द का प्रयोग बहुत सम्मानपूर्वक किया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अन्दर भी कुलपति को उच्च गरिमा दी गयी है। संस्कृत साहित्य में यह शब्द हमेशा ही शैक्षणिक नेतृत्व का प्रतीक रहा है। इसके विपरीत 'कुलगुरु' की बात करें तो 'कुलगुरु' शब्द का प्रयोग राजपुरोहित, पुरोहित, यज्ञ के कराने वाले और जो वैदिक संस्कारों से जिनका नाता रहता है, उनसे जुड़ा हुआ है। इस शब्द का उपयोग गुरु के रूप में किया जाता है। 'कुलपति' शब्द का प्रयोग

शैक्षणिक पदाधिकारी के प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाता है। भगवान वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण में भी बह्म ऋषि वशिष्ठ को 'कुलपति' सम्बोधित किया गया है जिन्होंने भगवान श्रीराम और उनके भाइयों को अपने गुरुकुल में पढ़ाया था। महाभारत के अनुशासन पर्व, अध्याय 10 में, ततो दवित कुलपति पादो, संग्रह भारत, से कुलपति की उच्च गरिमा प्रदान की है। इसी प्रकार से महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तलम् में भी राजर्षि दुष्यंत से तपोवन महर्षि कण्व को कुलपति कहलवाया। महाकवि भवभूति ने भी उत्तर रामचरितम् 3/48 में भगवान वाल्मीकि के लिए स: च कुलपति आद्य, में कुलपति का समानार्थ, ...(व्यवधान)... चिंता मत करो, ये नियम और कानून कहीं और सिखाना।

माननीय सभापति महोदय, यानी कि वैदिक काल से जो सनातन धर्म के अन्दर कुलपति के नाम की जो महिमा रही है, आज आपको 'कुलपति' अच्छा नहीं लग रहा, आपको इससे दिक्कत हो गयी? क्यों हो गयी? कारण क्या है? आपने इसके कारणों में बताया है कि गुरु-शिष्य परम्परा का निर्वहन ...(व्यवधान)...।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): दाढ़ी वाले बाबाजी आयेंगे, क्वालिफिकेशन में यही होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वो भी चलने वाले नहीं हैं। यही नहीं नालन्दा विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपतियों के नाम ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षु धर्मपाल और शीलभद्र प्रमुख थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सनातन के नाम पर केवल जो पाखण्ड करने वाले लोग हैं वो कुलपति के नाम की महिमा जाने बिना ही इस नाम को बदलना चाह रहे हैं।

MLS/RTM/20.03.2025/16:00/2p

यह बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मंत्री जी, आप जब जवाब दें, तब बताना कि कुलपति में क्या कमी रह गयी हमारे सनातन धर्म के अन्दर कि कुलपति नाम से आपको नफरत हो गयी?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): ''सनातन धर्म'' तो निकला आपके मुंह से, बहुत-बहुत बधाई हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी सनातन परम्परा में कुलगुरु को भी बहुत सम्माननीय माना गया है, बहुत सम्माननीय सम्बोधन है और उनका काम वैदिक कृत्य और जन्म से मृत्यु तक के सारे जो संस्कार हैं, उनमें उनका उपयोग किया जाता है, लेकिन आप लोग सनातन की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत के मंत्री भी, यानी मोहनलाल सुखाड़िया जी ने देश की आजादी के बाद में संस्कृत को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले 1957 में संस्कृत निदेशालय की स्थापना की थी राजस्थान में। इसी प्रकार से जगन्नाथ पहाड़िया जी ने संस्कृत में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना की थी। इसी प्रकार से 25 साल पहले 6 फरवरी, 2001 को राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा

की गयी थी।

आप कहां बात कर रहे हो? जो काम हम लोगों ने किये हैं, नींव का पत्थर हमने रख दिया, आज आप उसको सम्भाल नहीं सक रहे हैं, यह बात मैं कहना चाहूंगा। इसी प्रकार से, अब यह तो आपने कुलपति कर दिया, अब कुलाधिपति जो हैं, उनका नाम क्या करेंगे? प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका नाम क्या करेंगे, यह भी जरा बता दो आप हमें? ये जो गुरुकुल खोल रहे हो, जो पहले राजशाही परम्परा थी, उनके बच्चे जहां पढ़ते थे, उनको पढ़ाने वाले थे, वह व्यवस्था आप आज यहां लेकर आना चाह रहे हो। इसी प्रकार से, आज वीसी की स्थिति क्या है, जो कुलपति हैं, उनकी स्थिति क्या है राजस्थान के अन्दर? कितने लोगों पर केस चल रहे हैं? माननीय सभापति जी, इन लोगों का, वीसी का काम यह रह गया है- स्टाफ से झगड़ना, बच्चों से झगड़ना या अनियमितताओं के आरोप लगना।

मुझे तो अचम्भा हुआ जब कल मुझे इस बात का पता चला कि आप कॉपी चैक कराने के लिए स्कैन करके भेजते हैं। चैक करने से ज्यादा पैसे तो स्कैन करने के दिये जा रहे हैं। वीसी का काम सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं कराने तक सिमटकर रह गया। हम क्या शोध कर रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किस दिशा की ओर हमें लेकर जा रहे हैं, इस दिशा में तो कोई बात ही नहीं है। सिंडीकेट की मीटिंग क्या समय पर हो रही है? मीटिंगों के अन्दर जो निर्णय लिये जा रहे हैं, उनकी पालना हो रही है? यानी सिंडीकेट की मीटिंग की मिनिट्स बदल दें और सरकार उसको को-ऑपरेट करे। दूर जाने की जरूरत नहीं है, जयपुर के अन्दर ये हालात हैं जयपुर यूनिवर्सिटी के।

खुद जो प्रोफेसर की पात्रता नहीं रख रहे, उनको प्रोफेसर बना रहे हैं। रजिस्ट्रार को घर बैठाकर उप-रजिस्ट्रार को सारा चार्ज दे रहे हैं। यह स्थिति चल रही है। नाम बदलने से इसमें क्या कोई सुधार हो जायेगा, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं? यूजीसी अभी नये नियम बना रही है कि किस प्रकार से भर्ती की जायेगी। वह भर्ती कैसे होगी? **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय सभापति जी, बड़ा गम्भीर विषय है, समय खूब है। यानी आप अपने चहेतों को भर्ती कर लो, इसके लिए आप यूजीसी के नियमों में संशोधन कर रहे हो। क्या आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे हो? इसी प्रकार से हमारी जो यूनिवर्सिटीज हमने खोलीं- अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, आप शिफ्ट ही नहीं करा रहे, तो नाम बदलने से कोई फर्क पड़ जायेगा क्या?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): पड़ता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां पड़ गया होगा। आपने हसनपुरा का हरिपुरा किया है तो वहां 20 रुपये लीटर तो दूध मिल रहा है, 35 रुपये लीटर पेट्रोल आ रहा है, वहां जाम की स्थिति खत्म हो चुकी है।

माननीय सभापति जी, कितने ऐसे कुलपति हैं पूरे राजस्थान के अन्दर जिनकी जांच चल रही है? अब जांच भी चल रही है, वह सीट पर भी बैठा है, तो जांच कैसे होगी? उनको छुट्टी पर भेजो और जांच पूरी कराओ। यह स्थिति इस सरकार की है।

श्री सभापतिः समय का ध्यान रखें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बस पांच मिनट।

श्री सभापतिः दो ही मिनट हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज वीसी की नियुक्ति की क्वॉलिफिकेशन क्या है? वह संघ पृष्ठभूमि का होना चाहिये, चाहे किसी भी स्टेट का हो। इसी वजह से लगातार प्रदेश से बाहर के वीसी बनाये जा रहे हैं। यह देखो, प्रदेश में 32 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से सिर्फ 4 ही राजस्थान के रहने वाले हैं, बाकी सब बाहर के हैं। यूपी उसमें फर्स्ट है। आपको पता है ये कहां से हो रही हैं? ये कहां से हो रही हैं? कौन सा चैनल है, कौन सा रास्ता है, जहां से वीसीज की नियुक्तियां हो रही हैं?

माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैंने अभी आरयूएचएस का भी बताया था, आरयूएचएस के अन्दर भी जो डॉक्टर नहीं है, उसी को वीसी बना दिया महाराष्ट्र से लाकर। यानी टीएसपी क्षेत्र के अन्दर तो कॉलेजों का जो स्टाफ है, लेक्चरर्स हैं, उनकी तो तनख्वाह भी नहीं मिली है फरवरी की। कुलपति से कुलगुरु करने से उनको समय पर सैलेरी मिल जायेगी, यह तो आप आश्वस्त कर देना। यानी future of free speech पर जो अध्ययन हुआ है, उसके अनुसार 33 देशों में हमारा 24वां स्थान है। दक्षिण अफ्रीका से पीछे हैं। यानी फ्री स्पीच दे नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो यह जो बोलने की स्वतंत्रता खत्म हो रही है देश के अन्दर, यूनिवर्सिटीज के अन्दर, नाम बदलने से इस पर कोई फर्क पड़ जायेगा क्या?

यह जो आचरण है कुलपति का, उसमें भी आप कोई चेंज करेंगे, यदि कुलगुरु नाम करेंगे तो या आचरण वही रहेगा? कुछ संस्कार लाओगे वैदिक संस्कृति के? सनातन धर्म के आप कुछ संस्कार लेकर आओगे?

श्री सभापतिः विराजें प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यानी कि जिनको सम्मान देना था, उनको चार्जशीट थमा दी चयन के बाद, 3 टीचर्स को। माननीय सभापति जी, प्रदेश के अन्दर जो यूनिवर्सिटीज हैं, 4 हजार पद रिक्त हैं, 4 हजार, तो यह नाम बदलने से वह भर्ती हो जायेगी?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आज ही हुए हैं क्या ये पद रिक्त?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज ही हुए। अभी-अभी हुए। लेटेस्ट। लेटेस्ट हुए हैं, शिक्षा मंत्री जी। और देखो, आप मेरे से सीनियर हो, आप तो कहो ही मत। आपने कहा था, हम एक साल में भर देंगे तो क्यों नहीं भर रहे? अब तो डेढ़ साल होने को है। मैं तो आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, आपकी सलामती की कामना करता हूं, सुरक्षा की कामना करता हूं...।

श्री सभापतिः विराजिये प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसी प्रकार से जो महिला प्रोफेसरों की संख्या है, यह 36 परसेंट ही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है राजस्थान के अन्दर। तो यह नाम बदलने से इसमें कोई फर्क पड़ जायेगा? संस्कृत विश्वविद्यालय में अब एक भी छात्र नहीं है, एक भी

नहीं है। यह स्थिति है। और जगह-जगह कहीं बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं बनकर तैयार हैं, कहीं रुक रही हैं। आप अच्छे से यूनिवर्सिटी उनके अन्दर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं।

mkd/rtm/20.03.2025/16:10/2q

अच्छी शिक्षा वाले राज्यों का फंड रुका। राजस्थान का प्रदर्शन खराब। पहले चरण में 1200 करोड़ का फंड मिल रहा था, लेकिन हमारे यहां राजस्थान की स्थिति यह हो गई सर, कि 2022-23 में 2138 और 2023-24 में 3202 करोड़ का जो फंड था, उसके अन्दर हमारे समय में 49 परसेंट बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन आज क्या है?

इसलिए, माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा और विशेष रूप से सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने जो उद्देश्य और कारण बताए हैं, ये उद्देश्य और कारण ही आपके फेल हो रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है, उद्देश्य और कारणों का, जो आपने इसमें लिखे हैं और उसके आधार पर आप बिल लेकर आ रहे हो तो हमारी समझ से परे हैं।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो बिल आप लेकर आये हो, नाम बदलने का, नाम बदलने की बजाय आज तस्वीर बदलने की जरूरत है। वहां पर जो काम होने हैं, स्टाफ की भर्ती होनी है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, बच्चों को अच्छा सामाजिक, इस वैज्ञानिक युग के अन्दर उनका जो विकास होना है, उस दिशा में काम करने की जरूरत है, न कि नाम बदलने की जरूरत है। इसका भी खामियाजा वही होगा, जो आपने पहले नाम बदला है। लाखों-करोड़ों रुपये नाम बदलने के अन्दर राजस्थान की गरीब जनता के खराब किये जायेंगे।

इसलिए, सभापति जी, मेरा आग्रह है कि इसको जनमत जानने हेतु भेजा जाए, और मैं इसका विरोध कराता हूं।

श्री सभापतिः श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधयेक, 2025 सदन में आया है। हमारी सरकार की मंशा है कि भारत देश में गुरु और शिष्य की परम्परा सदियों से चली आई है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों में गुरु के प्रति शिष्य की क्या भावना हो, इस उद्देश्य से इस बिल को लेकर आये हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं।

आज हमें राजस्थान की आठ करोड़ जनता देख रही है कि राजस्थान किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। इसके लिए न इधर की जिम्मेदारी है, न इधर की जिम्मेदारी है। हम सब, पूरे सदन की जिम्मेदारी है। जो शिक्षा का स्तर गिरा है, उसको ठीक कैसे किया जाए। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए। शिक्षा ही एक व्यवस्था है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है।

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पाय।

बलिहारी गुरुदेव की,जिन गोविन्द दियो बताय।

मतलब गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। ऐसी सोच लेकर के यह बिल लाया गया है। राजस्थान में विद्यार्थियों में यह भावना पैदा हो कि हमारे गुरु के बिना हम अधूरे हैं। इस भावना से लेकर आये तो निश्चित रूप से हमें इस शिक्षा की तरफ सबसे बड़ा ध्यान देना आवश्यक हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि जो भी परीक्षाएं हुई हैं, अगर परीक्षा में, रिजल्ट में आकर कोई थानेदार बन गया, कोई एलडीसी बन गाया, कोई यूडीसी बन गया, अगर उनसे एप्लीकेशन लिखने को कह दिया जाए, उनका स्तर यहां तक पहुंचा दिया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

हम केवल एक दूसरे को कोसते रहेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला है। हमारी सरकार ने सोच बदलने की कोशिश की है। देश के प्रधान मंत्री जी ने कौशल शिक्षा पर ध्यान देने के लिए कहा है। आज की शिक्षा किताबी ज्ञान है और किताबी ज्ञान में भी इस तरह से हो गया है कि जो भी बच्चे शिक्षा ले करके निकल रहे हैं..., आज विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? विश्वविद्यालय में कहीं प्रोफेसर नहीं हैं तो कहीं कॉलेज में विद्यार्थी क्लासों में जाते ही नहीं हैं। आज आपको लॉ की डिग्री चाहिए, घर बैठे फॉर्म भर दो, बिना पढ़े, बिना किये, घर बैठे आपके पास लॉ की डिग्री आ जायेगी, यह क्या व्यवस्था है? हमने 75 साल में यह किया है।

हमें इस देश को, राजस्थान को आगे बढ़ाना है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो निश्चित रूप से हमें चिन्तन करना होगा। नाम से सब कुछ हो सकता है। नाम सुमिरन से प्रभु मिल सकता है तो गुरु का नाम आने से इस शिक्षा में भी परिवर्तन आ सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी चलती है। आप जाकर देखिये, परिवार वाले देखते हैं कि बच्चे तो पढ़ने गये हैं, बच्चे कहां हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर क्लासें नहीं ले रहे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यता है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। हां, आपने भी किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। आज की तारीख में आपने जो थानेदार बनाये हैं, उनकी क्वालीफिकेशन देखो, एप्लीकेशन लिखा दो, आपको पता लग जायेगा कि हमने इस शिक्षा के स्तर को कहां तक पहुंचा दिया है। इस पर हम दोनों को मिलकर चिन्ता करनी है। राजस्थान की शिक्षा उच्च गुणवत्ता की हो। उस गुणवत्ता के आधार पर हमें यहां राजस्थान व पूरे विश्व में दशा और दिशा देने वाला विद्यार्थी पैदा करना है। हमें इसके लिए बहुत चिन्तन करना होगा और इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना होगा।

कॉलेजों में जो फीस बढ़ाई है, शिक्षा नि:शुल्क होनी चाहिए, ताकि गरीब का बच्चा भी कहीं भी जाकर पढ़ सके। शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए। शिक्षा में कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए। अभी बता रहे थे कि विदेशों में कपड़ा कैसे बुना जाता है, उसका धागा कैसे बनता है, कपास कैसे पैदा की जाती है, वह सिखाया जाता है। हमारे बच्चों को पूछा जाए कि कपास कैसे उगती है, कपास ऊपर लगती है या जमीन में लगती है। आपके शहरों में रहने वाला एमए किया हुआ व्यक्ति भी नहीं बता सकता कि यह कैसे उगती है और कैसे होती है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो। हमारी शिक्षा में, मां-बाप को पहचानना भूल जाएं, हमारे बच्चे अपने मां-बाप को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए, ऐसी शिक्षा पा रहे हैं। आने वाला समय किस तरह का होगा, इसके लिए हम सबको मिलकर चिन्तन करना चाहिए। राजस्थान की शिक्षा गुणवत्ता की होनी चाहिए, शैक्षणिक स्तर बढ़ना चाहिए। आज शिक्षा में जिस तरह की कमजोरी आई है। मेरे पास एक एलडीसी से यूडीसी हुआ बाबू आया कि मेरा ट्रांसफर करना है, साहब। मैंने कहा अर्जी तो लिख दे, अर्जी लिखी हुई देखते हैं तो सोचता हूं कि कहां तक स्तर बढ़ा है, शुद्ध रूप से अर्जी नहीं लिख सकते हैं, किस तरह का होगा। पुराने समय में हमारे राजस्थान की शिक्षा में सिर्फ चार किताबें हुआ करती थीं।

मैं पढ़ा था, तब चार किताबों के अलावा विषय ही नहीं थे। आज बस्ते का बोझ लाद दिया। बच्चे किताबों के बोझ में ही लद रहे हैं और कॉलेजों में तो शिक्षा का बंटाधार ही है। मैंने कहा ना, लॉ की डिग्रियां मेरे घर बैठे हुए विद्यार्थी ले रहे हैं, बीएड की डिग्रियां घर बैठे विद्यार्थी ले रहे हैं, जो नहीं आता है, डबल फीस दे दो, घर बैठे डिग्री भेज देंगे, इसमें कैसे सुधार हो। इसके लिए हमें चिन्तन करना चाहिए।

नाम परिवर्तन में निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो भावना है, वह भावना यह है कि गुरु और शिष्य में आपस में लगाव हो, आपस में प्रेम हो, आपस में आदर भाव पैदा हो, उस नीयत से यह बिल लाये हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं और मैंने जो संशोधन जनमत जानने के परिचालित करने के लिए दिया है, वह मैं वापस लेता हूं, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार, सुजानगढ़।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पर मुझे अपने विचार रखने का आपने समय दिया। जो यह विधेयक है, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए लाया गया है कि कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द किया जाए और पूरे विधेयक में कोई भी संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। अच्छा होता कि आज पूरे दिन पहले चर्चा हो जाती विश्वविद्यालयों की स्थिति पर, उच्च शिक्षा पर पूरी चर्चा हो जाती। उसके बाद और क्या विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार हो सकता है, उस हिसाब से संशोधन करते और इसमें जोड़ते तो अच्छा होता। सदन का समय जो आज जाया नहीं होता, क्योंकि एक शब्द की चर्चा की बजाय पूरी चर्चा और फिर समाहित होती, क्योंकि पास होना है तो आज की चर्चा से कुछ समाहित विधेयक में होना नहीं है। होना है तो सिर्फ जो आपने एक शब्द चैंज करना है, वही होना है।

उसमें भी अगर देखें तो कुलपति से कुलगुरु हो जायेगा, पर कुलाधिपति तो कुलाधिपति ही रहेगा, पति से क्या ईर्ष्या हुई पता नहीं, समझ में नहीं आया, ऐसा तो कोई शब्द नहीं था। पर सरकार की मंशा है, विधेयक लेकर आई है।

Bhs/Rtm/20.03.25/16.20/3a

33 यूनिवर्सिटीज सरकारी हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें यह चेंज होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत सी हैं उनमें उस पद को क्या कहेंगे? उसमें यह विधेयक पूरी तरह से मौन है कि जितनी सरकारी या सरकारी फंड से वित्त पोषित यूनिवर्सिटीज हैं उसी तरह से इस समय बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं और उनमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज के क्या हाल हैं, किस तरह से वहां से डिग्रियां बांटी जाती हैं, बेची जाती हैं। अभी मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बहुत सी गंभीर बातें बताई, चिंता व्यक्त की। सुबह हमारे वरिष्ठ सदस्य श्रवण जी एक यूनिवर्सिटी सिंघानिया यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से अनियमितताएं, बहुत सी बातें उन्होंने बताई। अभी ओ.पी.एस. यूनिवर्सिटी का किस तरह से सब जगह चल रहा है कि किस तरह से वहां की डिग्रियों की अपनी राजस्थान सरकार जांच कर रही है तो इन यूनिवर्सिटियों को कैसे सुधारा जाए, कैसे विश्वविद्यालयों के शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए। आज हालात ये हैं कि यूनिवर्सिटीज हैं पर प्रोफेसर नहीं है। अब नाम मात्र के प्रोफेसर बचे हैं, प्रोफेसर बना नहीं पा रही है, चाहे सिंडिकेट की मीटिंग नहीं हो रही है, उस कारण से हो रहा हो या और कोई कारण से हो। थोड़े दिनों बाद में शायद प्रोफेसर बचेंगे भी नहीं। क्लासेज यूनिवर्सिटियों में लगती नहीं तो कुलगुरु, गुरुकुल का कॉन्सेप्ट आदिकाल का था तो उस समय तो व्यवस्थाएं ये थीं कि राजशाही परिवार के बच्चे वहां जाते थे और 25 साल की उम्र तक वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे और वहीं अध्ययन करते थे, पर आज यूनिवर्सिटीज की तो हालत यह है कि साल के 365 दिन में से बच्चा 10% यानी 36 दिन भी यूनिवर्सिटी में जाता नहीं, क्लास एक अटेंड होती नहीं तो उसका और इसका सम्बन्ध थोड़ा सा समझ से परे है। जरूरत यह थी कि कैसे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएं और वातावरण वहां पढ़ाई का बने। जरूरत है कि सरकार आगे की तरफ चले, आगे देख कर चले, फ्यूचर देख कर, फ्रंट फुट पर चले, न कि बैक फुट में पीछे जा कर चले। अब पीछे मत देखो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या गलत है, आगे क्या होना चाहिए था, कैसे देश आगे बढ़े, कैसे युवा आगे बढ़े, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे वो तकनीकी शिक्षा ले, कैसे आज जो इतना कॉम्पिटिशन का ज़माना है, उसमें युवा कैसे अपने आप को ढाल सकें, यह देखने की जरूरत है, उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, उसके लिए इसमें कोई संशोधन प्रस्ताव आपके नहीं हैं।

सभापति महोदय, आज अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, 1 दिन मंत्रीजी, आप चलो जामडोली क्या वहां हो रहा है, करोड़ों रुपये सरकार का लगा है। वहां कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कितने बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। अपन चलें, रफीक जी वहां के इलाके से विधायक हैं, शायद आपके वहीं आता है, इनको भी साथ ले लें कि वहां कम से कम करोड़ों-करोड़ों रुपये सरकार ने इन्वेस्ट किया है पर उसका उपयोग कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे संस्थानों को अपन सुधारें तो शायद युवाओं को कुछ फायदा हो सकेगा। खाली नकल करने का अपन प्रयास करें कि इसका नाम बदल रहे हैं, उसके नाम बदलने हैं, उससे नहीं होगा। समय के साथ परिवर्तन होता है वह समय अलग था गुरु

शिष्य की परंपरा भी थी। गुरुकुल भी था और कुलगुरु भी थे, पर समय के साथ चलना पड़ेगा। समय आज अलग बदल रहा है। आज प्रोफेसर को क्या कहेंगे? लेक्चर्स को क्या कहोगे आप? ...(व्यवधान)... गुरुदेव, गुरुदेव कहो तो अच्छी बात है पर गुरु तो कहीं रहा ही नहीं, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा कि उसमें तो इनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माना है और ऑफिसर का जहां तक मैं समझता हूं, हिंदी में अर्थ अफसर होता है तो उसको तो गुरु, टीचर कुछ माना ही नहीं, अफसर माना है तो उसका नाम चाहे कुलगुरु कर दें ...(व्यवधान)... लिखा है, इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वह तो ऑफिसर का तो अर्थ मैं जहां तक समझता हूं, अफसर ही हिंदी में बोलते हैं ...(व्यवधान)... अधिकारी बोलते हैं तो वह गुरु कैसे हुआ फिर? तो यहां क्या गुरु लिखेंगे क्या? अब जो भी सरकार की मंशा हो, कह नहीं सकते।

सभापति महोदय, राजसेस की कॉलेजेज हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ सरकार करती। इस विधेयक के माध्यम से उनको वित्त पोषित करती और उनको मजबूत करती तो शायद कॉलेजों में पढ़ने वाले उन हजारों विद्यार्थियों को कुछ फायदा होता। बहुत सी ऐसी बातें हैं। बात आगे बढ़ने की है, गूगल, गूगल से ए.आई. की तरफ जा रहा है। जहां हम आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स की बात कर रहे हैं वहीं अपन पीछे जाने की भी बात कर रहे हैं, तो समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा अपने को, कदम अपने को आगे बढ़ाने पड़ेंगे। पीछे चल कर अपन शिक्षा को सुधार नहीं सकते।

सभापति महोदय, अभी केसाराम जी कह रहे थे कि हम पढ़ते थे तब चार विषयों में हमने पूरी स्कूल कॉलेज कर ली, पर आज तो चालीसों सब्जेक्ट हो गये। उस समय तीन सब्जेक्ट कला, कॉमर्स, साइंस उसी में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. हो जाता था पर आज बैचलर की डिग्री बीसों-तीसों ऐसी डिग्रियां हैं जिसमें बैचलर की डिग्री होती है, उन संस्थानों को अपन कैसे मजबूत कर रहे हैं, जरूरत वह है। बात पूर्व सदस्यों ने बहुत सी की, यह तो संविधान का है कि जो भी गवर्नर बनते हैं वह कुलाधिपति होते हैं और वह गवर्नर हमेशा स्टेट के बाहर का बनता है यह संवैधानिक व्यवस्था है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): पर यह संविधान में अड़चन नहीं है कि अपन कुलपति वाइस चांसलर को भी बाहर का बनायें। जब तक इस परंपरा को अपन नहीं हटाएंगे और तब होगी कि जब विधेयक के माध्यम से अपन को यह संशोधन करना पड़ेगा कि सरकार का विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप बढ़ाना पड़ेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): अब आपकी इच्छा है तो समाप्त कर देंगे।

मैं तो यही कहूंगा मंत्री जी, कि एक अम्ब्रेला सिस्टम में सारी यूनिवर्सिटीज़ को लाएं और उसके तहत ऐसे विधेयक, ऐसे कानून बनाएं, ताकि सारे सरकार के अधीन आयें और सरकार का आधिपत्य बढ़े, जिससे कि इन विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधरे। बहुत-बहुत धन्यवाद,

सभापति जी।

श्री सभापतिः श्री रामकेश।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पर मुझे आपने मेरे विचार रखने का मौका दिया है, आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय सभापति जी, इस पवित्र सदन में जब भी कोई विधेयक सरकार लाती है बहुत सोच-समझ कर के और बहुत गंभीरता से विचार करने के उपरांत कोई विधेयक इस सदन में लाया जाता है, हालांकि नाम परिवर्तन की जो बात अभी सदन में चल रही है, इस सरकार की फितरत बन गई है नाम परिवर्तन करने की लेकिन उन सब चीजों से अलग हट करके आज जो यह विधेयक सरकार लेकर के आई है, इस विधेयक के अगर उद्देश्य को देखा जाये और इस विधेयक के मार्फत सरकार को क्या प्राप्ति हो रही है, राजस्थान की जनता को क्या प्राप्त होने वाला है, उसके बारे में अगर हम सोचें तो हमें निराशा हाथ लगेगी।

Kas/rtm/20.03.2025/16.30/3b

केवल और केवल कुलपति, जो कि बहुत ही सम्मानित शब्द है, पद है, उस सम्मानित पद की जगह कुलगुरु प्रतिस्थापित करवा कर यह सरकार क्या हासिल करना चाहती है, यह समझ से परे है। अगर हम कुलगुरु शब्द के परिप्रेक्ष्य में जायेंगे, तो हमें वैदिक सभ्यता की तरफ जाना पड़ेगा। उस सभ्यता की तरफ जाना पड़ेगा, उस समय की तरफ जाना पड़ेगा, जब गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में कुलगुरु का पद होता था। वहां जो शिक्षा दी जाती थी, वो एक कबिले के रूप में जो भी विद्यार्थी वहां गुरुकुल में रहते थे, वो एक परिवार की तरह रहते थे और कुलगुरु को पिता के रूप में मानते थे। गुरुकुल की मर्यादाएं होती थीं, वहां के मापदंड होते थे, वहां के उद्देश्य होते थे। उन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर वो शिक्षा दी जाती थी।

(समयः बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, अगर उन सारे के सारे परिणामों को हम देखें, तो गुरुकुल में जो शिक्षा दी गई और जो उसका इतिहास है, वो बहुत ही डरावना इतिहास है। पूरे देश में उस समय जो एलाइट क्लास था, उस एलाइट क्लास को शिक्षा दी जाती थी, उन्हीं को पढ़ने का अधिकार था। देश की 90-95 प्रतिशत आबादी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर जी को, देश की आजादी के बाद, लगभग 2000 साल तक जो लोग शिक्षा से वंचित रहे, उन वंचितों को शिक्षा का अधिकार मिला, और आज यह सरकार पुराने युग में ले जाना चाहती है, पुरानी वैदिक संस्कृति की तरफ ले जाना चाहती है, जहां का डरावना इतिहास है, जिससे बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रहा। यह सरकार ऐसा सांकेतिक शब्द लेकर आई है, यह कुलगुरु का जो शब्द लेकर आई है, माननीय

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह आशंका होती है कि इस सरकार का उसी तरीके के, उसी पैटर्न पर राजस्थान की जनता को और राजस्थान के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का एक तरह का जो इनका मन है, सरकार के इस बिल के पीछे की मंशा को देखा जाये, तो मुझे संदेह होता है, मुझे संशय हो रहा है कि निश्चित रूप से यह सरकार उसी पैटर्न पर काम करना चाहती है, दलित, आदिवासी और ओबीसी के लोग, जो आज बड़ी मुश्किल से शिक्षा के मामले में पटरी पर आये हैं, बड़ी मुश्किल से उनको शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला है, उस मौके से उनको यह सरकार वंचित करना चाहती है। यह सरकार कुलगुरु के शब्द को प्रतिस्थापित करके एक नया मैसेज देना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपके पास काम करने के लिये बहुत कुछ है। शिक्षा के मामले में राजस्थान में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप महिला शिक्षा में काम करें। एसटी,एससी, ओबीसी के जो वंचित लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, आज भी उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। सरकार अगर उनके लिये कानून लेकर आती, सरकार उनके लिये विधेयक लेकर आती, तो हमें बहुत खुशी होती। आज भी पूरे राजस्थान से नहीं, पूरे देश से हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिये विदेशों में जा रहे हैं, उनको रोकने के लिये अगर सरकार कोई बिल लेकर आती, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये अगर कोई विधेयक लेकर आती, तो उसमें हमको खुशी होती, लेकिन आज जो सरकार यह बिल लेकर आई है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज का दिन राजस्थान में काले दिवस के रूप में याद रहेगा। हमें पता है कि आज इस बिल को आप पास करा लोगे, क्योंकि आपके पास बहुमत है, लेकिन आज पुरानी संस्कृति को, पुराने पैटर्न को लागू करके राजस्थान के वंचित वर्ग के हक से आप खेलना चाहते हो। आपके पुराने संगठन की विचारधारा को पूरे राजस्थान में आप इस बिल के माध्यम से लागू करना चाहते हो, मैं उसकी निंदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, शिक्षा के मामले में हमारे बहुत सारे एसटी,एससी के लोग पूरी तरह से सरकार की दया पर निर्भर हैं, सरकार की सहायता पर निर्भर हैं, उनको कोचिंग का अधिकार मिलना चाहिये, उनको मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिये, उनको छात्रवृत्ति का अधिकार मिलना चाहिये। जो छात्रवृत्ति मिल रही है, वह बहुत कम मिल रही है, उसमें अगर सरकार सुधार करे, तो निश्चित रूप से हमारे उन वर्गों का भला हो सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस देश को कलंकित करने वाला जो इतिहास है, माननीय मंत्री जी, गुरुकुल की आप बात कर रहे हो, कुलगुरु की आप बात कर रहे हो, कुलगुरू के समय मनु स्मृति पढ़ाई जाती थी। क्या आप राजस्थान में मनु स्मृति पढ़ाना चाहते हो? यह कुलगुरु शब्द लाये कहां से आप? कुलगुरु का कंसेप्ट, अवधारणा, यह मनु स्मृति की अवधारणा है। मनु स्मृति पढ़ाकर राजस्थान में क्या आप वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हो? मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका और इस राजस्थान का भला इसमें है कि आप इस विधेयक को रोक दीजिए। अगर आपने संख्या बल

के आधार पर यह विधेयक पास करवाया, तो राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कुमारी रीटा चौधरी। ....(व्यवधान).... अभी तो मंत्री उत्तर देंगे, उसके बाद जनमत की बात आयेगी। नहीं बोलें तो अंडरस्टूड है। ....(व्यवधान)....

श्री रामकेश (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: कुमारी रीटा चौधरी।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पर यहां पर चर्चा चल रही है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल इसलिए लाया गया है, क्योंकि विगत बजट में यहां पर वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी और यह बिल इसलिए भी लाया गया है कि एक पर्ची चली मध्य प्रदेश पहुंची और मध्य प्रदेश से राजस्थान में पहुंची। अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने पूछा था और बहुत सही पूछा था कि कुलपति और कुलगुरु में क्या अंतर है? मंत्री महोदय, निश्चित तौर पर यहां तैयारी के साथ आये होंगे, जब आप यहां अपना रिप्लाई दें तो, इसका जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब इस संशोधन विधेयक को पढ़ रही थी, तो मेरे मन में एक विचार आया, मैंने इसको देखा और मुझे लगा कि पिछले एक-डेढ़ साल से दिल्ली से लेकर जयपुर तक नाम बदलने का सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है और केवल नाम बदल कर राजनीति चमकाना काफी नहीं होता है, कुछ काम करके अगर राजनीति को चमकाया जाये, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार यह बिल लेकर आई। उच्च शिक्षा मंत्री जी, अगर आप सुन लेंगे तो ठीक रहेगा ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: जो भी आप बोल रही हैं, वो सब सुन रहे हैं।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): गंभीरता दिख रही है इनके चेहरे से, गंभीरता कितनी टपक रही है।

मध्य प्रदेश की सरकार यह बिल लेकर आई, तो वहां पर कैबिनेट में चर्चा हुई और उस पर बाहर यह वक्तव्य आया कि यह बिल इसलिए ला रहे हैं ....

Msk/rtm/20.03.25/1640/3c

कुलपति को कुलगुरु इसलिए कर रहे हैं कि स्नेह एवं सम्मान का भाव इसमें निहित है। मध्य प्रदेश के बीजेपी के बहुत सारे साथियों ने और मंत्री ने यह भी कहा कि यह महिलाओं के सम्मान के अनुकूल नहीं है, इसलिए भी इसको कुलगुरु किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो निश्चित तौर पर अगर महिलाओं का सम्मान कुलगुरु करने से आता है तो मैं इस बिल का विरोध नहीं करूंगी। इससे अच्छा होता, मुझे खुशी होती कि इस बिल के अंदर आप महिलाओं को, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स हैं, हमारी जो वाइस चांसलर की सीट है, उस पर उनको आरक्षण देने का काम करते। मेरे हिसाब

से जो 33 विश्वविद्यालयों की यहां पर आपने लिस्ट दी है, एक या दो के अंदर महिला कुलपति होंगी, बाकी महिला कुलपति इसके अंदर नहीं है। इससे अच्छा आप बिल लेकर आते, महिलाओं के लिए अलग से विश्वविद्यालय स्थापित करने का बिल लाते तो ज्यादा खुशी होती। कुलगुरु को अगर हम लोग ढूंढ़े, गूगल पर उसका सर्च करें तो फैमिली टीचर होता है। यह पुराने जमाने के अंदर राजा-महाराजाओं के परिवार को, उनके जो रिश्तेदार थे, उनको पढ़ाने के लिए गुरु की वहां पर नियुक्ति होती थी। वह उस कुल को, उस गुरु के भी आगे से आगे वंशज हैं, उस परिवार को पढ़ाते रहते थे। मैं समझती हूं कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, विशेषकर हमारे सुभाष जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। हमारे नेता, प्रतिपक्ष ने बताया कि वह अधिकारी होता है, वह कोई गुरु नहीं होता, वह कोई शिक्षा देने का काम नहीं करता है। तो इस पर आपको विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, 1990 से अगर हम देखें, राजस्थान के अन्दर, इसके अन्दर राज्य वित्त पोषित यूनिवर्सिटीज 33 लिखी हैं। उसमें देखें तो 1990 से 2025 तक, 35 वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर 27 सरकारी विश्वविद्यालय खोले गये। इस सूची को अगर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें अधिनियम भी दे रखा है और सन भी दे रखा है कि किस साल के अंदर ये यूनिवर्सिटीज खुलीं? मैं समझती हूं कि इन 35 वर्षों में राजस्थान में 27 विश्वविद्यालय खुले, उनमें से केवल पांच भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर खुले और बाकी 22 जो हैं, वे कांग्रेस के राज में खुले। यह तो उच्च शिक्षा के अंदर आपका किस तरह का दृष्टिकोण है, कैसा आप सोचते हैं, उसका हाल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प पत्र की बात करती हूं। आपने चुनाव के समय प्रदेश की जनता से कुछ वादे किये। आपने बड़े-बड़े सपने दिखाये कि हम प्रदेश का पहला एविएशन विश्वविद्यालय खोलेंगे, उसका बिल कहां है? आपने घोषणा की कि जोधपुर में फूड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय खोलेंगे, उसका बिल कहां है? आपने कहा कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्था का परिसर स्थापित करेंगे, उसका बिल कहां पर है? आपने कहा कि आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान के प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी हम बनायेंगे। आपने घोषणा जरूर की है, राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, लेकिन भरतपुर, बीकानेर, अजमेर में जो पहले से इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे थे, उनका नाम आपने बदलने का काम किया। उसको यह नाम देने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर उच्च शिक्षा का हाल बहुत बुरा है। मैं हर बार, चाहे वह हमारा समय हो, चाहे आप लोगों का समय हो, हमेशा निजी विश्वविद्यालय के ऊपर बात करती थी। निजी विश्वविद्यालय पर कोई चेक नहीं है, आप कोई अथॉरिटी बनायें, ताकि निजी विश्वविद्यालय पर चेक हों। मेरे विधान सभा क्षेत्र मंडावा में जेजेटी यूनिवर्सिटी के लिए मंत्री महोदय आपसे भी मेरी बात हुई थी। हमारी सरकार थी, तब हमारे जो मंत्री थे, उनसे भी बात हुई थी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अभी तो 6 मिनट हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आठ मिनट हो गये, यह नवां मिनट चला रहा है। आपने 04.35 पर

बोलना शुरू किया, आपको 04.45 पर क्लोज करना है। यहां 04.35 लिखा हुआ है।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, मैं टाइम लिमिट में खत्म करूंगी।

उन निजी विश्वविद्यालयों के लिए आप कोई अथॉरिटी बनायें, ताकि उनके ऊपर चेक हो सके, फर्जी डिग्रियां बंट रही हैं, उससे हमारे जो बच्चे हैं, उनका भविष्य बहुत अंधकारमय हो जायेगा। आप यह जो कुलगुरु का ला रहे हैं, हमारे पूर्व वक्ता सही कह रहे थे कि आप यूजीसी नॉर्म्स के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि यह आपका विषय नहीं है? आपने जिन 33 विश्वविद्यालयों के नाम इसके अंदर दिये हैं, उन विश्वविद्यालयों में आप कुलगुरु कर रहे हैं। आप चांसलर का नाम चांसलर ही रख रहे हैं, कुलाधिपति हैं। मंत्री महोदय, जब लोग यहां से पढ़कर, उस सर्टिफिकेट के ऊपर कुलगुरु की मुहर लेकर जायेंगे तो उसकी मान्यता न तो विदेश के अंदर मिलेगी, न हमारे देश में अन्य जगहों में मिलेगी। यहां पर निजी विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी आपने कुछ नहीं किया। इससे अच्छा होता कि आप यह बात दिल्ली लेकर जाते, यूजीसी के अंदर आप इसका बदलाव करते और एक व्यापक स्तर पर केंद्र से यह जब आता तो उसका कोई मतलब होता? मैं आपसे फिर कह रही हूं कि इसके नाम पर हमारे आने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उनकी जो डिग्रियां हैं, वे कचरे के ढेर में चली जायेंगी। आप जल्दी मत करो। बजट की घोषणाएं, आप 99 परसेंट पूरा कर दो, इसको एक बार रोक लो। आप एक बार इस पर पुनर्विचार करो। मंत्री महोदय, यह गलती मत करो, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, पहले ही निजी विश्वविद्यालयों ने उनको अंधकार में डाल रखा है। अब आपके इस कुलगुरु के नाम से और अंधकार में चले जायेंगे? (समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: वाइंड अप करें।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां विधेयक, 2025 को जनमत जानने के हेतु परिचालित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, मंत्री जी, उत्तर दें।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सम्मानित सदन में राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयो के 'कुलपति' से 'कुलगुरु' एवं 'प्रतिकुलपति से 'प्रतिकुलगुरु' नाम परिवर्तन करने के लिए दी राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट बिल, 2025 पर अपने विचार मैथिलीशरण गुप्त जी की कविता के साथ शुरू करना चाहता हूं।

हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें आज मिल, ये समस्याएं सभी।।
भारत था कभी जगद्गुरु, यह शिक्षा का धाम।
लेकिन भूले पथ हम अपने, हुआ ध्वस्त यह नाम।।
नए युग में उठो सभी, ज्ञान-ज्योति फैलाओ।
फिर से अपने भारत को, विश्वगुरु बनाओ।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैथिलीशरण गुप्त जी की यह कविता हमें हमारे गौरवशाली

अतीत और वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। भारत कभी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था, लेकिन अब हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हमें फिर से शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण का माध्यम बनाना होगा और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। राष्ट्र की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में समर्पित होना चाहिए। 'कुलगुरु' की संकल्पना भी शिक्षकों को राष्ट्र-निर्माण और राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बूंदी, भरतपुर, शिव, शाहपुरा, आहोर, सूरतगढ़, भीनमाल, चुरू, आदर्श नगर, अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय विद्वान सदस्यों व नेता, प्रतिपक्ष ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किये, मैं इन सभी माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा।...(व्यवधान)... आपका भी।

श्री अध्यक्षः आभार हो गया। अब आगे बढ़ो।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आप सभी का आभार। आपने इस बिल के अलावा भी, वैसे तो उच्च शिक्षा की डिमांड रखी थी, उसमें भी सब चीजें हमने सुनी थीं और जवाब भी दिया था और उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपने इससे हटकर कालेज खोलने के लिए, सभी विद्वान साथियों ने शिक्षकों के लिए, होस्टलों के निर्माण के लिए, हम उन पर भी विचार कर रहे हैं। आपने भी कालेजें खोलीं, हमने भी कालेजें खोलीं। आपने भर्तियां नहीं कीं, हमने भर्तियां भी कीं और कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर बड़े गंभीर हैं और शिक्षा में आपके जो सकारात्मक सुझाव हैं, निश्चित रूप से हम, इन पर विचार करके आगे आपके विचारों को सम्मिलित करते हुए, एक अच्छी शिक्षा हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।

mdp/rtm/20.03.25/1650/3d

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश सनातन काल से ही ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, संस्कृति और दर्शन का प्रकाश स्तंभ रहा है। जब पूरी दुनिया अज्ञान और अंधकार में डूबी थी, तब हमारे भारत देश ने अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को दर्शन गणित, चिकित्सा, विज्ञान, भाषा, कला और अध्यात्म का प्रकाश दिया था। यह वह भारत देश है, जिसे कभी विश्व गुरु कहा जाता था। यह वह भारत है, जिसकी शिक्षा प्रणाली दुनिया के लिए प्रेरणा थी। यह वह भारत है, जिसकी शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये नैतिकता और अनुशासन, जीवन मूल्यों, समाज सेवा और आत्म साक्षात्कार का एक साधन थी, लेकिन अफसोस की बात है कि हम अपनी उस शिक्षा प्रणाली से भटक गए। हम अपने उस गौरवशाली अतीत से दूर हो गए और हमारी शिक्षा केवल अंक परीक्षा और डिग्रियों पर सिमट कर रह गई। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, शिक्षा केवल अंकों की होड़ नहीं, शिक्षा केवल परीक्षा का खेल नहीं, अपितु शिक्षा तो चरित्र निर्माण की वह दिव्य प्रक्रिया है, जो मनुष्य को केवल विद्वान नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदार नागरिक, एक जागरूक समाज सेवी एवं सशक्त राष्ट्र

सेवक बनाती है।

प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर नैतिकता, समाज सेवा, शारीरिक, मानसिक विकास और आत्म निर्भरता की शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश विदेशी आक्रमणों और ब्रिटिश शासन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को गहरी क्षति पहुंचाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1835 में लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने हमारी पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली को समाप्त करने और भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली स्थापित करने का कार्य किया। मैकाले ने स्पष्ट कहा था कि उनकी नीति का उद्देश्य भारतीयों को सोच विचार की दृष्टि से पूरी तरह से अंग्रेज बनाया जाए। इसी नीती के कारण हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति नष्ट हुई, गुरुकुल समाप्त हुए और भारत की गौरवशाली शिक्षा परंपरा औपनिवेशिक मानसिकता के नीचे दबकर खो गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1854 में चार्ल्स वुड ने उस समय के अंग्रेजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा जो वुड डिस्पैच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने की योजना बनी और इसे 'मेग्नाकार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया' के नाम से जाना जाता था। इस नीति के तहत भारतीय गौरव एवं भाषाओं को दरकिनार कर अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी गई। इससे धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं में निहित ज्ञान विज्ञान की महान विरासत और राष्ट्रीय गौरव लगभग समाप्त हो गया। ये नीतियां हमारी शिक्षा प्रणाली को उनकी जड़ों से अलग करने की जिम्मेदारी थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं एवं भारतीय ज्ञान कौशल पर आधारित शिक्षा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश में 34 वर्षों बाद 21वीं सदी के लिए राष्ट्रीय हित में देशवासियों से विस्तृत विचार-विमर्श कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लागू की। नवीन शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए बनायी गयी है। इसका उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि ये समग्र विकास, व्यावसायिक शिक्षा के नवाचार पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंचाने पर केन्द्रित है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में जहां विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों के लोग रहते हैं, वहां यह आवश्यक है कि शिक्षा हर वर्ग को और हर छात्र तक पहुंचे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यशस्वी मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये सुनिश्चित कर रही है कि शिक्षा को अधिक समावेशी, न्यायसंगत और सभी के लिए सुलभ बनाया जाए। समाज के सभी वर्गों के साथ ही वंचित वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और दिव्यांग छात्रों सहित सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए हमारी सरकार नये महाविद्यालय, नये विद्यालय एवं नये विशेष संकाय ...(व्यवधान).... नये पॉलिटेक्निकल, क्या हुआ...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): बिल पर बोलिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह क्या बात हुई?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह सब तो आप डिमांड पर बोल लिए। आप तो बिल पर बोल दीजिए।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपने कुलगुरु पर तो बोला ही नहीं, आपने अनेक विषयों पर बोला है ...(व्यवधान).... आपने हर विषय पर बोला है, इसकी पूरी डिमांड लेते हुए भी हर विषय पर बोला है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप इधर-उधर ही भटक रहे हैं। बिल पर एक शब्द नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): नये विषय, नये संकाय पर बोले हैं। अभी अजमेर, बीकानेर, अभी रीटा जी इन्हीं के बारे में कह रही थी। अभी इन कॉलेजों के बारे में ही कह रही थी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): बिल पर सुनने के लिए बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान).... एक शब्द नहीं कहा आपने बिल पर, एक शब्द।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अजमेर, बीकानेर, भरतपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज ...(व्यवधान).... राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी में अपडेट कर रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसे नहीं। टू द पाइंट।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): साथ ही जयपुर में आईआईटी, जोधपुर कैम्पस शुरू करने के ...(व्यवधान).... प्रयास करना बजट में प्रस्तावित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: आप लोगों के भी भाषण हुए। ऐसा है कि सदस्य भी केवल बिल पर नहीं बोले, सभी विश्वविद्यालयों की बातें की हैं, सबने इधर-उधर की।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): बिल पर बोलने को कहिए।

श्री अध्यक्ष: उस पर भी आएंगे।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): स्कूली शिक्षा में रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे ...(व्यवधान).... नये विषयों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि यह भारत के भविष्य को आकार देने की शिक्षा का एक बड़ा कदम है। इस नीति से हमारे नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान, परंपरा, कौशल और आत्मनिर्भरता प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर है। अगर इस नीति को सही तरीके से लागू किया गया तो निश्चित रूप से भारत आने वाले वर्षों में शिक्षा और नवाचारों के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। पूरा ही बताऊंगा इनको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सभी 33 वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में कुलपति पद नाम को बदल कर कुलपति करने के लिए विधेयक राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ

अमेंडमेंट, 2025 लाना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है। यह केवल एक शब्द को बदलने का प्रस्ताव नहीं है, यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस महान शिक्षा व्यवस्था की पुनः स्थापना का एक प्रयास है, जिसने हजारों वर्ष तक भारत को विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह विधेयक मात्र विश्वविद्यालयों के सिर्फ पदों का नाम बदलने की पहल नहीं है, बल्कि यह हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की तरह विश्वविद्यालयों को पुनः श्रद्धा का केंद्र बनाने का एक प्रयास है। पहली नजर में यह परिवर्तन साधारण लग सकता है। लेकिन इसके पीछे भारत की उस महान गुरु शिष्य परम्परा का पुनर्जागरण है, जिसने सदियों तक भारत को विश्व गुरु का सम्मान दिलाया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल से ही गुरुकुल परम्परा पर आधारित रही है। हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा गुरुकुल में केवल विषय का ज्ञान नहीं बल्कि नैतिकता, अनुशासन और समग्र विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली विश्व की प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ थी। विश्वभर के विद्यार्थी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे महान विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय लगभग 600 ईसा पूर्व स्थापित हुआ, जहां 10 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत थे। चाणक्य जैसे महान शिक्षक यहां पढ़ते थे। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालयों में भी 10 हजार छात्र और 2000 शिक्षक थे। यहां दर्शन गणित, आयुर्वेद, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों का गहन अध्ययन करवाया जाता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा की महानता का एक विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे वहां प्रवेश लेना कठिन था, क्योंकि प्रवेश परीक्षा इतनी जटिल थी कि केवल उच्चतम योग्यता वाले छात्र ही प्रवेश ले सकते थे। इन गुरुकुलों में शिक्षक को गुरु कहा जाता था, जो केवल एक प्रशासक नहीं बल्कि ज्ञान, चरित्र और कर्तव्य पालन के लिए विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण करता था।

VPS-RTM-20.03.2025-17.00-3e

विश्वविद्यालय के शीर्ष पद 'कुलपति' शब्द प्रशासनिक स्वरूप को इंगित करता है, जबकि 'कुलगुरु' शब्द भारतीय परंपरा के अनुरूप ज्ञान के स्रोत और मार्गदर्शक की भूमिका को स्पष्ट करता है। यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की आत्मा को पुनः स्थापित करने का प्रयास है।

कबीर दास जी ने कहा है कि-

गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष।

गुरु बिन शास्त्र न सुलझे, गुरु बिन मिटे न दोष ।। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः विराजो-विराजो। माननीय सदस्य, विराजो। मैंने देख लिया। पारीक साहब ने भी बजाई है। अब जूली साहब की भी इच्छा है। मंत्रीजी बोल रहे हैं। इधर के कहे तो समझाऊं पर आप तो अपने मंत्री का तो सुन लो। वे अच्छे विद्वान हैं। ऐसा नहीं। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषाई और वैचारिक तर्क शब्द केवल अक्षरों का समूह नहीं होते, बल्कि वे हमारी सभ्यता और संस्कृति के वाहक होते हैं।

'गुरु' शब्द का अर्थ है जो अज्ञानता को दूर करे, जो सही मार्ग दिखाए, जो संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हो।

वहीं, कुलपति, न्यायाधिपति, सभापति में 'पति' शब्द स्वामित्व या प्रशासनिक भूमिका को दर्शाता है। यही कारण है कि हम अपने शिक्षकों को 'गुरु' कहते हैं, न कि 'पति'। हमारे वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों में भी शिक्षा देने वाले को 'गुरु' संबोधित किया गया हैं।

गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः।

गुरुसाक्षात् परमं बह्मं, तस्मै श्रीगुरवे नमः।।

यह श्लोक स्कंद पुराण से लिया गया है, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। स्कंद पुराण में गुरु की महिमा का विशेष वर्णन किया गया है और इसे जीवन में विशेष स्थान दिया गया है। और भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन संस्कृति में ज्ञान के सृजनकर्ता ब्रह्माजी, ज्ञान के पालनकर्ता विष्णुजी तथा अज्ञान के संहारक शिवजी हैं। गुरु को ईश्वर के समान पूज्य माना गया है क्योंकि गुरु ही हैं जो मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं।

हमारे इतिहास में गुरु-शिष्य परंपरा के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज के स्तर पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता को उजागर करते हुए कहा है-

"गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय।

बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताय ।।" ...(व्यवधान)...

आपने इसका पूरा वर्णन नहीं किया, मैं वर्णन करके बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप भगवा कपड़े और दिलवा दो इनको। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अर्थात, गुरु और भगवान दोनों के सामने होने पर पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु-शिष्य परंपरा का हमारे इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल में राजा-महाराजा भी अपने गुरुओं के समक्ष नतमस्तक रहते थे। गुरु महर्षि वशिष्ठ एवं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को धर्म, राज्य और जीवन के उच्चतम मूल्यों का ज्ञान दिया।

गुरु संदीपनी ने भगवान श्रीकृष्ण और बलराम को शिक्षा प्रदान की। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन जैसे योद्धा का निर्माण किया।

यह सभी उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि गुरु-शिष्य संबंध न केवल ज्ञान प्रदान करने का माध्यम था, बल्कि समाज के नैतिक एवं चरित्र निर्माण में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाता

था।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): बहुत अच्छे।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य विष्णुगुप्त जिन्हें हम कौटिल्य, चाणक्य और अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में पहचानते हैं, गुरु चाणक्य ने धनानंद के अन्याय पूर्ण शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: गुरु की तो सुनो। अब तो 'कुलगुरु' पर ही बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, संत रैदास और उनकी शिष्या मीराबाई के बारे हम सभी जानते हैं। उस युग में जब जाति व्यवस्था की जड़ें बेहद मजबूत थीं, उस समय मीराबाई ने संत रैदासजी को अपना गुरु बनाकर जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक क्रांतिकारी उदाहरण प्रस्तुत किया।

उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि आध्यात्मिक ज्ञान किसी जाति, धर्म या वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

मीरा ने अपने गुरु रैदास के चरणों में अपने राजसी सुख-सुविधाओं का त्याग किया और भक्ति एवं समर्पण का मार्ग चुना।

यह घटना सिर्फ आध्यात्मिक भक्ति की नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता की भी प्रतीक बनी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप गुरु पर सुनना चाहते थे। आपने कहा कि गुरु पर बोलो तो ये गुरु पर बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार आधुनिक इतिहास में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के गुरु-शिष्य संबंधों ने भारतीय संस्कृति की पुनःस्थापना में अमूल्य योगदान दिया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। आपने बोल लिया, अपना वक्तव्य दे दिया, अब आप इनका सुन लो। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): जब स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था उस समय युवा नरेंद्र अनेक संशयों और आध्यात्मिक प्रश्नों से घिरे थे, तब उन्होंने रामकृष्ण परमहंसजी से पूछा था कि -'क्या आपने ईश्वर को देखा है?' रामकृष्ण परमहंसजी का सरल लेकिन गहरा जवाब था 'हां, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं।'

यही उत्तर विवेकानंद के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। गुरु रामकृष्ण परमहंसजी ने विवेकानंदजी को सिखाया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव में है।

उन्होंने विवेकानंद को समझाया कि मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है।

विवेकानंद ने अपने गुरु की इन शिक्षाओं को जीवन में उतारा और वर्ष 1893 में शिकागो

के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और दर्शन का परचम लहराया।

श्री अध्यक्ष: वैसे, मंत्रीजी, आप अच्छा बोल रहे हो, आप विद्वान हैं लेकिन कई बार विद्वान लोग ज्ञान उतना ही दें जितना सामने वाले और सब लोग डाइजेस्ट भी कर सके। आप अच्छा बोल रहे हैं, विद्वान हैं। मेरा मतलब, मेरे को भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है। आप बढ़िया बोल रहे हैं, आप बोलो। ...(व्यवधान)...

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): विवेकानंदजी का कथन 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको' आज भी पूरे विश्व के युवाओं के लिए प्रेरणा-स्रोत बना हुआ है।

भारत में गुरु-शिष्य परंपरा केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी, यह एक संपूर्ण जीवन-दर्शन था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिक्षा की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि- 'शिक्षा वह नहीं है जो केवल रोजगार देती है, बल्कि शिक्षा वह है जो हमारे जीवन को संपूर्ण बनाती है, शिक्षा वह है जो हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराती है।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है कि- 'जीवन का सर्वागीण विकास शिक्षा का मूल मंत्र हो।

शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो कि विद्यार्थी अपनी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक शक्तियों का विकास कर आगे चल कर किसी व्यवसाय द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह कर सके। कलापूर्ण, सौन्दर्यमय जीवन व्यतीत कर सके, समाज में आदरणीय और विश्वासपात्र बन सके तथा देशभक्ति से, जो मनुष्य को उच्च कोटि की सेवा करने को प्रेरित करती है, अपने जीवन को अलंकृत कर राष्ट्र की सेवा कर सके।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, महर्षि अरविन्दजी ने कहा है कि- 'अतीत हमारी नींव हैं, वर्तमान हमारा उपादान है और भविष्य हमारा गंतव्य शिखर है, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में हर एक को अपना उचित और स्वाभाविक स्थान मिलना चाहिए।'

प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थी अपने गुरु के सान्निध्य में रहते हुए न केवल शास्त्रों की शिक्षा लेते थे, बल्कि नैतिक मूल्यों, समाज सेवा, अनुशासन और चरित्र निर्माण का ज्ञान भी प्राप्त करते थे।

गुरुकुल व्यवस्था व्यक्ति के समग्र विकास को प्राथमिकता देती थी। इसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर समान बल दिया जाता था। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण और सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराया जाता था।

Ssy/Rtm/20.03.25/17.10/3f

एक और बोल दूं, और बोलते हैं और बोलते हैं ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह बाद में बोल देना।

श्री अध्यक्ष: अब आ गया, अब 9 लोग और बोलने वाले हैं, 3 में, बैठे-बैठे नहीं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे 33 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में जो 'कुलपति' पदनाम है, वह भी उसी मैकाले की औपनिवेशिक मानसिकता की देन है। यह 'वाइस चांसलर' शब्द का हिंदी रूपांतरण मात्र है, जिसमें भारतीय शिक्षा के मूल दर्शन का कोई स्थान नहीं है।

"कुलगुरु" एक पारंपरिक उपाधि है, जो प्राचीन भारत में राजवंशों और प्रतिष्ठित परिवारों को आध्यात्मिक व विद्या गुरुओं द्वारा दी जाती थी। जबकि 'कुलगुरु' शब्द हमारे पारंपरिक मूल्यों, हमारे सांस्कृतिक इतिहास और हमारी शिक्षा-परंपरा को पूर्णतः प्रतिबिंबित करता है, इसलिए जब हम विश्वविद्यालयों के शीर्ष पदनाम को 'कुलगुरु' कर रहें हैं, तो यह केवल शब्द परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह हमारी शिक्षा व्यवस्था को पुनः अपनी महान परंपरा के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कदम है।

माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार स्वामी विवेकानंद जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, महर्षि अरविन्द जी, बाबा साहब भीमराव अबेड़कर जी जैसे महान आदरणीय महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए पुरानी सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का कार्य करने जा रही है।

यह कदम विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को केवल प्रशासक नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक, विद्यार्थियों के संरक्षक, और सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के रूप में स्थापित करेगा। 'कुलगुरु' पदनाम न केवल राजस्थान के विश्वविद्यालयों को, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को अपनी महान परंपरा से जोड़ने का कार्य करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व की अनेक शिक्षा प्रणालियों में भी प्रमुख शिक्षकों को प्रोफेसर, चांसलर या प्रिंसिपल जैसे नामों से जाना जाता है, लेकिन इनमें भी 'गुरु' जैसी गरिमा नहीं झलकती, इसलिए, 'कुलगुरु' शब्द न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि विश्वविद्यालय प्रमुख की भूमिका को भी एक श्रेष्ठ परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह भी उठता है कि इस परिवर्तन से विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब शीर्ष शिक्षण पद पर आसीन व्यक्ति को 'कुलगुरु' के रूप में संबोधित किया जाए, तो यह पद एक प्रशासक की तुलना में एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत और एक विद्वान की छवि को और प्रबल करेगा, जिससे विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गरिमा बढ़ेगी। 'गुरु-शिष्य परंपरा' को पुनर्जीवित करने में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे छात्रों को अपने कुलगुरु से एक आत्मीय संबंध स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में चर्चा में हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान सदस्यों ने यह कहा कि यह एक गैर-जरूरी बदलाव है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): नहीं कहेंगे ...(व्यवधान)... नहीं कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं कहेंगे, समझ में आ गई। समझ में आ गई।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): परंतु हमें यह समझना होगा कि हमारी पहचान

और भाषा का प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। यह बदलाव केवल नाम का नहीं, बल्कि मानसिकता और दृष्टिकोण का भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तब हमें अपनी जड़ों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना चाहते हैं तो हमें इसे भारतीय मूल्यों और परंपराओं से भी जोड़ना पड़ेगा। आइए, हम सब मिलकर इस महत्त्वपूर्ण कदम को समर्थन दें, जिससे हम अपने युवाओं को सही मायनों में शिक्षित कर सकें।

श्री अध्यक्षः हो गया।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी इसका साथ दें।

श्री अध्यक्षः आग्रह तो करो।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): भारत को पुनः विश्वगुरु के पद पर स्थापित कर सकें ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): गुरु तो बन चुके, नया किसको बना रहे हो?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात पूर्ण करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः बस यह सुन लिया इन्होंने, अब सुन लेंगे।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री):

सच है, विपत्ति जब आती है,
कायर को ही दहलाती है,
सूरमा नहीं विचलित होते,
क्षण एक नहीं धीरज खोते,
विघ्नों को गले लगाते हैं,
हम कांटो में राह बनाते हैं।
हम कांटो में राह बनाते हैं।।

अर्थात्, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रतिपक्ष के साथी हमारे लिए कांटो भरी राह छोड़ कर गए है परंतु हम आदरणीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में अपनी राह बनाकर प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाकर रहेंगें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद एवं बहुत-बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।

श्री अध्यक्षः विराजो।

प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया

गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 व 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्षः एक सैकण्ड, वह हैं भाई, प्रोसेस से चलेंगे। बैठें। कुछ सदस्यों ने अपने नाम दिये हैं। उसमें से श्री मनोज कुमार सादुलपुर, 5-7 मिनट में अपना पूरा करें। एक सैकण्ड, पहले यह कुछ, एक सैकण्ड। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं?

सदन की कार्यवाही

राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर विचार का दिनांक 21 मार्च, 2025 की कार्यसूची में सम्मिलन

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि दिनांक 10 मार्च, 2025 को कार्य सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये विषयों के अतिरिक्त सदन की अनुमति से 21 मार्च, 2025 को राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर भी विचार होगा।

माननीय सदस्यों को याद होगा, इस विधेयक का वितरण पहले ही हो चुका है और इस पर कल दिनांक 21 मार्च, 2025 को प्रातः 10 बजे तक संशोधन प्रस्तुत कर सकेंगे।

श्री अध्यक्षः संशोधन प्रस्तुत कल 10 बजे तक अपन कर सकते हैं, माननीय सदस्य। श्री मनोज कुमार।

विधेयक का पारण

राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2025 सरकार लेकर आई बहुत छोटे से विषय के लिए, इसमें संशोधन में कुलपति और कुलगुरु, हम कुलपति जी का भी सम्मान करते हैं, कुल गुरु का भी सम्मान करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक कानूनी बिंदु पर बात करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक्ट जो पार्लियामेन्टरी एक्ट है और उसमें जिस भाषा की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में भी बात कर रहे थे कि कुलपति, वाइस चान्सलर इंग्लिश शब्द का अर्थ है हिंदी में। मैं कहना चाहता हूँ कि, "Through various regulations including the UGC Regulation 2018 (both Hindi and English Version: see table 3), the parliament has already notified that the Hindi version of Vice-chancellor is the "कुलपति", and the Hindi version of Pro-vice-chancellor is the "समकुलपति"." जब यूजीसी में, उनके नोटिफिकेशन 2018 में जब हिंदी और इंग्लिश के दोनों वर्जन होने चाहिए तो मैं आपसे जानना चाहता हूं।

spp/Rtm/20.03.25/1720/3g

सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कुलगुरु का इंग्लिश शब्द इस वर्जन में क्या शामिल करने जा रहे हैं? अगर आप इंग्लिश शामिल नहीं करना चाहते हैं तो इंग्लिश अगर वाइस चान्सलर और प्रो वाइस चान्सलर अगर आप करना चाहते हैं तो आपका कुलपति को कुलगुरु नहीं कर पाओगे, इसलिए ये आपका विधिक रूप से संशोधन मान्य नहीं होगा और जब देश के कानून में पार्लियामेन्टरी की बात जाएगी तो आप इसको लागू नहीं कर पाएंगे और आपको बैकफुट पर आना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं कहना चाहता हूं आपके, "UGC Regulations are constitutionally mandatory and binding on the state governments, and it is mandatory for state governments necessarily in case the state government has already implemented the UGC Regulation. It is pertinent to mention that the Rajasthan Government has already implemented UGC Regulation 2018 (having names कुलपति सम कुलपति) through the Govt. of Rajasthan/Education Dept. Order No. F1(6) Edu 4/2010 dated 198.8.2020." इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, हाइकोर्ट में भी लोग गए हैं, इनमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जगदीश प्रसाद शर्मा वर्सेज़ स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें भी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यूजीसी के माध्यम से लगा स्टेट गवर्नमेन्ट इसको संशोधन नहीं करेगी, करेगी तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन को चेंज नहीं कर पाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, कुलगुरु के बारे में मेरे दो शब्द और आपको बताऊंगा।

श्री अध्यक्षः हां, दो शब्द बताओ।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कुलगुरु का हिंदी अर्थ संज्ञा पुल्लिंग वंश खानदान का गुरु, कुलपुरोहित, वंश या कुल के सदस्य को दीक्षा का ज्ञान देने वाला गुरु, किसी कुल या परिवार का पुरोहित वंश या कुल के दीक्षा का ज्ञान देने वाला गुरुकुल, गुरुकुल का अधिष्ठाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कुलगुरु का, सबसे बड़ी बात है विष्णु पुराण में भी कुलगुरु को लिखा है, the head of your family and family protector. इसके अलावा आप इन कुलगुरु को, सम्मानित पद को, कुलगुरु जैसा हमारे ऐतिहासिक शब्द को, हमारे सनातन धर्म के शब्द को आप यूज़ यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर लाकर, उस शब्द का आप उपयोग करना चाहते हो, वह उसका सम्मान नहीं, आपका अपना मान नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनको कुलपति ही रखा जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय में 33 विश्वविद्यालयों की बात की गयी। लेकिन आपने प्राइवेट विश्वविद्यालय को क्या यह सरकार ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, हो गया। ऐसे 8-10 लोग और हैं बोलने वाले।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक मिनट। प्राइवेट विश्वविद्यालय आप लेकर आये हैं, खूब सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आपके कुलपति का, उनमें आपके वाइस चांसलर का, आपका कहां सब्जेक्ट है, वह लूट के अड्डे बने हुए हैं। आपकी सरकार ने, आपकी SOG ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में OPJS यूनिवर्सिटी के सारे लोगों को, चाहे उसका डायरेक्टर हो, चाहे इसका संचालक हो, सब को गिरफ्तार करके जेल में भेजा हुआ है, लेकिन वह यूनिवर्सिटी आज भी संचालित है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां प्रशासक लगाकर जिन विद्यार्थियों के साथ अन्याय और जुल्म हो रहे थे, उनको आप रोकने का प्रयास करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहनी है। सरकारी अंशदान का समायोजन शिक्षा नीति 2010 में सरकार लेकर आई। जो अंशदान, कॉलेजों में प्रोफेसर लगे हुए थे, उन प्रोफेसरों को आपने समायोजित तो कर दिया लेकिन 2022 में कांग्रेस सरकार ने एक लिमिटेशन डाल दी कि 2022 तक जिनको 10 वर्ष हो गये, उनको तो हम पेंशन देंगे, बाकी लोगों को पेंशन नहीं देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप उनको समायोजन किया, वह कहीं पर प्रतिनियुक्ति पर थे, तभी आपने समायोजन किया।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप नाम तक ही सीमित रहो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इन्हीं की शिक्षा नीति है यह। इन्हीं के प्रोफेसर थे समायोजन किया, लेकिन आप उनकी पेंशन नहीं दे रहे हैं। मैं मांग करता हूँ कि आप उनकी पेंशन जारी करें और उनकी उसी स्थान से नियुक्ति मानें जिस स्थान से वह कॉलेज में पहले से लगे हुए थे। धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्षः श्री गोपाल शर्मा। विराजें, हो गया।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आदरणीय स्पीकर सर, आज ऐतिहासिक घड़ी है, राजस्थान एक ऐसा संकल्प लेने जा रहा है, जो सदियों तक याद रखा जाएगा और आप अध्यक्ष के आसन पर बैठे हैं, इससे ज्यादा क्या खुशी की बात होगी कि गुरु के नेतृत्व में यह सदन ऐसा विधेयक लाने जा रहा है, जो गुरु का सम्मान देने वाला है, गुरु के पद की महत्ता को बढ़ाने वाला है। कलयुग के अंदर सिर्फ नाम आधार है। आपने अजयमेरू से जो शुरुआत की है, आज सदन उसके लिए आपका अभिनंदन करता है, आपकी प्रशंसा करता है।

महोदय, आज प्रतिपक्ष ने भी केवल शब्द को छोड़ दिया जाए, कुल से इनका कोई विरोध नहीं है। कुल के बिना हम चल नहीं सकते। जहाँ-जहाँ कुल रहेगा, वहां-वहां हम रहेंगे। आपत्ति केवल पति से है, क्यों पति से आपत्ति करती हैं? क्यों पति से आपत्ति करते हैं? इसका एक कारण है, क्योंकि यह गुरु का विषय है और गुरु, गुरु मिलिया रैदासजी, हमारे प्रेमचंद जी, गुरु मिलिया रैदासजी दीनी ज्ञान की गुटकी, तो गुरु जो शब्द है, ये इंकार करने लायक ही नहीं है। जो गुरु को इंकार करता है वह गोविंद को इंकार करता है। आपने गोविंद को इंकार कर दिया, कम से कम गुरु को इंकार मत करिए।

मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। प्रतिपक्ष ने जो आज बात कही है, उसमें बहुत बातों के अंदर महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या केवल नाम रखने से काम चल जायेगा? क्या कुलगुरु रखने के नाम से काम चल जाएगा? चलेगा, क्योंकि आज संकल्प दिवस है। संकल्प केवल नाम से लिया जाता है और काम उस नाम के आधार पर होता है, तो जो आपने चिंता व्यक्त की है, वह कितने बरसों का कलंक है। रिश्वत से कुलपतियों की नियुक्ति, ट्रांसफरों के अंदर भ्रष्टाचार, ये सारी स्थितियां हैं। मैं कोई इसमें राजनीति की बात नहीं करता। मैं कहता हूं कि जूली जी ने आज जो दर्द व्यक्त किया है विश्वविदयालयों के प्रति, वह प्रेमचंद जी के नेतृत्व के अंदर बदलकर रहेगा, बदलकर रहेगा, बदलकर रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें और कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जाते हैं, क्या हार्वर्ड विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय से सुन्दर है? नहीं? हम कैम्ब्रिज में जाते हैं, क्या वह गुलाबी नगर से सुंदर है? लेकिन हर वर्ष, अध्यक्ष महोदय, 421, 422, 423 एजुकेशनल और रिसर्च मैगजींस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रकाशित होती है। हम ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, वहां पर 500 से ज्यादा एजूकेशनल रिसर्च मैगजींस प्रकाशित होती हैं हर साल। इस बार 2024 में, जो साल का अंत हुआ है, उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 125 मिलियन पेपर्स, रिसर्च, बुक्स डाउनलोड किये हैं। हमको किधर बढ़ना है? हमको उधर बढ़ना है, जिधर ध्यान नहीं गया कभी। उच्च शिक्षा को बर्बादी के कगार पर जिस तरह से लाकर छोड़ा है, कहां हमारे आचार्य नरेंद्रदेव, डॉक्टर संपूर्णानंद, मदन मोहन मालवीय जैसे वाइस चांसलर हुआ करते थे, आपने ऐसे लोगों को बना दिया, जो जेल जा रहे हैं। पुलिस बाहर खड़ी है, ऐसे वाइस चांसलर आपने बना दिए जो अहंकार की पराकाष्ठा के अंदर शिष्य को शिष्य मानने को तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने ऐसी स्थितियां देखी हैं, अभी

एक बच्चे की पुल में गिरने से मौत होने के कारण, तैरने के दौरान मौत होने के कारण वहां के विधान सभा के सदस्य माननीय जानते होंगे, परिवार बिलकुल ऐसी कगार पर आ गया कि आत्महत्या कर लें। हमने जन सहयोग से 5 लाख रुपये मैंने भेजे तुरंत। अगर विश्वविद्यालय के कुलपति वहां जा करके अपने बच्चों से मिल नहीं सकें, बच्चियां अनशन करें रात-रात भर, तो कैसा गुरु हुआ? क्या कोई मां अपने बच्चे को देख सकती है इस तरह से? चूंकि आज संकल्प का दिवस है। सभी तैयारी में हैं 11:00 बजे सुबह के लिए।

jyg/Rtm/20.03.25/17.30/3h

लेकिन,

तीर पर कैसे रुकूं, जब आज लहरों का निमंत्रण,
लहरें पुकार रही हैं, देश भक्ति की लहरें पुकार रही हैं,
सनातन धर्म की लहरें पुकार रही हैं, तो हम रुकें कैसे?

इसकी शुरूआत 'कुलगुरु' से होने जा रही है और एक गुरु के नेतृत्व में होने जा रही है। मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजें, और भी माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने हम कौन थे से शुरूआत की और कांटों की राह बनाने तक का अपना पूरा का पूरा भाषण दिया।

स्पीकर महोदय, कुलपति, कुलगुरु, किसलिए चाहिए? विश्वविद्यालय की संस्था के लिए चाहिए या और किसके लिए चाहिए। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए चाहिए, विश्वविद्यालय और कॉलेज में अंतर क्या है, जब हम एक कॉलेज में उच्च शिक्षा मिलती है, प्राइवेट डिग्रियां भी हमें मिलती हैं तो रेगुलर कॉलेज, प्राइवेट डिग्री और विश्वविद्यालय के अन्दर अंतर क्या है? दो सोच हर वक्त रहती है कि क्या है उसके स्टेटस क्वो में हम रहें, या हम लोगों की बेकवर्ड अप्रोच होनी चाहिए या आगे प्रोग्रेसिव अप्रोच रहनी चाहिए। जब देश आजाद हुआ और संविधान लिखा गया उस वक्त इस पर बहुत चर्चा हुई और उस वक्त संविधान निर्माताओं ने तय किया कि हमें भविष्य के देश का निर्माण करना चाहिए, प्रोग्रेसिव और इंक्ल्युसिव देश का निर्माण करना चाहिए और उसमें उच्च शिक्षा की एक अहम भूमिका है। क्या विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य से बने उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, ईमानदारी से कोई भी उत्तर दें, नहीं, हो रही है। रिसर्च एण्ड डवलपमेंट हमारे यहां हो रहे हैं, 33 विश्वविद्यालय खुले हुए हैं पर रिसर्च एण्ड डवलपमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है। सैकण्डरी काम हम लोगों का क्या है, एकेडमिक काम है और टर्सरी काम हम लोगों का क्या है? इस एकेडमिक को गेज करने के लिए एक्जामिनेशन है। तो ईमानदारी से हम लोग बात करें तो ये तमाम विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ एक्जामिनेशन सेंटर बन गये हैं। क्या 33 विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ एक्जामिनेशन सेंटर बन गये हैं, क्या 33 विश्वविद्यालय आज राजस्थान के अन्दर जो चल रहे हैं, राजस्थान को उनकी

आवश्यकता है, यह सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है। ईमानदारी से आज समय आ चुका है, राजस्थान यह सवाल हम लोगों के सामने कर रहा है कि ये 33 विश्वविद्यालय जिस तरह से चल रहे हैं क्या इनकी आवश्यकता है, ईमानदारी से अगर हम उत्तर ढूंढना चाहें तो आज इन विश्वविद्यालय जो चल रहे हैं उनकी आवश्यकता राजस्थान को नहीं है क्योंकि रिसर्च एण्ड डवलपमेंट हम लोगों के पास नहीं है। ये विश्वविद्यालय हैं लेकिन कम से कम इनमें रिसर्च एण्ड डवलपमेंट तो हो, पर रिसर्च एण्ड डवलपमेंट नहीं हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नाम के सन्दर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, 'कुलगुरु' के सन्दर्भ में। 'कुलपति' के पास क्या अधिकार हैं? क्या कुलपति के पास शैक्षणिक तौर पर नेतृत्व का अधिकार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नहीं है। आज विश्वविद्यालय के अन्दर शैक्षणिक तौर पर अधिकार किसको है, एकेडमिक कौंसिल को है, आज उसके संचालन के तौर पर सर्वोच्च बॉडी कौनसी है, सीनेट है और रोजमर्रा के काम के लिए सिंडिकेट है। एकेडमिक कौंसिल, सिंडिकेट और अंत में सीनेट तय करेगी, उसको लागू करने का काम कुलपति का है। यह हम सब लोग जानते हैं लेकिन उसके बावजूद हम लोग पीछे की ऐतिहासिक बातें कर रहे हैं। इतिहास बहुत दर्दनाक है, उस व्यवस्था के अन्दर, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, कम से कम आप नहीं बोलते तो हमें अच्छा लगता। कितने एकलव्य चाहिये हमें, कितने एकलव्य चाहिये हम लोगों को उस व्यवस्था के माध्यम से। यह आज हमको उस व्यवस्था के अन्दर जो इंक्ल्यूसिव अप्रोच सबको अवसर मिले, क्या वह व्यवस्था ठीक थी, चंद लोगों के जन्म के आधार पर ही अधिकार मिले, जन्म के आधार पर नहीं है, उनको अधिकार नहीं मिले, सबसे बड़ा सवाल आज यह है। कम से कम शैक्षणिक व्यवस्था जो बाबा साहेब अम्बेडकरजी ने और अभी बात की गयी हार्वर्ड की, बात की गयी ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, तो आज दुनिया कहां जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वक्त था जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त इंसान इंसान को चलाता था। फिर वक्त आया इंसान मशीन को चला रहा था आज वो वक्त आ चुका है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि मशीन इंसान को चलायेगी, चला रही है और भविष्य में बहुत तेज रफ्तार से चलायेगी, एआई का वक्त आ चुका है। तो आज हम लोग अपने भविष्य के अन्दर अपने नवयुवकों, अपने विद्यार्थियों को किस तरह से आगे बढ़ायें, सिर्फ हम लोग भावनाओं के तौर पर, शाब्दिक तौर पर, अगर एक शब्द को बदलकर दूसरे शब्द तक हम लोगों की जिम्मेदारी है तो सबको स्वीकार करना चाहिए, हम तालियां बजा रहे हैं, राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य इन विश्वविद्यालय के माध्यम से उज्ज्वल है? नहीं, नहीं है। पूरी कक्षा ही खाली पड़ी हैं, पूरी की पूरी कक्षा ही खाली की खाली पड़ी है, हम लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया कि आज उस विश्वविद्यालय और कॉलेज के विद्यार्थी को हमने धकेल दिया है, जब हम लोगों ने नौकरी पाने के लिए एक्जामिनेशन की व्यवस्था की है कि तमाम लोग उस विश्वविद्यालय और कॉलेज से हमने अपने विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थाओं में भेज दिया। और तो और स्कूल के अन्दर भी अपने विद्यार्थियों को चंद पैसों के लिए, आज स्कूलें भी खाली होने लग गयी हैं, वहां पर भी

हमने कोचिंग क्लासों के अन्दर कर लिया और वहां सिर्फ डिग्री मिल रही है। क्या स्थिति बनी हुई है, 75 प्रतिशत की अनिवार्यता, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, ईमानदारी से आप बताओ, हम लोगों के यहां लागू हो रही है विश्वविद्यालय में, नहीं, हो रही है, प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट विश्वविद्यालय के अन्दर विद्यार्थी कॉलेज में और विश्वविद्यालय में नहीं जाये ये दोनों के दोनों चाह रहे हैं, यह विद्यार्थी भी चाह रहा है और संस्था भी चाह रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसा देने और लेने की व्यवस्था राजस्थान के अन्दर है कि अटेंडेंस शोर्ट नहीं होगी, आपके पास भी कई लोग सिफारिश के लिए आते हैं, हम लोगों के पास भी सिफारिश के लिए आते हैं, आज विश्वविद्यालय के अन्दर सिर्फ शैक्षणिक तौर पर विद्यार्थियों को योग्य बनाने के लिए, नहीं, उसके अलावा भी बहुत चीजें मिल रही हैं। मेरा यह निवेदन है, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मुझे अफसोस भी है कि संवैधानिक व्यवस्था को आप नहीं मानते हो। यह इसलिए कह रहा हूं कि तीन दफे आपने माननीय मुख्य मंत्रीजी का जिक्र किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी संविधान के हिसाब से राजस्थान नहीं चला रहे हैं, कैबिनेट चला रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हो, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें मुख्य मंत्री सरकार चलाये। संविधान का इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान को बचाओ। यह आप खुद जब यह कह रहे हो कि नहीं, मैं राजस्थान नहीं चला रहा हूं, राजस्थान का नेतृत्व राजस्थान का कैबिनेट कर रही है, यह संविधान कह रहा है और यह अधिकार अपने आप को यह अहसास करो कि अगली बार से हां, राजनीतिक मजबूरियां रहती हैं, राजनीतिक मजबूरियां क्यों रहती है वो अपन सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पर यह उच्च शिक्षा के माध्यम से हम लोग इन विश्वविद्यालयों को अच्छा बनायें और सिर्फ शाब्दिक तौर पर अब समय आ गया है कि हम लोग राजस्थान को आगे बढ़ायें, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको हम शैक्षणिक तौर पर योग्य बनायें, तार्किक बनायें, आज जो चुनौतियां हैं कि हम लोग उनको न तो शैक्षणिक तौर पर योग्य बना पा रहे हैं, ना लॉजिकल बनना चाह रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए बोलना, सिर्फ डिग्री के लिए विश्वविद्यालय में जाना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पारित नहीं करके क्योंकि गुरु के पास बहुत ताकत होती है पर वाइस चांसलर के पास ताकत नहीं होती है, गुरु के पास बहुत ताकत होती है, विश्वविद्यालयों को आप समझो, एकेडमिक कौंसिल को आप मेरा निवेदन है कि समझो, सिर्फ बोलने के लिए बोलना, अच्छे लच्छेदार शब्द लेकर आना, 'पति' के सन्दर्भ में व्यंग्य कसना, उससे बड़ी हम लोगों की, सदन की जिम्मेदारी है, एकेडमिक कौंसिल, सीनेट और सिंडिकेट के पास जो अधिकार है, उस गुरु के पास नहीं है। उसके पास केवल एजुकेशन पावर ही है। धन्यवाद, जय हिन्द। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए हम लोगों को लेकर जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री थावर चन्द मीणा। पांच मिनट में अपना पूरा विषय रखें।

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। सबने अपने-अपने

विचार रखे, कई अनुभव मुझे भी मिले, मैंने भी जानकारी जुटाने की कोशिश की तो 'कुलपति' शब्द का इस्तेमाल विश्वविद्यालय के अन्दर जो प्रशासनिक अधिकारी, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जाना जाता है,

MLS/RTM/20.03.2025/17:40/3j

जो एक गैर शैक्षणिक पद होता है, कुलपति कोई भी विभाग हो, जो बन सकते हैं और कुलगुरु का पद है, जो प्राचीन काल में संस्कृत में शिक्षा देने वाले ऊंची जाति के लोग थे, उनके लिए आरक्षित था। दूसरी बात, कुलगुरु केवल ऊंची जाति के राजपरिवार के लोगों को ही शिक्षा देने का कार्य करते थे और 'कुलगुरु' शब्द केवल पुरुषों के लिए ही आरक्षित है। यदि 'कुलगुरु' शब्द को यूनिवर्सिटी के अन्दर लेकर जाते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं, यह 'कुलगुरु' महिलाओं के लिए विरोधी शब्द बन जाता है। मैं साथ-साथ में यह भी अभी कहना चाहूंगा, क्या उस वक्त में यह परम्परा रही थी कि राजघरानों के अन्दर हो या उन पुरानी परम्पराओं के अन्दर ऊंची जाति के लोगों को शिक्षा दी जाती थी, तब आदिवासी और दलितों को उस शिक्षा के माध्यम से वंचित रखा जाता था? तब आदिवासी और दलितों का जो शोषण और दमन था, हम पुनः उसे याद नहीं करना चाहते।

उस वक्त आपने कहा कि अर्जुन जैसे धुरन्धर हुए थे, तो एकलव्य ने अंगूठा नहीं काटा होता तो शायद वे ऐसे धुरन्धर भी नहीं हुए होते। ऐसे कई सारे दमन हमारे साथ हुए। मुझे लगता है कि आज फिर से हमें पुरानी दुनिया में ले जाने के बाद में इस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से यूनिवर्सिटी के अन्दर आदिवासी दलितों के साथ क्या फिर से शोषण तो नहीं होने जा रहा है? क्या फिर से आदिवासियों के साथ में, फिर से दलितों के साथ में शिक्षा से वंचित रखने की कोई नयी योजना तो नहीं है? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के अन्दर आज तक सारी व्यवस्था हुई, सब-कुछ आगे बढ़ता गया, लेकिन कितने कुलपति आदिवासी और दलित बने, यह मायने रखता है।

राजस्थान के अन्दर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनमें एक भी विश्वविद्यालय के अन्दर आदिवासी दलित नहीं हैं और इसके बाद में देश के अन्दर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश है, जिसके अन्दर मात्र एक कुलपति है। तो फिर हम लोगों ने आदिवासी दलितों को कहां पहुंचाया और कहां उनको आगे बढ़ाया? कुलगुरु की बात सही है और साथ-साथ में कुलगुरु वह सामन्तवादी सोच है, जहां पर मनुस्मृति की बातें भी होती थीं। आज संविधान बनने के बाद में जब बाबा साहेब अम्बेडकर और जयपाल मुंडा जैसे लोगों की पैरवी से हम लोगों को एक समानता का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, बढ़ने का अधिकार मिला, क्या ऐसे शब्द, मैं 'गुरु' शब्द का सम्मान करता हूं, लेकिन कुलगुरु शब्द अगर विश्वविद्यालय में आता है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है?

क्या वही पुरानी सोच की मानसिकता है, जहां पर राजपरिवार के लोग पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर हम लोग इस बात का विरोध करते हैं। साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा की

दुनिया चांद पर जा रही है और हमें पुरानी कथाओं और उन छुआछूत, भेदभाव और उन परम्पराओं में फिर से ले जाने की तैयारी चल रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अन्दर आज जो आदिवासी हैं, आर्थिक रूप से...

श्री अध्यक्ष: वाइंड-अप करिये।

श्री थावर चन्द (धरियावद): सर, 2 मिनट।

श्री अध्यक्ष: 6 मिनट हो गये।

श्री थावर चन्द (धरियावद): आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, हम लोग बड़ी मुश्किल से संसाधन जुटाते हैं, पढ़ाई-लिखाई करते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शिखा मील बराला।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबके साथ न्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय क्यों?

श्री अध्यक्ष: आपकी पार्टी के लिए 4 मिनट थे, मैंने 7 मिनट दे दिये।

श्री थावर चन्द (धरियावद): सर, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आज उच्च शिक्षा, आज मंत्री महोदय के पास में यह जानकारी होनी चाहिये कि हमारे इलाके के अन्दर कितने ऐसे कॉलेज खुले हुए हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी महंगी फीस हमारे जैसे नौजवान वहन नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके अन्दर प्रोफेसर हैं ही नहीं। एक या दो हैं, जो उस व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो बच्चों को पढ़ायेगा कौन?

ऐसे वक्त में मेरे जितने नौजवान हैं, वे एडमिशन तो ले लेते हैं और महंगी फीस जुटाने के लिए अहमदाबाद, बम्बई में मजदूरी कर रहे हैं। जिनके हाथ में कागज-कलम होना चाहिये, वे तगारी-फावड़े से मजबूरी में बाहर कमाने के लिए घूम रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि व्यवस्था की जाये, कॉलेजों के अन्दर प्रोफेसर हों और व्यवस्था की जाये कि वहां पर हमारे इलाके के अन्दर जो हॉस्टल हैं, उन्हें टीएडी को सौंपा जाये, टीएडी के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को लाभ दिया जाये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: डॉ. शिखा मील बराला। विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया।

नास्ति विद्यासमो बन्धुर्नास्ति विद्यासमः सुहृत्।
नास्ति विद्यासमं वित्तं नास्ति विद्यासमं सुखम्।।

अर्थात् विद्या समान कोई धन नहीं, कोई सुख नहीं, कोई बंधु नहीं। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालयों पर, तो शिक्षा के बराबर हमारे पास शिक्षा से बड़ा कोई हक नहीं है। अभी माननीय मंत्री महोदय का उत्तर था तो बीच-बीच में कहीं-कहीं महसूस हुआ कि जैसे हम 'साधना' टीवी चैनल के सामने बैठे हों। अभी तक सुना है, मंत्री महोदय, बुरा न मानें, पर अभी तक सुना है कि लोग कहते थे कि राजनेता घुमा-फिराकर जवाब देने में, गोलमोल जवाब देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, पर आज मुझे लगता है कि जो बाजी है, वह अधिकारियों ने मार ली, जिन्होंने आपकी स्पीच लिखी।

शिक्षा की बात करें तो हमारे जो भी विश्वविद्यालय हैं, हमारे कॉलेज हैं, उनमे हम बात करते हैं गुरु-शिष्य रेशो की। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 10 हजार शिक्षक थे और 2 हजार गुरु थे, पर आज हम देखें तो हमारा जो गुरु-शिष्य रेशो है, वह क्या है? यह चीज़ हमें बिलकुल बेसिक लेवल पर जाकर देखनी पड़ेगी। यह एक विशस साइकल शुरू हो गयी है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। हमारे पास लेक्चरर्स नहीं हैं पढ़ाने के लिए, लोग नहीं हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है और वो नये लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जो बाद में उनके बच्चों के गुरु बन पाएं। नये कॉलेज हम बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं। बनाने चाहिये, पर जो पुरानी हमारी धरोहर हैं, उन्हें भी हम सम्भालकर रखें।

मैं मेरे चोमू की ही बात करती हूं। हमारे पास 60 साल से पुराने कॉलेज हैं, बहुत सारे नये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जिनमें पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो रही है। नयी शिक्षा प्रणाली की बात हम करते हैं, पर जब हर बच्चा, करीब-करीब बहुत सारे बच्चे साइंस सब्जेक्ट में बारहवीं करते हैं, वहां पर हमारे पास बॉटनी, जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, जिसकी लम्बे वक्त से डिमांड है। हिन्दी जैसे सब्जेक्ट में, हिन्दी भाषा को हम प्रमोट करने की बात करते हैं, हिन्दी जैसी भाषा में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। उस कॉलेज ने बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े-बड़े राजनेता इस प्रदेश को दिये हैं।

हम चोमू गर्ल्स कॉलेज की बात करें तो गुरुओं के महत्त्व की बात करते हैं, पर पूरे कॉलेज को शिकंजे में ले रखा है वहां के क्लैरिकल स्टाफ ने। ऐसे माहौल में गुरु किस तरह से काम करेंगे? विकास समिति के सदस्यों के नाम दिये जाते हैं, पर क्लैरिकल स्टाफ उसमें भी अपनी राजनीति लगाता है, तो इस बिन्दु को आप जरूर संज्ञान में लें।

एग्रिकल्चर बेस्ड हमारा एरिया है, वहां आसपास कोई एग्रिकल्चर कॉलेज नहीं है। चोमू एक बड़ी तहसील है और तहसील लेवल पर, बड़े जिलों के लेवल पर कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज़ आनी चाहिये, जहां हम बच्चे-बच्चियों को उच्च शिक्षा सुलभ करा पाएं।

आजकल बीएड कॉलेज की भी एक बहुत ही मार्मिक कहानी हो गयी है। कितने सरकारी

बीएड कॉलेजेज हमारे यहां पर संचालित हैं, चोमू और शाहपुरा सहित सात बन्द हुए सरकारी बीएड कॉलेजेज को पुनः संचालित करने पर विचार करना चाहिये। अभी मेरे से पूर्व भी एक सदस्य ने कहा कि बीएड कॉलेजेज में छात्र-छात्राओं का शोषण हो रहा है, उनके परिवारों का शोषण हो रहा है, वह बहुत विचारणीय है। उन्हें एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है, फीस पहले कितनी बतायी जाती है, कितनी जमा कराने के लिए कहा जाता है, तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिये।

एक विडम्बना देखिये, महारानी कॉलेज, मतलब जिसे पूरे प्रदेश में, देश में जाना जाता है, वहां के प्रिंसिपल को राजनीतिक कारणों से नये-नये कारण बताकर सस्पैंड कर दिया जाता है। फिर हम गुरुओं की इज्जत कहां करते हैं? पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए जो स्वीकृत पद हैं, उन पर लोग नहीं हैं। गरीबों को शिक्षा सुलभ नहीं हो रही है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वे क्वॉलिटी हायर एजुकेशन के लिए राजस्थान से बाहर या फिर भारत से बाहर चले जाते हैं।

छात्रसंघ चुनाव, जो नेता बनाने की फैक्टरी थी, राइज़िंग राजस्थान में तो बहुत सारी फैक्टरियां स्थापित करने की बात करते हैं, पर नेताओं को बनाने की जो फैक्टरी है, वह हमने बन्द कर रखी है। आज राजस्थान के विभिन्न अकैडमिक यूनिवर्सिटीज़ में 35 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाना है, पर बिना गुरु कैसे? सारा जो बिल है, वह शिक्षा प्रणाली पर सैंटर्ड न होकर, एक वर्ड पर सैंटर्ड है 'कुलगुरु' पर। कुलपति को कुलगुरु कर दें, पर कम से कम यह कारण न दें कि जो 'कुलपति' वर्ड है, वह सम्मान के अगेंस्ट है। फिर आप लखपति दीदियां क्यों बना रहे हैं? इतनी संकीर्ण सोच के साथ हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइंड-अप करिये।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है। हमें बेसिक ढर्रे में, ढांचे में, शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है, सिर्फ इस नाम पर जो लीपापोती चल रही है, उससे काम नहीं चलेगा। हमसे आगे आने वाली पीढियां जवाब मांगेंगी, इसलिए विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिये था। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

mkd/rtm/20.03.2025/17:50/3k

श्री अध्यक्षः श्री अशोक कोठारी, लास्ट। फिर, पास करवाना है। मेरे पास जो सूची है।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का विधेयक विश्वविद्यालय में कुलपति शब्द को कुलगुरु में परिवर्तित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। या यूं कहें कि अपने देश की संस्कृति और परम्पराओं के मूल्य की पुनर्स्थापना करना, एक गुरु शिष्य की परम्परा को पुनः लागू करना, गुरु शब्द हमारे लिए केवल शब्द नहीं है और कुलपति और कुलगुरु में बहुत अंतर भी है। कुलपति एक सीमित है और गुरु शब्द इतना विराट है कि गुरु में सब कुछ समझ आता है।

भले ही, आज हमने एक गुरु शब्द को बदला है, पर इस शब्द के साथ-साथ हमारा जीवन भी बदलेगा और हमारे जीवन में भी गुरु शब्द का सम्मान और श्रद्धा वापस आएगी। तभी हमारे देश की संस्कृति और परम्पराएं वापस उसी स्थिति में आ पाएंगी, जैसे हमारे पहले की संस्कृति थी। या यूं कहें नालंदा और विश्वविद्यालय में गुरु और शिष्य की परंपरा थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही सुंदर और स्वागत योग्य है, कुलपति से कुलगुरु करना। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कुछ बोलेंगे? वैसे तो बोल लिये, फिर बोलना हो तो, बाकी ये तो ठीक है। ये तो पारित करवा दें। प्रस्ताव रखिये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2025 के.., बैठिए। अभी बोला नहीं है, स्थगित। मैं इसीलिए इसे देख रहा था। ..11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 17.51 बजे, शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।) . .